खण्ड–20, अंक–4
मंगलवार, 06 अग्रहायण, शक संवत्, 1929
(27 नवम्बर, 2007 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)

(तृतीय सत्र, 2007)

(खण्ड 20 में 4 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2008

मूल्य :

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	क
कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने की माँग	1–2
प्रश्नोत्तर	2–31
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	31–32
जनपद टिहरी गढ़वाल के बनाली पेयजल योजना के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	32–33
उत्तराखण्ड के हजारों शिक्षित बेरोजगारों को उत्तराखण्ड में स्थापित उद्योगों में प्रशिक्षण देकर उद्योगों में 70% रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	33
श्री प्रकाश चन्द्र, निवासी बड़ेथी तहसील डुण्डा जनपद उत्तरकाशी की हत्या की जाँच रेगुलर पुलिस से करवाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	34–35
जनपद रुद्रप्रयाग विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के ग्राम तलिण्ड पोला में हुए भूस्खलन से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	35–36
जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के बालगंगा रेंज के ग्राम कोट पट्टी कठूड़ में जंगली भालू के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	36–37
भारत सरकार के विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को बैंक ऋण की अनुदान की राशि निर्गत करने पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	37
उत्तराखण्ड राज्य में मुसलमान जाटों को भी पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	37
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष, 2005–2006 का वार्षिक लेखा विवरण..........(सदन के पटल पर रखा गया)	38
राज्य सूचना आयोग का वर्ष, 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन. ....(सदन के पटल पर रखा गया)	38
उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण...............(सदन के पटल पर रखा गया)	38
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश	39

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	40
उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007................(पारित) ...	48-118
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007...........(पारित)	118-124
नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएं	124-125
सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव। (स्वीकृत)	125
राष्ट्रगान	126

क

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डे
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती आशा
5. श्री ओम गोपाल
6. सुश्री कैरन हिल्टन
7. श्री किशोर उपाध्याय
8. श्री केदार सिंह
9. श्री केदार सिंह फोनिया
10. श्री खजान दास
11. श्री खड़क सिंह बोहरा
12. श्री गगन सिंह
13. श्री गणेश जोशी
14. श्री गोपाल सिंह राणा
15. श्री गोपाल सिंह रावत
16. श्री गोविन्द लाल
17. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
18. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
19. श्री चन्दन राम दास
20. श्री जोगा राम टम्टा
21. श्री जोत सिंह गुनसोला
22. हाजी तस्लीम अहमद
23. श्री तिलक राज बेहड़
24. श्री दिनेश अग्रवाल
25. श्री दिवाकर भट्ट
26. श्री दिवान सिंह
27. श्री नारायण पाल
28. काजी मौ0 निजामुद्दीन
29. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30. श्री प्रकाश पंत
31. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32. श्री प्रीतम सिंह
33. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
34. श्री प्रेमानन्द महाजन
35. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36. श्री बलबीर सिंह नेगी
37. श्री बिशन सिंह चुफाल
38. श्री बृज मोहन कोटवाल
39. श्री भगत सिंह कोश्यारी
40. मेजर जनरल (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूडी, ए0वी0एस0एम0
41. श्री मदन कौशिक
42. श्री मनोज तिवारी
43. श्री मयूख सिंह
44. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"
45. श्री मातबर सिंह कण्डारी
46. श्री मुन्ना सिंह चौहान
47. श्री यशपाल बेनाम
48. चौ0 यशवीर सिंह
49. श्री रणजीत रावत
50. डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
51. श्री राजकुमार
52. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
53. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
54. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
55. श्रीमती वीना महराना
56. श्री शहजाद
57. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
58. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
59. श्री सुरेन्द्र राकेश
60. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
61. डा0 हरक सिंह रावत
62. श्री हरिदास
63. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2007 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपनी जगह पर खड़े होकर नियम–310 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के बारे में अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत, पहली सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत एवं अन्य माननीय सदस्यों की प्राप्त हुई है। जो प्रदेश की वार्षिक योजनाओं एवं विकास कार्यों में हो रही धीमी गति के सम्बन्ध में है। वर्ष पूर्ण होने से पूर्व कोई भी पुष्ट सूचना योजनाओं के लक्ष्य को पूरा करने में हुए व्यय आदि के सम्बन्ध में नहीं दी जा सकती है। अतः मैं इसे नियम–310 के अन्तर्गत स्वीकार नहीं कर रहा हूँ।

दूसरी सूचना माननीय सदस्य मो0 शहजाद एवं अन्य माननीय सदस्यों की है। सूचना से यह आभास होता है कि यह प्रकरण रक्षा विभाग से जुड़ा है और सुरक्षा कारणों से जुड़ा होने के कारण मैं इसे सदन में उठाये जाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री नारायण पाल एवं अन्य माननीय सदस्य की है। सूचना का विषय नियम–310 के अन्तर्गत नहीं आता है, अतः मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह इस सूचना को किसी अन्य नियम में उठायें। मैं इसे नियम–310 में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष *(डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार का लगभग एक साल पूरा होने वाला है पर विकास कार्य ठप हैं। पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी योजनाओं का कार्य भी अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मान्यवर, प्रदेश के अधिकांश विभागों में 25 प्रतिशत भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वैल" में आ गये।)

नोट– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। प्रश्नकाल चलने दीजिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, प्रदेश के विकास का मुद्दा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं जो विकास से ही सम्बन्धित हैं और क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े हुए हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, प्रदेश के विकास का मुद्दा है। हमारे पास 31 अक्टूबर का कार्यवृत्त है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि विकास की गति धीमी है। इसलिए मैं और मेरा दल सदन का परित्याग करता है।

(तत्पश्चात नेता प्रतिपक्ष अपने दल के साथ तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य सदन का परित्याग कर चले गये।)

(नेता प्रतिपक्ष अपने दल के साथ तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य सदन में वापस आ गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, आपकी बात यहाँ से सम्बन्धित नहीं है, केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है। इस सदन से इसका कोई मतलब नहीं है। कृपया शांत रहें। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत श्रीनगर में बिना लाइसेंस के सरकारी ब्लड बैंक का संचालन

**1–काजी मौ0 निजामुद्दीन–

क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत श्रीनगर

में स्थापित सरकारी ब्लड बैंक की मशीनें खराब पड़ी है और ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चल रहे हैं जिससे मरीजों को दूषित खून मिलने की प्रबल संभावना है?

यदि हाँ, तो उक्त मशीनें कब तक ठीक कर लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया जाएगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक'')–

हे0न0ब0 बेस चिकित्सालय, श्रीनगर, जनपद पौड़ी के ब्लड बैंक में स्थापित उपकरण कार्यरत हैं। ब्लड बैंक का पंजीकरण फार्म 28सी संख्या 1/यू0ए0/एससी/पी–/बीबी/2003 दिनांक 16–09–2003 को जारी किया गया है जोकि दिनांक 15–09–2008 तक वैध है। ब्लड बैंक में कार्य नियमानुसार सम्पादित किया जा रहा है। अतः मरीजों को दूषित खून मिलने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

*काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के गृह नगर में पौड़ी के जिला अस्पताल में ब्लड बैंक का लाईसेन्स सन् 1997 में मिला था और सन् 1998 में वह एक्सपायर हो गया जोकि अभी तक बिना लाईसेन्स के ब्लड बैंक चल रहा है और वहीं पर एच0आई0वी0 जैसे महत्वपूर्ण टेस्ट की भी सुविधा नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे और पौड़ी जिला अस्पताल में जो अवैध रूप से ब्लड बैंक चल रहा है उसकी जाँच करायेंगे कि बिना लाईसेन्स के यह ब्लड बैंक क्यों चल रहा है ? वहाँ पर खराब उपकरण कब तक ठीक करा लिए जायेंगे ?

*डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, यह तो मूल प्रश्न श्रीनगर बेस अस्पताल का है। जैसाकि माननीय सदस्य ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है तो यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उस ब्लड बैंक का 1997 में लाईसेन्स प्राप्त हुआ था।

मान्यवर, इस समय वह नवीनीकरण की कार्यवाही में है, एक सीमा तक भारत सरकार नवीनीकरण के लिए जब वैध स्वीकार कर लेता है तब वैध होता है, अभी वैध नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि जब तक भारत सरकार उस लाईसेन्स को निरस्त नहीं कर देता है तब तक उसी प्रक्रिया में रहता है, उसको निरस्त नहीं माना जाता है। मान्यवर, मशीन आज भी काम कर रही है, बीच में थोड़े समय के लिए खराब हुई थी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिस लाईसेन्स का नवीनीकरण नहीं हुआ है उसको शीघ्र नवीनीकरण करायें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, जल्द ही कराया जायेगा।

(अल्पसूचित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने में माननीय सदस्य श्रीमती अमृता रावत सदन में उपस्थित नहीं थी।)

प्रदेश में विद्युत वितरण तथा विद्युत आपूर्ति में अव्यवस्था

**2–श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है ?

क्या यह सत्य है कि प्रदेश में विद्युत वितरण में अत्यधिक अव्यवस्था के कारण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिना पूर्व सूचना के रोस्टरिंग की जा रही है तथा कई क्षेत्रों में महीनों में विद्युत आपूर्ति अव्यवस्थित है ?

सरकार उक्त समस्या के समाधान के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

कब तक विद्युत वितरण की दिशा में अपेक्षित सुधार कर दिया जायेगा ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

माह नवम्बर, 2007 में अब तक प्रतिदिन औसतन लगभग 7.0 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन प्रदेश की इकाई उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 द्वारा किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उक्तानुसार।

तारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार वि0स0 क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं हेतु स्वीकृत ट्रामा सेन्टर के लिए धन आवंटन

*1–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं हेतु ट्रामा सेन्टर स्वीकृत है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या यह सत्य है कि उक्त के निर्माण हेतु शासन द्वारा अभी तक उक्त ट्रामा सेन्टर हेतु धन आवंटित नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो ट्रामा सेन्टर हेतु धन की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

*श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, कोटद्वार एक मुख्य द्वार है, पर्वतीय क्षेत्र से लोग पलायन कर चुके हैं वहाँ पर आबादी बहुत है। ट्रामा सेन्टर के लिए भूमि भी उपलब्ध है और इसका जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शैलेन्द्र जी, आप अपना प्रश्न कहें।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कोटद्वार में ट्रामा सेन्टर स्वीकृत है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वहाँ अभी ट्रामा सेन्टर स्वीकृत नहीं है।

*श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ट्रामा सेन्टर के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है इसलिए निर्माण कार्य बाधित है या वित्तीय संसाधन नहीं है इसलिए कार्य बाधित है ? मान्यवर, यह यदि भूमि पर निर्भर करता है तो क्या भूमि उपलब्ध नहीं है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि अभी वहाँ पर ट्रामा सेन्टर स्वीकृत नहीं है। मान्यवर, माननीय सदस्य श्री रावत जी ने कहा कि भविष्य में कब तक ट्रामा

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेन्टर कर दिया जायेगा तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है ट्रामा सेन्टर की, इसलिए यदि भूमि उपलब्ध हो गई तो उस पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मानवीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का मूल प्रश्न से सीधा सम्बन्ध नहीं है इसलिए मैं आपकी अनुमति से अनुज्ञा चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सड़क हादसों में तीव्रता है उसके हिसाब से अधिकांश ट्रामा सेन्टर की आवश्यकता है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ट्रामा सेन्टर खोले जाने के लिए कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, अभी देहरादून और श्रीनगर सिर्फ दो स्थानों पर ट्रामा सेन्टर है, लेकिन हम लोग 9 स्थानों पर पूरे प्रदेश में ट्रामा सेन्टर का निर्माण कर रहे हैं। मान्यवर, वे स्थान हैं गोपेश्वर, अल्मोड़ा, रुड़की, उत्तरकाशी, टनकपुर, विकासनगर, ऋषिकेश, काशीपुर और रानीखेत। मान्यवर, 09 स्थानों पर निर्माणाधीन हैं। हमारा प्रयास है कि यथा समय पर इन्हें पूरा करेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या चकराता जैसे दुर्गम स्थान में, जहाँ पर कि अन्य स्थानों से कनैक्टीविटी भी नहीं है। यहाँ पर ट्रामा सेंन्टर खोलने पर विचार करेंगे ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, चकराता के निकट विकास नगर पहली प्राथमिकता है, जिसको कि पहले चरण में चिन्हित किया गया है। यह बीच का केन्द्र भी है। अभी तक ट्रामा सेंटर विकास नगर में भी नहीं है, इसलिए पहले चरण में वहाँ पर बनाया जायेगा और दूसरे चरण में चकराता पर भी विचार किया जायेगा।

डा हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि भूमि और वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है। यह कौन उपलब्ध करायेगा, क्योंकि यह उपलब्ध कराना तो सरकार की जिम्मेदारी है। क्या यह जनता उपलब्ध करायेगी ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैंने पूर्व में भी कोटद्वार के सम्बन्ध में कहा था कि भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है, चूँकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी भूमि हमें उपलब्ध होगी, इसका निर्माण किया जायेगा। मान्यवर, भूमि की उपलब्धता के बारे मे सरकार प्राथमिकता के आधार पर कोशिश कर रही है, यह उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, रानीखेत, द्वाराहाट और चौखुटिया चार धाम यात्रा से जुड़े हुए प्लेस हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि इनमें से किसी एक स्थान पर ट्रामा सेन्टर खोलें। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर कोटद्वार से सम्बन्धित सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन स्थानों पर ट्रामा सेंटर खोलने पर यह सरकार विचार कर रही है ? मान्यवर, रानीखेत में भूमि भी स्वीकृत है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, रानीखेत में ट्रामा सेंटर खोलने पर कार्यवाही कर दी है, इसके लिए 67.67 लाख स्वीकृत हैं।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि काशीपुर का ट्रामा सेंटर निर्माणाधीन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कोटद्वार से सम्बन्धित सवाल पूछिये, काशीपुर के सम्बन्ध में अलग से प्रश्न लगा दीजिए। जब आपका प्रश्न लगेगा, तभी आप उस पर बोलिए।

कृपया बैठ जाईये। (व्यवधान)

उत्तराखण्ड राज्य के पुनर्गठन सम्बन्धी मामलों में प्रगति तथा परिसम्पत्तियों एवं कर्मचारियों का बैंटवारा आवंटन

*2–श्री नारायण पाल–

क्या पुनर्गठन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य के पुनर्गठन सम्बन्धी मामलों में अद्यतन क्या प्रगति हुई है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सभी परिसम्पत्तियों एवं कर्मचारियों का बैंटवारा/आवंटन हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पंत–

उत्तराखण्ड राज्य में पुनर्गठन सम्बन्धी मामलों की अद्यतन प्रगति निम्नवत् :–

1–परिसम्पत्ति–

कुमाँऊ मण्डल विकास नगर लि0, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0, कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति निगम लि0, गढ़वाल अनुसूचित जनजाति निगम लि0 एवं हिल्ट्रान के स्वामित्व उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित हो चुका है।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 की उत्तराखण्ड में अवस्थित भौतिक परिसम्पत्तियाँ उत्तराखण्ड राज्य को हस्तान्तरित हो चुकी है। उत्तराखण्ड में अवस्थित 6 चीनी मिलें उत्तराखण्ड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राज्य के प्रबन्धन में आ चुकी है। हल्द्वानी में अवस्थित वन चिकित्सालय, हरिद्वार में राही मोटल तथा पीरान कलियर, रुड़की में अवस्थित पर्यटक आवास गृह भी उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित कृषि विभाग की सभी मण्डियाँ अब उत्तराखण्ड मण्डी परिषद् के अधीन कार्य कर रही हैं। सैनिक कल्याण निधियों/कोषों का विभाजन उ0प्र0 के साथ पूर्ण हो चुका है एवं उत्तराखण्ड को कारगिल शहीद कोष, द्वातव्य निधि, विजय निधि, झण्डा दिवस निधि एवं निदेशक कोष से उसकी अंश धनराशि प्राप्त हो चुकी है। उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेस सहायता संस्थान कोष तथा उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि के अन्तर्गत विभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड को उसका अंश प्राप्त हो चुका है। श्रम कल्याण निधि, पंचायती राज विभाग में रिवाल्विंग फण्ड का विभाजन हो चुका है।

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत हरिद्वार में अवस्थित अलकनन्दा होटल का स्वामित्व उत्तराखण्ड को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित किया गया, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के पक्ष में निर्णय दिया गया, परन्तु इस आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई है, प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। परिसम्पत्तियों के विभाजन पर उ0प्र0 राज्य के साथ समुचित स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग की कतिपय परिसम्पत्तियों की विभाजन हेतु उच्च स्तर पर सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

2—कार्मिक—

भारत सरकार द्वारा 104 विभागों/संवर्गों के कार्मिकों का अन्तिम आवंटन किया जा चुका है, जिसे सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को कार्मिकों की अवमुक्ति करने हेतु यथासमय परिचालित किया जा चुका है।

कतिपय विभागों के कार्मिकों का अन्तिम आवंटन शेष है, इस हेतु दोनों राज्यों के मध्य प्रभावी कार्यवाही एवं भारत सरकार द्वारा भी अनुश्रवण गतिमान है।

उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–76 के अन्तर्गत गठित राज्य परामर्शीय समिति का कार्यकाल दिनांक 31–3–2007 को समाप्त हो गया था। भारत सरकार के आदेश दिनांक 12–11–2007 द्वारा पुनः राज्य परामर्शीय समिति की स्थापना की गई है, जिसकी अनुशंसा पर कार्मिकों के आवंटन का कार्य किया जायेगा।

*श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई विभाग के डैम और नहरों का मामला है, बार–बार यह खबर आती रहती है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड का मामला तय नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या प्रयास किये जा रहे हैं और यह कब तक तय हो जायेगा ? इसी तरह शिक्षा विभाग के अध्यापकों और अधिकारियों तथा कर्मचारियों का मामला है। ऐसे ही वे लोग भी हैं, जिन्होंने अपने मूल निवास पर जाने का विकल्प भरा है। इनकी संख्या बहुत अधिक है। सात साल बीत जाने के बाद भी इसमें कारगर प्रयास नहीं हो पा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के साथ अन्तर्विरोध है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न पूछें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का मामला तथा सिंचाई विभाग के डैमों और नहरों का मामला कब तक तय हो जायेगा ? इसमें यदि कोई समय सीमा निर्धारित हो तो बताने का कष्ट करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो अद्यतन स्थिति है, उसके बारे में बताना चाहूँगा, 12 नवम्बर, 2007 को एक आदेश पारित हुआ है। इस आदेश के द्वारा डा0 एस0 के0 सरकार, संयुक्त सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। जिन विभागों में बंटवारा नहीं हुआ है, उनके विषय में इस समिति ने निर्णय लेना है। मान्यवर, आपने सिंचाई विभाग की बात कहीं, सिंचाई विभाग की कतिपय परिसम्पत्तियों के विषय में हम उच्च स्तर पर प्रयासरत हैं। भारत सरकार के स्तर पर जो कमेटी गठित की गयी है, उसमें मिलान होना है। कर्मचारियों के हस्तांतरण के बारे में भी विचार होना है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया, उसमें मेरा एक अनुपूरक प्रश्न है। श्रीमन्, सिंचाई विभाग से सम्बन्धित जो परियोजनाएं हैं और ऐसी परियोजनाएं, जो उत्तरांचल में स्थित हैं लेकिन जिनके संचालन का अधिकार उत्तर प्रदेश के पास है, क्या ऐसी परियोजनाओं के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो उस श्रेणी की परियोजनाएं है, जिनका हैड टु टेल उत्तरांचल के अन्दर है, जिनका प्रारम्भ भी उत्तरांचल से है और अन्त भी उत्तरांचल में है, क्या उनका हस्तान्तरण उत्तरांचल के नाम हो गया है ? तीसरा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वे कर्मचारी जो उत्तरांचल में आना ही नहीं चाहते है, क्या उनको उत्तरांचल में आने से छूट प्रदान करने का काम सरकार करेगी ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, उत्तरांचल नहीं उत्तराखण्ड है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें आवश्यक संशोधन कर दें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, अभी दो वर्ष तक तो उत्तरांचल नाम चल ही सकता है। (हँसी)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड की परिसम्पत्तियों का मामला पुनर्गठन विधेयक, 2000 की विभिन्न धाराओं में प्राविधानित है, उसके आधार पर दोनों राज्यों के मध्य जो विवाद की स्थिति है, बिन्दुवार उस विवाद को सुलझाने का काम भारत सरकार के माध्यम से गठित इस समिति तथा राज्य परामर्शी समिति के माध्यम से किया जाएगा।

पूर्व में जो राज्य परामर्शी समिति गठित हुई थी, उसका कार्यकाल 31 मार्च, 2007 को समाप्त हो गया था। अभी भारत सरकार ने 12 नवम्बर, 2007 को पुनः समिति का गठन किया है, जो इन सारे बिन्दुओं पर विचार कर रही है। जहाँ तक विशेष रूप से सिंचाई विभाग की परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में लम्बित जितने भी विवाद हैं, उनको सुलझाने के लिए और त्वरित गति से सुलझाने के लिए भारत सरकार से वार्ता की जा रही है और शीघ्र से शीघ्र इसे सुलझा लिया जायेगा। जहाँ तक फाइनल एलोकेशन की बात है तो उसके सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के लिए 2 जनवरी, 2007 को आदेश निर्गत हुए थे। जिसमें अनेकों स्तरों पर विभाग पेंडिंग है, उसमें सिंचाई विभाग के लिए भी 2 जनवरी, 2007 को आदेश निर्गत हुए हैं और उसके आधार पर सिंचाई विभाग पर भी फाइनल आर्डर भारत सरकार ही तय करेगी और हम सभी विवादों के निस्तारण के लिए भारत सरकार से वार्ता कर रहे हैं।

*श्री केदार सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अधिवक्ता कल्याण निधि और सहकारी बैंकों की जमा अंशपूँजी और जमा धन जो उत्तर प्रदेश में जमा था, क्या वह प्राप्त हो गया है और यदि नहीं हुआ है तो सरकार द्वारा उसे प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें जो निधियाँ हमारी उत्तर प्रदेश में पेंडिंग थीं, जिसमें सैनिक कल्याण निधियाँ, झण्डा दिवस निधि, विजय निधि, दातव्य निधि और उत्तराखण्ड का कारगिल शहीद कोष थी, इनकी धनराशि हमें प्राप्त हो चुकी है। श्रम कल्याण निधि और पंचायती राज विभाग में रिवाल्विंग फंड भी वर्तमान में हमें मिल चुका है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, मैंने अधिवक्ता कल्याण निधि और सहकारी बैंकों की जमा अंशपूंजी और जमा धन जो उत्तर प्रदेश में जमा था, के सम्बन्ध में पूछा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अधिवक्ता कल्याण निधि की धनराशि अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और यह शीघ्र ही हमें मिल जायेगी।

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, सरकार ने इसे प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किये ?

(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस दिन इस सरकार का गठन हुआ था उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश के विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश भेज दिया जायेगा और जिनको उत्तराखण्ड आना है, उनको उत्तराखण्ड आने दिया जायेगा। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि राज्य परामर्शी समिति की बात की थी तो मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचने–समझने के बाद ही वक्तव्य दिया होगा। तो जो वक्तव्य उन्होंने दिया था, उसके बारे में क्या कदम उठाये गये ? चाहे वह आई0ए0एस0 हों या आई0पी0एस0 हों या सिंचाई विभाग के कर्मचारी हों या अन्य विभागों के कर्मचारी हों, क्या सभी विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश भेजा जा चुका है।

मुख्यमंत्री (मेजर जनरल (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी, ए0वी0एस0एम0)–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड के विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश भेजने की बात आज से ही नहीं बल्कि जब से उत्तराखण्ड बना है, तब से चल रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी कहा था कि 48 घण्टे में इनको वापस भेज देंगे या ऐसे ही कोई टाईम दिया था। हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जाने वाले जो विकल्पधारी हैं, उनको भेजा जायेगा और अभी छः हजार भेजे भी जा चुके हैं। हमने वही कहा था जो हमारे अधिकार में है, उत्तर प्रदेश से आने वालों के लिए हमारा अधिकार नहीं हैं। केन्द्र से भी बात कर रहे हैं कि जो वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, उनको आने देना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहाँ जितने विकल्पधारी हैं, उनमें से कुछ को छूट दी गयी है जैसे स्वास्थ्य में, पुलिस में कुछ लोगों को छूट दी गयी, क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता थी और उसके लिए समय सीमा तय कर दी गयी है कि वे कब तक जाएंगे। बाकी सब लोग उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश चले गये।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उत्तराखण्ड राज्य में दो भू सर्वेक्षण इकाईयाँ हैं, इनके कार्मिकों को उत्तर

प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किया जा चुका है लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए उन्हें मुक्त नहीं किया है गया, कब तक इन्हें उत्तर प्रदेश के लिए मुक्त कर दिया जायेगा ? श्रीमन्, दूसरा प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के लिए इन्हें 48 घंटे में, शायद वह समय 48 घंटे नहीं था..... (व्यवधान)

मेजर जनरल (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, मैंने अंदाज से कहा था।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ (व्यवधान) उत्तर प्रदेश के जो विकल्पधारी हैं, कब तक उन्हें यह सरकार कार्यमुक्त कर देगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, भू सर्वेक्षण इकाईयों की बात आपने कही, यह प्रकरण अभी लम्बित है, इसे शीघ्र कर दिया जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पूरा उत्तर नहीं आया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अभी चूंकि यह प्रकरण विचाराधीन है। अभी हमने 104 विभागों के विभिन्न संवर्गों के, (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, मैं उत्तर दे रहा हूँ। इसमें अभी 78 विभागों के प्रकरण हैं जो फाईनल हो गये हैं। भू सर्वेक्षण इकाई की जहाँ तक बात है, यह प्रकरण विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, क्या अन्तिम आवंटन हो चुका है या नहीं ? अगर हो चुका है तो इन्हें कार्यमुक्त कर रहे हैं या नहीं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं इसकी सूची (व्यवधान) जिन विभागों का अंतिम आवंटन हो चुका है। (व्यवधान)

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, जब तक सरकार को पूर्ण सूचना नहीं मिल जाती है तब तक इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें 78 विभाग ऐसे हैं, जिनका अंतिम आवंटन हो चुका है। जो भू–सर्वेक्षण इकाई आपने कहा है, इसके आवंटन की प्रक्रिया गतिमान है। अभी अंतिम आवंटन नहीं हुआ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया कि पहले की सरकार ने 48 घंटे में (व्यवधान) 24 घंटे या 48 घंटे जो भी। (व्यवधान)

मेजर जनरल (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए0वी0एस0एम0–

मान्यवर, मुझसे कहा जा रहा है कि 24 घंटे कहा था।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, इसमें बहुत ही कारगर कार्य नहीं हो रहा है। हमारे जो साथी इधर बैठे हैं, जो काफी सवाल–जवाब कर रहे हैं, अगर यह पाँच साल में प्रयास कर लेते तो यह कार्य हो जाता। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, आप थोड़ा काम कर लेते तो सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। (व्यवधान)।

*चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से यह पूछना चाहता हूँ कि जो ये उत्तराखण्ड के विकल्पधारी हैं, जो यहाँ रहना चाहते हैं या यहाँ नहीं रहना चाहते, क्या माननीय मंत्री जी की भावनाओं के आधार पर क्या इस प्रदेश में रह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्पष्ट करें।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, पत्र में लिखा जाता है कि माननीय मंत्री जी की यह भावना है कि उनको रखा जाय या उनको यहाँ से बाहर भेज दिया जाय। इसकी प्रति मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि माननीय परिवहन मंत्री, माननीय राज्य मंत्री के आदेशों के संदर्भ में, माननीय मंत्री जी की भावनाओं का समादर करते हुए तत्काल आर्य को उत्तर प्रदेश के लिए कार्य मुक्त कर दिया जाय। मान्यवर, यह पत्र 8–6–2007 का है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसकी प्रति उपलब्ध करा दें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इस पर एक विकल्पधारी को उत्तराखण्ड के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया, यहाँ पर सेवायें दे दी गई, उसके बाद माननीय मंत्री जी ने आदेश दे दिये कि उसे उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त कर दिया जाय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जैसा कि मैंने अवगत कराया कि 104 विभागों के कार्मिकों में से 78 विभागों के हस्तानान्तरण के फाइनल आर्डर आ चुके हैं। 12 विभाग अभी पैन्डिंग हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य ने अवगत कराया है, भारत सरकार से अन्तिम आवंटन सूची जारी हो चुकी है, उसके बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, भावनाओं का क्या होगा ? (घोर व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है, उसको वहाँ से भी कार्यमुक्त कर दिया गया है, यहाँ से भी कार्यमुक्त कर दिया गया है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, इस पर आपका विनिश्चय आना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह सरकार नियमों के आधार पर चल रही है, भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं हो रहा है। बिल्कुल विधिवत और तीव्र गति से कार्य सम्पादित किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उसको मंत्री जी देख लेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उसको दिखवा लेंगे और उसकी जाँच हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि उसको दिखवा लेंगे और उसकी जाँच करा देंगे।

राज्य में सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और उच्चीकरण की नीति।

*3–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं उच्चीकरण करने सम्बन्धी नीति जनसंख्या के मानकानुसार पर्वतीय राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है ?

यदि हाँ, तो सरकार इस संदर्भ में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

भारत सरकार से जनसंख्या मानकों में शिथिलीकरण हेतु अनुरोध किया गया है।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिन–प्रतिदिन जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण की आवश्यकता है। मेरा प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण के लिए सरकार क्या सोच रही है ? भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर जो क्षेत्र भारत सरकार के मानक में नहीं आ पाते हैं उनके लिए क्या प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से कोई अनुरोध किया गया है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, जनसंख्या के आधार पर जो मानक है, भारत सरकार के, उसके आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण किया जाता है तथा उसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है। जो मानक में नहीं आ पाते हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उस आधार पर भारत सरकार से अनुरोध करेंगे।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, यह प्रकरण आज से नहीं राज्य गठन के बाद से ही चल रहा है कि मानकों का शिथिलीकरण किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकार, भारत सरकार पर निर्भर न रहते हुए कोई ऐसी नीति बनायेगी कि जनसंख्या में कमी होने के बावजूद दुर्गम स्थानों में चिकित्सालय नहीं खुल पा रहे हैं, वे खुलें, तथा राज्य सरकार ऐसी कोई नीति बनायेंगी कि चिकित्सालयों के उच्चीकरण किये जा सकें और नये चिकित्सालय खोले जा सकें ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, इस दिशा में सरकार विचार कर रही है।

*श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार क्या सरकार नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की दिशा में कार्य कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे तो दिया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की जनसंख्या मानकों में शिथिलीकरण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, इस दिशा में पहले भी मुख्यमंत्री जी द्वारा भारत सरकार को लिखा गया है तथा अभी पिछले तीन महीने पहले देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में तब भी उसमें पुरजोर माँग की गई थी और लिखित रूप में भी दिया गया था। उसके बाद 13 तारीख को एक बैठक और हुई थी उसमें भी इस बात को दोहराया गया था कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मानकों में शिथिलीकरण होना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, उस क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली है। वह क्षेत्र दो–दो नदियों के बीच में पड़ रहा है बरसात के दिनों में उक्त नदियाँ उफान पर होती हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण न होने के कारण व्याधिग्रस्त व्यक्ति और उनके परिवार के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कई लोगों की मौत तक हो जाती है ।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, कमोबेश ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पहाड़ों में कई जगह आ जाती है। माननीय सदस्य ने जिस जगह का जिक्र किया है तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पुल की स्वीकृति दे दी है। (मेजों की थपथपाहट)

*श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जनसंख्या के मानक क्या हैं ? राज्य सरकार द्वारा जो मानक केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं, उसमें जनसंख्या के मानक क्या हैं ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के पहाड़ी क्षेत्र में 80 हजार की जनसंख्या और प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार जनसंख्या के मानक हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए पहाडी क्षेत्र में 20 हजार जनसंख्या तथा मैदानी क्षेत्र में 30 हजार जनसंख्या के मानक हैं और उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए पहाडी क्षेत्र में 3 हजार, मैदानी क्षेत्र के लिए 20 हजार जनसंख्या के मानक हैं। मान्यवर, जहाँ तक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है इस सम्बन्ध में विगत आठवीं केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद् की जो बैठक हुई थी, उसमें राज्य द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थिति तथा आबादी के विरल घनत्व को देखते हुए यह मानक 10000 प्रति प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा 1000 पर एक उपकेन्द्र निर्धारित किया जाए। मान्यवर, इस सम्बन्ध में पुनः भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इन मानकों में परिवर्तन किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के जो मानक हैं, इसके लिए केन्द्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का जो बीस हजार जनसंख्या का मानक है उसे घटाकर दस हजार कर दिया जाय। मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वयं दो बार केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से वार्ता कर चुके हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या–04 के लिए माननीय सदस्य का नाम पुकारा गया किन्तु माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला विधान सभा क्षेत्र के ब्लॉक मोरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण

*4–श्री राजेश जुवांठा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला विधान सभा क्षेत्र के ब्लॉक मोरी में स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त अभाव है तथा मोरी ब्लॉक के मरीजों को अपने इलाज हेतु पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ब्लॉक मोरी मुख्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण एवं अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न बनाये जाने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

क्या उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का इसी वित्तीय वर्ष में उच्चीकरण कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराये जाने के दृष्टिगत संसाधनों की उपलब्धता पर यथावश्यक अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राज्य के प्रमुख जननायकों का चिन्हीकरण

*5–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में राज्य के प्रमुख जननायकों को चिन्हित किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में उक्त वीर संग्रामियों की मूर्तियों को स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राज्य के प्रमुख जननायकों को चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है।

चिन्हीकरण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महँू माई''–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम में राज्य के प्रमुख जननायकों को चिन्हित करने की जो कार्यवाही की जा रही है, वह कब तक पूरी हो जायेगी और क्या कार्यवाही पूर्ण होने के बाद उस पर अमल करने पर विचार किया जायेगा ? और जो परमवीर चक्र, वीर चक्र प्राप्त जननायक हैं उनको चिन्हित करने की कार्यवाही चल रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय को पूरे देश में 150वीं वर्षगाँठ के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने भी मनाया है और इस पर लोहाघाट के माननीय सदस्य जी द्वारा भी आज प्रश्न पूछा गया है। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राज्य के प्रमुख जननायकों को चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है और चिन्हीकरण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् विचार किया जायेगा। मान्यवर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारिका छपवाया जाना प्रस्तावित है तथा स्वतंत्रता संग्राम एवं इसमें प्रतिभाग करने वाले अज्ञात सेनानियों, शहीदों के नाम पर शोध कार्य एवं इसका प्रकाशन कुमाऊँ विश्वविद्यालय एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। महान विभूतियों की मूर्तियां/शहीद स्मारकों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की वर्षगांठ के अवसर पर सरकार द्वारा निम्न का पुनर्निर्माण/स्थापना/सौन्दर्यीकरण विचाराधीन है। इनमें फांसीगदेरे नैनीताल में शहीद स्मारक की स्थापना, डाकबंगला बागेश्वर का जीर्णोद्धार, अनाशक्ति आश्रम कौसानी, बागेश्वर का जीर्णोद्धार, ताकुला गाँधी मन्दिर नैनीताल स्वामी विवेकानन्द स्मारक अल्मोड़ा का जीर्णोद्धार, प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत का जीर्णोद्धार, सुनहारा गाँव का वट वृक्ष (रुड़की) जनपद हरिद्वार का सौन्दर्यीकरण।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जहाँ आज पूरा देश स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है मान्यवर, 1857 से लेकर 1947 तक जिन–जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश के लिए बलिदान किया है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहूति दी है, उनमें से हम विशेष रूप से उल्लेख करना चाहते है कि 3 मई, 1945 को वीर शहीद केशरी चन्द्र जी को फांसी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सजा दी गयी थी। जिसको हम बार–बार कहते हैं कि कानूनी तरीके से 200 लोगों में एक नाम उनका भी है जिनको फांसी दी गयी। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार वीर शहीद केशरी चन्द्र जी की प्रतिमा स्थापित करेगी ? चकराता क्षेत्र में रामताल गार्डन है जिसको क्षेत्र में तीर्थ के रूप में भी जानते हैं, उसका पर्यटन की दृष्टि से विकास करेंगे या फिर विकास की कोई योजना बनायेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, शहीद वीर केशरी चन्द्र जी का उत्तराखण्ड में बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हम उनकी प्रतिमा को स्थापित करने के लिए विचार करेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि उनके परिवार को जो सेना का परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र में धनराशि दी जाती है क्या सरकार उस पर विचार कर रही है और अगर विचार कर रही है तो कितनी धनराशि देगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अद्यतन प्रकरण विचाराधीन नहीं है लेकिन हम इसका परीक्षण करा लेंगे।

जनपद हरिद्वार में पोलियो नियंत्रण हेतु उपाय

*8–काजी मौ0 निजामुद्दीन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में 01–03–07 से अब तक पोलियो के कितने मामले प्रकाश में आये है ?

सरकार द्वारा पोलियो के नियंत्रण हेतु क्या कारगर उपाय किये गये हैं ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

पोलियो वायरस का एक केस ग्राम–जलालपुर, विकास खण्ड–इमलीखेड़ा, जनपद हरिद्वार तथा दूसरा केस ग्राम–बुढ़ाहेडी, विकास खण्ड–बहादराबाद में पाया गया है।

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार समय–समय पर राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस एवं सब–राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस आयोजित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त नियमित टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, डब्लू0एच0ओ0 और भारत सरकार इस पर बहुत पैसा खर्च कर रही है। बच्चों को घर–घर पोलियो के ड्राप पिलाये जा रहे हैं। इसके बावजूद क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि ऐसा क्यों हुआ कि केसेज फिर भी सामने आ रहे है ? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इसको बिल्कुल खत्म करने के लिए कदम उठायेगी ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इसमें दो प्रकरण सामने आये हैं। एक अनस पुत्र श्री युनुस 1 वर्ष 3 माह और दूसरा दि0 14–11–07 को ग्राम बूढाहेड़ी में। मान्यवर, हमारी यह कोशिश लगातार रही है कि इस राज्य को एक पोलियो मुक्त राज्य बनाया जाय और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमको बहुत सफलता भी मिली है। यदि हम 2006 के आँकड़े देखें तो जनपद देहरादून में 2 और जनपद हरिद्वार में 11 और अभी हाल में ही दो–तीन महीने में जनपद ऊधमसिंह नगर में 3 और हरिद्वार में 2 केसेज पाये गये हैं। उसकी हमने जाँच करायी जिससे हमें पता चला कि ये वे इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश के बार्डर से जुड़े हैं। मान्यवर, इसमें यह कठिनाई आती है और जाँच में यह पाया गया कि कुछ परिवार पोलियो के ड्रॉप तो पिलाते हैं लेकिन वे टीकाकरण कराने से इंकार करते है। ये केसेज वहीं हैं। हमारा लगातार प्रयास जारी है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो 2 केस हरिद्वार और 3 केस ऊधमसिंह नगर में पाये गये हैं तो उनमें कितने मरीज ऐसे हैं जिनको नियमित पोलियो का ड्राप नहीं पिलाया गया या वाईरस में कोई जेनेटिक चेंज आ गया, जिसके कारण यह चेंज आया ? कितने परिवार हैं जो पोलियो ड्राप नहीं पिला रहे हैं तो सरकार द्वारा उनको प्रेरित किया जा रहा है या उनके अलावा कुछ और किया जा रहा है या उनके खिलाफ कुछ दण्डात्मक कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इससे जनता प्रभावित हो रही है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैंने हरिद्वार में 2 केस के बारे में अवगत कराया था क्योंकि हमको भी यह शंका थी कि नियमित टीकाकरण न होने के कारण हुआ होगा, लेकिन जब हमने उच्चाधिकारियों को भेजा तो उन्होंने भी पाया कि 2 परिवारों ने टीकाकरण करने से इनकार किया है, उनके लगातार प्रयास करने के बाद भी उन्होंने इनकार किया और जो 3 केस ऊधमसिंह नगर के हैं तो यह एक वर्ष ग्यारह महीने पहले का केस है, वहाँ भी नियमित टीकाकरण के अभाव की शिकायत मिली है, वह 4 माह पूर्व उत्तर प्रदेश से आया है यह उसकी जाँच में मिला है और दूसरा केस रुद्रपुर ग्रामीण की 27 मार्च, 2007 की है जिसमें नियमित टीकाकरण में 2 माह में एक खुराक पोलियो की दी गई है और 2 डोज दिये गये हैं, उस पर भी हम लोगों ने सूचना माँगी है और तीसरा बाजपुर के परिवार का है, जो मुस्लिम परिवार......।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, एक वायरस जो पोलियो का कीटाणु होता है तो क्या उसमें कोई जेनेटिक चेंज पाया गया है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इसमें दवा लेने से इंकार कर रहे हैं।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, पोलियो के वायरस के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इन दोनों प्रकरणों पर जाँच हो रही है, लेकिन जो प्रारम्भिक दृष्टि से आया वह यह है कि जहाँ पर टीकारण नहीं हो पा रहा है वहाँ अब हो रहा है और उत्तर प्रदेश से जो इधर आ रहे हैं उन्हीं में देखा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप इस प्रश्न को देख लें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, ठीक है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, जो परिवार पोलियो ड्राप नहीं ले रहे हैं क्या उनके खिलाफ आप कोई दण्डात्मक कार्यवाही कर रहे हैं ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इसमें दण्डात्मक कार्यवाही क्या हो सकती है ? इसमें तो जनजागरण के तहत ही हो सकता है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जिस जनजागरण अभियान का संदर्भ दिया गया तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि सामान्यतः वह बात देखने में आई और सुनने में आती है कि बार–बार पोलियो का ड्राप पिलाने से कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभाव भी हो सकता है, यह भ्रांति देखने को मिली और दूसरी जो तकनीकी बात है तो क्या अभी तक स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन के खराब होने की कोई ऐसी शिकायत मिली क्योंकि वैक्सीन को मेन्टेन न रखने से उसकी कोल्ड चेन टूटने से उस वैक्सीन का कोई फायदा नहीं, वह खराब होती है। जो इम्यूनिटी आनी चाहिए थी वह नहीं आई तो वह खराब होगी तो क्या स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसी कोई शिकायत आई है ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, लगातार प्रक्रिया में रहते हुए महीने में दो बार होता है, इसलिए साथ ही साथ निरीक्षण और परीक्षण भी होता है।

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, पोलियो के लिए डब्लू0एच0ओ0 के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से सरकार काफी प्रचार अभियान चलाये हुए है और यह सरकार की जिम्मेदारी भी है कि पोलियो उन्मूलन का जो अभियान चल रहा है, उसमें सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है।

मान्यवर, इतना प्रयास जनशक्ति और पब्लिक का पैसा खर्च करने के बाद भी, यदि कोई केस सामने आता है तो फिर इसके लिए सरकार द्वारा कोई और योजना बनायी जा रही है ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा इनके लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यदि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से पोलियो यहाँ आ गया है तो यहाँ पर भी डब्लू0एच0ओ0 द्वारा वही स्कीम चलायी जा रही है, जो वहाँ पर चल रही है। मान्यवर, जहाँ वाइरस डिटेक्ट होता है। क्या सरकार द्वारा यह जानकारी रखी जाती है कि इन परिवारों के बच्चों ने पोलियो की दवा नहीं पी है, या पीने से मना कर दिया है ? मान्यवर, शायद परसों भी पोलियो की दवा पिलायी गयी है, इस बार यह दवा पीने से कितने बच्चों ने मना किया है, यह जानकारी सरकार के पास है ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, जैसे कि मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ जो पोलियो ग्रस्त चिन्हित हुए हैं, उसकी सूचना सी0एम0ओ0 हरिद्वार को पहले से थी। मान्यवर, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि वे दवा पियें।

*श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के अन्दर कितने बच्चे पोलियो ग्रस्त हैं और कितने समय से उन्हें पोलियो से निजात मिल सकती है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कल्याणकारी योजना चलायी जा रही है ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, अभी तक पूरे प्रदेश में पाँच केस ऐसे हैं, जिनमें से तीन केस ऊधमसिंह नगर में तथा दो केश हरिद्वार में सामने आये हैं। जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस दशा में समाज कल्याण विभाग द्वारा योजनाएं चलायी जा रही हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, जिस तरह से पोलियो उन्मूलन के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि स्थानों पर पोलियो ड्राप पिलायी जाती है। क्या इसी तरह से जो छोटे वाहन प्रदेश के बाहर से प्रदेश में आते हैं, उनके लिए भी कोई योजना सरकार द्वारा चलायी जा रही है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, आदि प्रमुख स्थानों पर पोलियो ड्राप पिलायी जाती है और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो लोग अन्य प्रदेशों से वहाँ पर आते हैं, उनको भी दवा पिलायी जाय। मान्यवर, जो लोग छोटे वाहनों से प्रदेश में आते है उन सभी को दवा पिलायी जाय इसके लिए अन्य स्थानों का चिन्हींकरण कर दवा पिलायी जायेगी।

*श्री शहजाद–

मान्यवर, जब सी0एम0ओ0 हरिद्वार को जानकारी थी कि इतने परिवार पोलियोग्रस्त है तो इस सम्बन्ध में क्या सी0एम0ओ0 हरिद्वार ने किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से यह प्रयास किया कि इन परिवारों से मिलकर के इन्हें पोलियो की दवा पिलायी जाय।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, यह अच्छा सुझाव है। आगे से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी यह प्रयास किया जाएगा। अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से यह किया गया है।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान)

अतारांकित प्रश्न

जनपद पिथौरागढ़ के पर्यटक स्थलों को रज्जू मार्ग से जोड़ने हेतु रज्जू मार्गों का चयन

1–श्री मयूख महर–

क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि उनके द्वारा पिथौरागढ़ के अनेक पर्यटक स्थलों को रज्जू मार्ग से जोड़ने की घोषणा की थी ?

यदि हाँ, तो जनपद हेतु कौन–कौन से रज्जू मार्ग चयनित किये गये व उन पर कहाँ तक कार्य हुआ है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–तारांकित प्रश्न सं0 06 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

ध्वज, कपलेश्वर तथा खलियाटॉप रोप–वे को चयनित करते हुए यू0आई0पी0सी0 के माध्यम से टेक्नो इकोनामिक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति.

2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में 1126 स्वास्थ्य उपकेन्द्र फार्मोंसिस्टों के बिना ही चल रहे हैं ?

यदि हाँ, तो इन केन्द्रों पर स्वास्थ्य सुविधा जनता को किसके द्वारा दी जा रही है ?

क्या सरकार 1226 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर फार्मोसिस्टों की नियुक्ति यथाशीघ्र करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी नहीं।

प्रदेश में उक्त 1226 सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में फार्मसिस्टों की तैनाती नहीं होनी थी।

इन उपकेन्द्रों पर ए0एन0एम0 के द्वारा मातृ शिशु कल्याण, टीकाकरण तथा सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत वहाँ निवास करने वाली जनता को न्यूनतम उपचार/चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 539 परिवार कल्याण उपकेन्द्रों में ही फार्मासिस्ट के पदों का सृजन किया गया है।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पिथौरागढ़ हेतु स्वीकृत बेस अस्पताल का निर्माण

3–श्री मयूख महर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ हेतु स्वीकृत बेस अस्पताल का निर्माण कार्य किन कारणों से अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

क्या सरकार उक्त अस्पताल को नये स्थान पर बनायेगी ? यदि हाँ, तो क्या स्थल का चयन किया जा चुका है ? यदि हाँ, तो कहाँ और अस्पताल कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जिला चिकित्सा तथा महिला चिकित्सालय दोनो को मिलाकर बेस चिकित्सालय की स्थापना एवं पदों के सृजन हेतु शासनादेश संख्या 541/XXVIII–5–2005–42/2005 /541(1)/XXVIII–5–2005–42/2005 दिनांक 31–03–2006 को जारी किये गये हैं।

भूमि तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत राज0 संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार में ब्लड बैंक के संचालन हेतु टैक्नीशियन की नियुक्ति

4–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि पौड़ी जनपद के कोटद्वार विधान सभा के अन्तर्गत राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के परिसर कोटद्वार में ब्लड बैंक का भवन निर्मित है ?

लेकिन बिना टैक्नीशियन के ब्लड बैंक संचालित नहीं हो पा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ब्लड बैंक के सफल संचालन हेतु टैक्नीशियन की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी ?

यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

जी नहीं।

लैब टैक्नीशियन की तैनाती कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लालपानी सनेह क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण

5–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लालपानी सनेह क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के खुले हुए सत्ताईस वर्ष हो चुके हैं, परन्तु अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण नहीं हुआ है?

क्या सरकार यथाशीघ्र भवन का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लालपानी सनेह क्षेत्र में प्रा0स्वा0के0 स्थापित नहीं है, अपितु राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित है, जिसे खुले लगभग सत्ताईस वर्ष हो चुके हैं।

भवन निर्माण हेतु वर्ष 2007—08 की राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार विधान सभा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पदमपुर—मोटाढाक एवं झण्डीचौड़ का उच्चीकरण

6—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत—

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पदमपुर—मोटाढाक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झण्डीचौड़ के उच्चीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ वि0ख0 मुनस्यारी अन्तर्गत ग्राम सभा पातों में दुर्गा मन्दिर से नन्दा माई मन्दिर तक मार्ग का सुधारीकरण

7—श्री गगन सिंह रजवार—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम सभा पातों में दुर्गा मन्दिर से नन्दा माई के मन्दिर तक मार्ग का सुधारीकरण कार्य पर्यटन विभाग से किया जाना प्रस्तावित है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त—

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला अन्तर्गत विभिन्न पर्यटक स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर दर्शाये जाने की योजना

8–श्री गगन सिंह रजवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत छिपला केदार कौकिला कनार, छोटा कैलाश, नारायण आश्रम, जौलजीवी बालेश्वर तथा विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत रालम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर को पर्यटन मानचित्र में दर्शाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं।

उक्त पर्यटक स्थलों में से अधिकांश पर्यटक स्थलों का पूर्व से ही पर्यटन साहित्यों/मानचित्रों में प्रकाशन किया जा रहा है।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला अन्तर्गत सुप्रसिद्ध पर्यटक एवं ट्रैकिंग स्थलों के विकास एवं प्रचार प्रसार हेतु नीति

9–श्री राजेश जुवांठा–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के अन्तर्गत सुप्रसिद्ध पर्यटक एवं ट्रैकिंग स्थल हरकीदून, केदारकांठा, बराडसर, चांगशील (गोरी) जाख, कमलेश्वर, (पुरोला) सरताल और सोतरी (नौगाँव) आदि हैं ?

क्या यह सत्य है कि उक्त में से अधिकांश पर्यटक स्थल अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं ?

क्या सरकार उक्त पर्यटक स्थलों के विकास एवं प्रचार–प्रसार हेतु कोई ठोस नीति बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

जी नहीं।

हरकीदून, केदारकांठा, चांगशील एवं कमलेश्वर पर्यटक स्थलों के विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं तथा इनमें से अधिकांश स्थलों का टूरिस्ट मैप में मुद्रण कराकर प्रचार–प्रसार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला वि0स0 क्षेत्र में बरफिया लाल जुवांठा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा देने की कार्यवाही

10—श्री राजेश जुवांठा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र में "बरफिया लाल जुवांठा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरोला" को संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा देने हेतु शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को संयुक्त चिकित्सालय हेतु कोई कार्यवाही गतिमान नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र के अन्तर्गत विमाण्डेश्वर नामक स्थान के सौन्दर्यीकरण की योजना

11—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र अन्तर्गत विमाण्डेश्वर नामक स्थान के सौन्दर्यीकरण हेतु कोई योजना स्वीकृति हुई थी?

यदि हाँ, तो अद्यतन स्थिति क्या है

तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त—

जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2006—07 में द्वाराहाट के अन्तर्गत ग्राम रणां में विमाण्डेश्वर के पर्यटन विकास हेतु रु0 55.80 लाख की योजना पर स्वीकृति की गयी है।

योजना पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु रु0 10.00 लाख की धनराशि कार्यदाई संस्था सिंचाई निर्माण खण्ड रानीखेत को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

कार्यदाई संस्था द्वारा योजना का कार्य दो वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

12—श्री राजेश जुवांठा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में कितने चिकित्सक वर्तमान में कार्यरत हैं तथा कितने केन्द्रों में चिकित्सक उपलब्ध नहीं है ?

क्या सरकार चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने हेतु कोई कदम उठा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की तैनाती की प्रास्थिति निम्नवत् है :–

(क) सामु0 स्वा0 केन्द्र, पुरोला में 05 चिकित्सक तैनात हैं तथा पैथोलॉजिस्ट के पद के सापेक्ष 01 चिकित्सक संविदा के आधार पर कार्यरत है।

(ख) प्राथ0 स्वा0 केन्द्र, मोरी में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक तैनात है तथा एक नवनियुक्त चिकित्सक के तैनाती आदेश निर्गत किये गये हैं।

(ग) अति0 प्राथ0 स्वा0 केन्द्र, आराकोट में एक एम0ओ0सी0एच0 तैनात है तथा एक नवनियुक्त चिकित्सक के तैनाती आदेश निर्गत किये गये हैं।

(घ) राज0 एलो0 चिकित्सालय, नैटवाड़ में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक तैनात है।

(ङ) अन्य सात राज0 एलो0 चिकित्सालयों (राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय टिकोची/गंगाड/लिवाड़ी/गडोली, राजगढ़ी/कुमोला/गुन्दियाटगाँव) में अभी तक चिकित्सकों की कमी बनी हुई है।

लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजकर तथा संविदा के आधार पर चिकित्सकों को तैनात करने की कार्यवाही सतत गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट क्षेत्र के अन्तर्गत तड़ागताल के सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव

13–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत तड़ागताल के सौन्दर्यीकरण एवं जल भण्डारण योजना हेतु पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ने कोई योजना बना दी है और उसका प्रारूप क्या है ?

यदि नहीं, तो प्रारूप बनाने पर विचार करेगी और कब तक ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

तड़ागताल के सौन्दर्यीकरण, जल भण्डारण व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा सिंचाई विभाग, भू–गर्भ, पर्यटन, वन एवं भूमि अध्याप्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त टीम गठित कर सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत ग्राम मुण्डलाना ब्लॉक नारसन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए दानदाता द्वारा भूमिदान

14—काजी मौ0 निजामुद्दीन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत ग्राम मुण्डलाना ब्लॉक नारसन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए भूमिदान हेतु स्थानीय दानदाता द्वारा कोई अनुरोध किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

जी हाँ।

यथासंदर्भित अनुरोधों में से एक के आधार पर महानिदेशक से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए शासनादेश सं0—715/XXVIII—5—2006—107/2006, दिनांक 23—3—2007 द्वारा ग्राम मुण्डलाना ब्लॉक नारसन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2006—07 में रु0 52.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत बीरोंखाल एवं पोखड़ा (सेडियाखाल) में स्वीकृत पर्यटक आवास गृह का निर्माण

15—श्रीमती अमृता रावत—

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत बीरोंखाल एवं पोखड़ा (सेडियाखाल) में स्वीकृत पर्यटक आवास गृह के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करवायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री प्रकाश पन्त—

बीरोंखाल तथा पोखड़ा के लिए मार्गीय सुविधा योजना के अन्तर्गत पर्यटक आवास गृहों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रेषित पर्यटन विकास परियोजनाओं का विवरण

16—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा अब तक पर्यटन विकास की कितनी परियोजनायें केन्द्र सरकार को प्रेषित की गयी हैं।

और उनमें से कितनी परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है?

श्री प्रकाश पन्त–

राज्य सरकार द्वारा अब तक पर्यटन विकास की 57 परियोजनायें स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित की गई हैं।

उक्त परियोजनाओं मे से केन्द्र सरकार द्वारा 43 योजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, सरकार पोलियो ग्रस्त हो गयी है। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी जी, बताइये क्या अव्यवस्था है ? व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, पिछले बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सदन चला और आज मंगलवार आ गया है। कन्टीन्युटी में सोमवार नहीं आया। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। सोमवार का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वित्त, गृह, ऊर्जा, लोक निर्माण आदि महत्वपूर्ण विभाग है।

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति में इस विषय पर विचार कर लेंगे।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री खजान दास, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री गोपाल सिंह रावत, श्रीमती आशा, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री चन्दन राम दास व श्री बलवन्त सिंह मौर्याल, श्री हरिदास तथा काजी मौ0 निजामुद्दीन की कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैं इनमें से श्री खजान दास, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री गोपल सिंह रावत, श्रीमती आशा, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री चन्दन राम दास व श्री बलवन्त सिंह मौर्याल तथा काजी मौ0 निजामुद्दीन की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमारी नियम–310 की सूचना है। सदन के कार्य रोक कर उस पर चर्चा करा ली जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

उस पर विनिश्चय आ चुका है। आप उस विषय पर वॉक आउट कर गये थे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय सदस्य श्री खजान दास ने अपनी सूचना पढ़नी प्रारम्भ की।)

जनपद टिहरी गढ़वाल के बनाली पेयजल योजना के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खजान दास–

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा अन्तर्गत बनाली पेयजल योजना के निर्माण सम्बन्धी क्षेत्रीय जनता द्वारा विगत लम्बे समय से माँग की जा रही है किन्तु आज तक भी जनहित में उपरोक्त पेयजल योजना की स्वीकृति नहीं मिल पायी है। गौरतलब है कि उपरोक्त पेयजल योजना क्षेत्र की लगभग 10 हजार से अधिक आबादी की प्यास बुझाने हेतु अत्यन्त उपयोगी है तथा योजना के निर्माण सम्बन्धी कुछ माह पूर्व माननीय मंत्री जी द्वारा भी घोषणा की गई थी। किन्तु योजना निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही न होना जनहित में अहितकर है।

अतः मैं माननीय सदन में इस अविलम्बनीय लोकहित के प्रश्न को नियम–300 के तहत तत्वरित कार्यवाही हेतु रखे जाने की माँग करता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें विनिश्चय आ चुका है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या विनिश्चय आया है।

श्री अध्यक्ष–

वह सूचना अग्राह्य हो चुकी है। अब उसको दोबारा नहीं उठा सकते।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसको सदन में नहीं रख सकते हैं। आपका विनिश्चय कब आया, यह हमारे संज्ञान में नहीं है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्रीमती विजय बड़थ्वाल, आप सूचना पढ़ें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय सदस्य श्रीमती विजय बड़थ्वाल ने अपनी सूचना पढ़नी प्रारम्भ की।)

उत्तराखण्ड के हजारों शिक्षित बेरोजगारों को उत्तराखण्ड में स्थापित उद्योगों में प्रशिक्षण देकर उद्योगों में 70% रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, उत्तराखण्ड के सभी तेरह जिलों में हजारों शिक्षित बेरोजगार हैं, जो कि रोजी रोटी की तलाश में देश के विभिन्न शहरों में धक्के खाने को मजबूर हैं। उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिले उद्योग विहीन हैं। मैदानी जिलों में जो उद्योग लगे हैं, उन उद्योगों में इन बेरोजगारों को नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि इनके पास इन उद्योगों में होने वाले कार्य का अनुभव एवं प्रशिक्षण नहीं है और इन उद्योगों के मालिक यहाँ के बेरोजगारों को अपने इन उद्योगों में नौकरी नहीं देना चाहते हैं, जिससे उत्तराखण्ड में दिनों–दिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है और नवयुवक दिशा भटकने की स्थिति में आ गये हैं। बेरोजगारी को कम करने के लिए उत्तराखण्ड में स्थापित होने वाले उद्योगों में यह आवश्यक कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है कि प्रत्येक उद्योग ऐसे बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर इन उद्योगों में 70 प्रतिशत नौकरी दें। जिससे उत्तराखण्ड में बढ़ती बेरोजगारी पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करती हूँ।

डा० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत है। आज प्रदेश में विकास कार्य ठप है। हम बार–बार इस बात को सदन में उठा सकते हैं।

मान्यवर, 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न अधिकारियों की बैठक ली थी, उसमें स्वयं स्वीकार किया है कि कई विभागों का 10 प्रतिशत धन भी व्यय नहीं हुआ है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह रावत जी, आप अपनी सूचना पढ़िये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश चन्द्र निवासी बड़ेथी तहसील डुण्डा जनपद उत्तरकाशी की हत्या की जाँच रेगुलर पुलिस से करवाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोपाल सिंह रावत–

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट पुत्र केदारदत्त भट्ट निवासी ग्राम बड़ेथी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी दि0 18–06–2007 को अपनी गाड़ी संख्या–यू0ए0–07–के–1084 को लेकर ऋषिकेश से बुकिंग पर बद्रीनाथ के लिए गया था। दि0 25–06–2007 को समाचार पत्र में किसी अज्ञात लाश के संदर्भ में प्रकाशित समाचार के द्वारा श्री केदारदत्त भट्ट को जानकारी प्राप्त हुई। जब तक ये लोग नन्दासैंण तहसील गैरसैंण पहुँचे तब तक राजस्व पुलिस द्वारा अज्ञात लाश समझकर लाश को जला दिया गया था। उक्त शव के कपड़े तथा गाड़ी सीट कवर से पता चला कि कोई अज्ञात व्यक्ति इनके पुत्र की हत्या करके गाड़ी चुरा कर ले गया है। उक्त प्रकरण पर राजस्व पुलिस चौकी देवलकोट, तहसील गैरसैंण, जिला चमोली में वाद प्रचलित है और श्री भट्ट के अनुरोध पर राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को वाद स्थानान्तरण करने विषयक पत्र मेरे द्वारा फैक्स से जिलाधिकारी चमोली को पत्रांक–577/जाँच/2007, दिनांक 27 जुलाई 2007 को पत्र भेजा गया था। लगभग 6 माह पूरे होने को है उक्त वाद रेगुलर पुलिस को स्थानान्तरित नहीं किया गया। मृतक के माता पिता न्याय की तलाश में रात दिन विक्षिप्त होकर उत्तरकाशी से गैरसैंण व चमोली तथा देहरादून भागे फिर रहे हैं, अपने इकलौते पुत्र के अज्ञात हत्यारों को सजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किन्तु सरकार द्वारा इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

उक्त प्रकरण की रेगुलर पुलिस से जाँच करवाकर हत्यारों को कड़ी सजा दी जाये तथा मृतक के आश्रित वृद्ध माता पिता, विधवा पत्नी तथा नाबालिग बच्चों को भरण पोषण हेतु सरकार यथोचित सहायता करे।

अतः इस अविलम्बनीय तात्कालिक व लोक महत्व की सूचना को नियम–300 में लेकर प्रभावी कार्यवाही कराने की सरकार से माँग करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि..........।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष इस पर विनिश्चय आ चुका है तथा मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, मैंने माननीय गोपाल सिंह रावत जी को अनुमति दी थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विधान सभा की नियमावली और परम्पराओं की जानकारी तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को होगी ही, जब यह पहले इस मुद्दे पर बहिर्गमन कर चुके हैं तथा आपका विनिश्चय भी आ चुका है तो यह तो पीठ पर आक्षेप है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम तो पुनर्विचार करने के लिए ही आपसे निवेदन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी पुनर्विचार याचिका लगती है, सरकार चर्चा से बच रही है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर पुनर्विचार की अनुमति नहीं दे रहा हूँ, इस पर विनिश्चय आ चुका है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सरकार चर्चा करने को तैयार है लेकिन सूचनायें तो नियमों के अन्तर्गत आयें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्रीमती आशा जी की है।

जनपद रुद्रप्रयाग विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के ग्राम तमिण्ड पोला में हुए भूस्खलन से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती आशा–

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग विकास खण्ड–अगस्त्यमुनि के ग्राम तमिण्ड पोला में हुए भूस्खलन के कारण हुई क्षति की ओर लाना चाहती हूँ।

महोदय, ग्राम पंचायत तमिण्ड पोला में विगत दि0 14–08–2007 को हुई भारी वर्षा के कारण हुए भू–स्खलन से गाँव के पैदल मार्ग एवं कई नाली कृषि योग्य भूमि एवं सिंचाई गूलों से भारी क्षति हुई है। उक्त क्षेत्रों के किसानों द्वारा अपनी कृषि योग्य भूमि, पैदल मार्ग एवं सिंचाई गूलों की हुई क्षति के सन्दर्भ में जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया गया है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा जलागम को भू–कटाव रोकने एवं अन्य कार्य हेतु सर्वेक्षण कर आगणन प्रस्तुत करने को निर्देश दिये गये जो कि जलागम विभाग द्वारा छलोली गाड नाम से भू–कटाव रोकने हेतु विस्तृत आगणन तैयार कर शासन अथवा सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया गया लेकिन अभी तक धन की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वीकृति न मिलने के कारण भू–कटाव रोकने का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्रामीण जनता एवं जनप्रतिनिधियों में भारी रोष व्याप्त है तथा कभी भी आन्दोलन का रूप ले सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही किये जाने की माँग करती हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार को 8 माह हो चुके हैं......।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है, इस पर विनिश्चय आ चुका है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 31 मार्च को सी0ए0जी0 की रिपोर्ट आयेगी तो उससे पता चलेगा कि कितना व्यय नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री बलबीर सिंह नेगी जी की है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के बालगंगा रेंज के ग्राम कोट पट्टी कठूड़ में जंगली भालू के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के बालगंगा रेंज के ग्राम कोट, पट्टी थाति कठूड़ में जंगली भालू का विगत एक माह से आतंक चल रहा है। जिसमें ग्राम कोट के निवासियों की 60 गाय–बैलों को भालू ने मार कर गम्भीर नुकसान पहुँचाया है और उद्यानों व खेती/फसलों को हजारों रुपये की क्षति पहुँचाकर आतंक का वातावरण बना दिया है। सम्पूर्ण क्षेत्र के निवासी इस भय और आतंक के वातावरण से आक्रोशित हैं।

अतः इस अति अविलम्बनीय, तात्कालिक व लोक महत्व की सूचना को नियम–300 के अन्तर्गत सरकार को प्रभावी निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री बलवंत सिंह भौर्याल जी की है।

भारत सरकार के विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को बैंक ऋण की अनुदान की राशि निर्गत करने पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलवंत सिंह भौर्याल–

मान्यवर, हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि भारत सरकार की विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को बैंक ऋण की धनराशि अचानक रोक दी गई हैं। प्रदेश में हजारों लोगों को उक्त योजना से वंचित सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिस कारण जनपदों में धरना प्रदर्शन एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आक्रोश हो रहा है। हमने शासन प्रशासन के संज्ञान में डाला परन्तु गरीब अनुसूचित जाति की कल्याणकारी योजना को कुछ अधिकारियों की मनमानी नीति से बन्द कर दिया गया है। जबकि ज्ञात हुआ कि भारत सरकार द्वारा बराबर धनराशि दी जा रही है। जिससे हजारों बेरोजगारों को रोजगार देने की नीति को धक्का लग रहा है। जिस कारण अनुसूचित जाति के लोगों में आक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व की सूचना पर तत्काल शासन को अनुदान की राशि निर्गत करने व शासन को गुमराह करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

(नेता प्रतिपक्ष सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात पूर्ववत् कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य में मुसलमान जाटों को भी पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में जाट बिरादरी को पिछड़े वर्ग का दर्जा प्राप्त हो चुका है। राज्य में कुछ मुसलामन जाट भी रहते हैं परन्तु इनको पिछड़े वर्ग का लाभ नहीं मिल रहा है। अन्य राज्यों में मुसलमान जाटों को भी पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में भी मुसलमान जाटों को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किये जाने के लिए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2005–06 का वार्षिक लेखा विवरण

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत महालेखाकार द्वारा प्रमाणित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2005–06 का वार्षिक लेखा विवरण संपरीक्षा रिपोर्ट सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य सूचना आयोग का वर्ष, 2005–06 का वार्षिक प्रतिवेदन

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग का वर्ष 2005–06 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2007 के द्वितीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तराखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इस माननीय सदन द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2007 को पारित प्रस्ताव के अनुसरण में मैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के मूल निवास प्रमाण–पत्र, स्थाई निवास प्रमाण–पत्र और जाति प्रमाण–पत्रों के जारी करने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के उपाय सुझाने हेतु इस सदन की सर्वदलीय समिति का गठन निम्न प्रकार से करता हूँ :– 1. श्री प्रकाश पंत, माननीय सदस्य कार्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन 2. श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा 3. श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई", सदस्य विधान सभा 5. श्री दिनेश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा 6. श्री शहजाद, सदस्य, विधान सभा 7. श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा। श्री प्रकाश पन्त, माननीय संसदीय कार्यमंत्री समिति के सभापति होंगे। उक्त समिति अध्यक्ष, विधान सभा को अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य मंत्रणा की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 नवम्बर, 2007 की बैठक में 27 नवम्बर, 2007 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

नवम्बर, 2007

24 शनिवार	अवकाश
25 रविवार	अवकाश
26 सोमवार	बैठक नहीं होगी।
27 मंगलवार	विधायी कार्य

1. प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित "उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक 2007" पर विचार एवं पारण। (2 घण्टे)
2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया है और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गया है। बरसात के बाद जो सड़कें टूट गई थी उनको ठीक नहीं कराया गया। लोग 25–25 किमी0 पैदल चल रहे हैं। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, बारातों को 20–25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है।. (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत चौ0 यशवीर सिंह एवं श्री तसलीम अहमद, श्री प्रेमानन्द महाजन एवं श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री तसलीम अहमद एवं श्री हरिदास, श्री शहजाद, श्री केदार सिंह रावत एवं श्री राजेश जुवांठा, श्री मनोज तिवारी, श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई", काजी मो0 निजामुद्दीन, श्री हरिदास, श्री नारायण पाल, श्री प्रेमानन्द महाजन तथा श्री तिलक राज बेहड़ की कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से चौ0 यशवीर सिंह एवं तसलीम अहमद, श्री सुरेन्द्र राकेश एवं श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई" तथा श्री हरिदास की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राहयता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, विकास के कार्यों के लिए यह सरकार धनराशि स्वीकृत नहीं कर रही है। जो पेयजल की योजनायें हैं उनमें भी स्वीकृति नहीं दे रही है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे क्षेत्र में एक पेयजल योजना थी उसे स्वीकृति नहीं दी गई। मान्यवर, पानी हमें ही नहीं पीना है, पानी तो सभी लोगों को पीना है। हम प्रदेश की गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ सकते है। हम तो आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, हमें गरीब जनता ने जनादेश दिया है।......(घोर व्यवधान)

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, मेरा नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है कि यह लोक महत्त्व का प्रश्न है, इसे सुन लिया जाय, ये जनता के प्रश्न है इसके बाद हम भी आपके साथ हैं। पहली बार नियम–58 में प्रश्न लगा हुआ है। (मेजों की थपथपाहट)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस पर चर्चा स्वीकार कर ली जाय, हम सदन को व्यवस्थित कर लेंगे।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, यह किसानों से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण, अविलम्बनीय और लोक महत्त्व का प्रश्न है। मान्यवर, किसानों के प्राइवेट/निजी नलकूपों पर देय बिलों को भाजपा सरकार ने जमा करने की देय तारीख 31 अक्टूबर तक रखी है। किसानों का मुख्य स्रोत गन्ना होता है, मिलें अभी तक नहीं चल पाई हैं और पिराई अभी तक नहीं हो पाई है। यहाँ पर संसदीय कार्यमंत्री जी भी बैठे हैं। किसान जो खाद और बीज लेते हैं, उसे गन्ना सोसाइटी प्राथमिकता के आधार पर काट लेती है। मान्यवर, इसमें समय सीमा 31–10–2007 से बढ़कर 31 मार्च, 2008 कर दी जाय। सरकार का यह बहुत ही अच्छा निर्णय होगा, इससे किसान भी लाभान्वित होंगे। मान्यवर, किसानों के जो घर के कनेक्शन हैं उनसे अधिभार नहीं हटाया गया है। यहाँ माननीय मंत्री जी बैठे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि किसानों के घर के कनेक्शन पर से सरचार्ज हटा लिया जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष–

इस पर विनिश्चय आ चुका है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा विनिश्चय आ चुका है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, तब मैं सदन में नहीं था।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप बार–बार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। मैंने विनिश्चय दे दिया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह कहीं नहीं लिखा है कि हम किसी मुद्दे को बार–बार नही उठा सकते हैं। मान्यवर, जनता त्राहि–त्राहि कर रही है। बार–बार आग्रह करने पर भी सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। अतः मैं और मेरा दल इस मुद्दे पर सदन का परित्याग करता है।

(नेता प्रतिपक्ष अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो विषय माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया है, उसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में सरकार ने किसानों के प्राइवेट नलकूपों पर बिल जमा न होने पर उस पर लगा अधिभार समाप्त कर किसानों को अपने बिल बिना अधिभार के जमा करने हेतु 31 दिसम्बर, 2007 तक का समय दिया गया है। चूंकि यह समय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में सम्मानित सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि विद्युत अधिनियम, 2003 के प्राविधान के अन्तर्गत विद्युत दरों का निर्धारण माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के क्षेत्राधिकार में है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की सहमति से उन उपभोक्ताओं के निजी नलकूपों के विद्युत संयोजनों पर बकाया धनराशि के सरचार्ज माफ करने की योजना स्वीकृत की गई है जिसकी तिथि दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 निर्धारित की गयी

और दिनांक 30–06–2007 तक अवशेष विद्युत बकाया की मूल राशि का पूर्ण भुगतान कर देने पर कुल सरचार्ज, अन्यथा मूल राशि का आंशिक भुगतान करने की दशा में आंशिक भुगतान के अनुपात में सरचार्ज माफ किया जायेगा।

(नेता प्रतिपक्ष अपने दल के साथ सदन में वापस आ गये।)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, विद्युत नियामक आयोग के क्लाज–17 में सरकार को यह अधिकार है कि वह नियामक आयोग को समय–समय पर निर्देश दे सकती है। चाहे वह बिल का मामला हो या दर तय करने का हो। यदि सरकार को यह लगता हो कि नियामक आयोग के निर्देश सही नहीं हैं तो यह नियामक आयोग को निर्देश दे सकती है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है ?

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, 15 दिन का समय दिया गया है और किसान को 20 दिन बाद तो पेमेन्ट मिलता है ? प्रारम्भ में बाकी पैसा किसान का सोसाइटी द्वारा काट लिया जाता है। (घोर व्यवधान)

*हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य चौधरी यशवीर सिंह तथा काजी मौ0 निजामुद्दीन की बातों से अपने–आपको सम्बद्ध करता हूँ। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विद्युत नियामक आयोग इन सारी व्यवस्थाओं को नियमित करता है ताकि कोई व्यवधान न हो। जो सरचार्ज माफ करने अथवा वसूलीकरण का प्रकरण है, विद्युत नियामक द्वारा 31 दिसम्बर, 2007 तक दिनांक 30–06–2007 तक की अवशेष विद्युत बकाया की मूल राशि का पूर्ण भुगतान करने को कहा गया है। कुल सरचार्ज अन्यथा मूल राशि का आंशिक भुगतान करने की दिशा में आंशिक भुगतान के अनुपात में सरचार्ज माफ होगा। अभी तो एक माह का समय है। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, जो 31 दिसम्बर तक की बात कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। इसके लिए पुनः प्रस्ताव किया जाना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में विद्युत नियामक को पुनः प्रस्ताव भेजेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने जो सूचना इस सम्मानित सदन को दी है, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण किसानों को आज तक खेती की सिंचाई के लिए निजी नलकूप का कनैक्शन जारी नहीं किया गया है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र के 886 काश्तकारों को आज तक नलकूप का कनैक्शन नहीं दिया गया, जबकि ये काश्तकार 6 माह पहले ही बिजली के कनैक्शन के लिए फीस जमा कर चुके हैं और बिजली विभाग द्वारा किसानों से बॉन्ड भी भरा लिया गया था। लेकिन आज तक इस दिशा में बिजली विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जिससे किसान बहुत दुःखी हो गये हैं, क्योंकि किसानों को अब गेहूँ की फसल बोनी है। यदि उनको समय पर नलकूप का कनैक्शन नहीं दिया गया तो पूरे प्रदेश में खाद्यान्न का अकाल पड़ जायेगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में अधिकांश गेहूँ यहीं से निर्यात होता है। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत कनैक्शनों पर सरचार्ज बहुत अधिक होने के कारण कुटीर ज्योति कनैक्शनों के बिल पर अधिक सरचार्ज देने के कारण ग्रामीण किसान बहुत परेशान हैं। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि खेती की सिंचाई के लिए पानी नहीं है क्योंकि बिजली विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक बिजली के खम्भे और ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये हैं। जबकि बिजली के खम्भों के लिए काश्तकारों द्वारा पैसा भी जमा करा दिया गया है। इससे पूरे प्रदेश में ऐसी दशा में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जायेगा। अतः इस अतिमहत्वपूर्ण लोकमहत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सम्मानित विधायक भगवानपुर ने जिस विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की माँग की है। जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा है कि बिजली विभाग द्वारा निजी नलकूप कनैक्शन लगाने के लिए आवेदन किये गये और उनको कनैक्शन नहीं दिये गये हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि मान्यवर, जितने भी नये कनैक्शन स्वीकृत किये गये हैं और जिन्होंने इसके लिए धनराशि जमा कर दी है। उनके सामान की आपूर्ति की जा रही है और शीघ्र से शीघ्र कनेक्शन स्थापित कर दिया जायेगा।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आपने शीघ्र से शीघ्र की बात तो कह दी लेकिन इसके लिए वहाँ कितने चक्कर काटने पड़ते हैं इसलिए इसको टाइम बाउण्ड कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, एक माह के अन्दर कनैक्शन स्थापित कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रेमानन्द जी, आपकी सूचना नियम–53 के अन्तर्गत दि0 23–11–07 को ले ली गयी है जिस पर सरकार ने ध्यान आकर्षित कर दिया है। अब आप उसी सूचना को दूसरे नियम में लेकर आ रहे हैं। इसलिए इसको मैं दुबारा दूसरे नियम में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

*श्री हरिदास–

मान्यवर, आपने नियम–58 में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, जनपद हरिद्वार के ब्लॉक नारसन में मिट्टी के तेल की विकट समस्या है। ब्लॉक नारसन मुजफ्फरनगर जिले से लगा हुआ है, इस ब्लॉक के राशन विक्रेता को मिट्टी का तेल हरिद्वार से उठाना पड़ता हैं। जबकि मिट्टी तेल का थोक गोदाम भी ब्लॉक के ही थिथौला ग्राम में तेल डिपो है इण्डियल ऑयल का। हरिद्वार के जो थोक विक्रेता है वह अपनी मनमानी करते हैं और कम तेल देते हैं। पहले तेल मंगलौर में देते थे लेकिन अब यह तेल हरिद्वार में दिया जाता है जिससे डबल खर्च पड़ रहा है। नारसन ब्लॉक के राशन विक्रेताओं को हरिद्वार के थोक विक्रेता मनमानी ढंग से तेल देते हैं। पूरा तेल राशन विक्रेताओं को नहीं मिल पाता। जिस कारण राशन कार्ड धारकों को तेल कम मिलता है। जिससे जनता में भारी रोष व्याप्त हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री हरिदास जी ने इस सदन में काम रोको प्रस्ताव के अन्तर्गत जो सूचना दी है, उसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि रुड़की तहसील के अन्तर्गत तीन ब्लाक नारसन, भगवानपुर तथा रुड़की आते हैं। जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस तहसील के अन्तर्गत तीन मिट्टी तेल थोक विक्रेता हैं जिनका सम्मिलित मासिक कुल आवंटन 432 के0एल0 है। जिसमें मै0 अशोक ऑयल ट्रेडिंग कम्पनी नारसन बी0पी0सी0 कम्पनी 70 कि0ली0, दूसरा मै0 जनता ऑयल स्टोर रुड़की, आई0ओ0सी0 कम्पनी 170 कि0ली0, तीसरा मै0 शीतल कम्पनी एच0पी0सी0 192 कि0ली आवंटित है। जहाँ तक नारसन ब्लाक का प्रश्न है, इस ब्लाक के विक्रेताओं की माँग 187 के0एल0 है जबकि नारसन ब्लाक में एक ही मिट्टी तेल थोक विक्रेता मै0 अशोक ऑयल ट्रेडिंग कम्पनी कार्यरत है , जिसका मासिक आवंटन केवल 70 के0एल0 है। फलस्वरूप अवशेष मिट्टी तेल के लिए हरिद्वार एवं रुड़की सम्बद्ध किया गया है, क्योंकि थिथौला ग्राम में लन्धौरा मिट्टी तेल डिपो स्थित है अतः सीधे डिपो से मिट्टी तेल की आपूर्ति फुटकर विक्रेताओं को नहीं की जा सकती है। मान्यवर, मंगलौर क्षेत्र नारसन ब्लाक के अन्तर्गत पड़ता है। नारसन स्थित मिट्टी तेल थोक विक्रेता को आवंटित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

70 के0एल0 मिट्टी तेल में से 08 के0एल0 मंगलौर शहरी क्षेत्र को वितरित किया जाता है। ऐसी स्थिति में अवशेष 117 के0एल0 मिट्टी तेल की आपूर्ति हरिद्वार एवं रुड़की से की जाती है। चूँकि नारसन में एच0पी0एल0 तेल कम्पनी का मात्र एक ही थोक विक्रेता है। इसलिए अन्य कम्पनी के थोक विक्रेताओं के माध्यम से नारसन ब्लाक की माँग पूरी की जा रही है।

*श्री हरिदास–

मान्यवर, मै0 अशोक ऑयल ट्रेडिंग कम्पनी नारसन को पहले 242 के0एल0 मिलता था और आज राशन विक्रेताओं को तेल हरिद्वार से उठाना पड़ रहा है। मान्यवर, झबरेड़ा कस्बे के और मंगलौर कस्बे के लिए 70 के0एल0 तेल दिया जा रहा है। मान्यवर, मंगलौर झबरेड़ा के लोग गाड़ी लेकर हरिद्वार जाते हैं तो मेरा कहना है कि हरिद्वार न जाकर मंगलौर से ही तेल ले लें तो क्या दिक्कत है। तो मेरी माँग है कि जो नारसन झबरेड़ा के डीलर हैं यदि उनकी मंगलौर में व्यवस्था कर दी जाए, तो मेरा कहना है कि मंगलौर में दे दें तो क्या दिक्कत है, तो लोगों को मंगलौर में ही तेल मिल जाए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपकी बात सत्य है, क्योंकि नारसन ब्लाक में 127 के0एल0 की डिमाण्ड है जबकि मै0 अशोक ऑयल ट्रेडिंग कम्पनी नारसन को मात्र 70 के0एल0 आवंटित होता है, तो निश्चित रूप से वहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे हरिद्वार और रुड़की से सम्बद्ध किया गया है। मान्यवर, आपके प्रस्ताव से कम्पनी के माध्यम से फुटकर विक्रेताओं तक तेल नहीं पहुँचाया जा सकता है, तो थोक व्यापारी के माध्यम से पहुँचाया जा सकता है, अतः आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित करेंगे।

श्री हरिदास–

मान्यवर, आप निर्देशित कर दें, मैं जानना चाहता हूँ कि मंगलौर में तेल दिया जायेगा या नहीं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय का परीक्षण करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों तथा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आपकी पीठ द्वारा निर्देश दिया गया था कि जो भी सार्वजनिक समारोह होंगे तो उसमें जनप्रतिनिधियों को स्थान दिया जायेगा। मान्यवर, अभी हमने फैक्स द्वारा गन्ना पेराई सत्र के शुभारम्भ का निमंत्रण पत्र मंगाया है, इसमें जिलाधिकारी द्वारा शुभारम्भ हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया इसको देख लें। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, बार–बार पीठ के निर्देशन के बाद भी सरकार और सरकार के अधिकारी गम्भीर नहीं हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो विषय माननीय सदस्य जसपुर द्वारा व्यवस्था के माध्यम से उठाया गया है वह गन्ना पेराई सत्र 2007–08 के शुभारम्भ के सम्बन्ध में है। अभी वर्तमान में विधान सभा का सत्र चल रहा है और किसी भी माननीय मंत्री ने उस शुभारम्भ में अपनी सहभागिता नहीं निभाई या तो माननीय मंत्री जी का उसमें नाम होता कि आप मुख्य अतिथि में होंगे जैसा कि आवश्यक रूप से आपके जो निर्देश हुए थे उसके अनुसार उस क्षेत्र के माननीय सदस्य अध्यक्षता करेंगे। मान्यवर, जहाँ ये प्रशासनिक कार्य हैं एक पेराई का सत्र आरम्भ हो रहा है और उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, अभी कहा गया कि जो भी अधिकारी हैं वह किसी भी समारोह में उपस्थित नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष–

सरकारी अधिकारी नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यदि अध्यक्षता करने के लिए नहीं बुलाया गया होता तो अलग बात होती। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, अभी कहा गया कि सरकारी अधिकारी नहीं होगा तो डी0एम0 सरकारी अधिकारी में नहीं आता तो माननीय मंत्री जी सदन को बतायें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह प्रशासनिक है और प्रशासनिक की हैसियत से उन्होंने शुभारम्भ किया है।

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, लोकार्पण हो रहा है न कि शिलान्यास हो रहा है। (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एवं बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्य बैठे-बैठे एक साथ अपनी बात कह रहे थे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

मान्यवर, 26 तारीख को सदन नहीं चल रहा था, तो माननीय मंत्री लोगों ने वहाँ जाकर उद्घाटन किया। मान्यवर, 29 तारीख को कौन सा सदन चल रहा है ? (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को अपराह्न 3:00 (तीन) बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(भोजनावकाश)

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, हमारी नियम-310 की सूचना थी, विकास कार्यों के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

*श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, आज न ही जिला योजना में पैसा मिल रहा है और न ही राज्य योजना में पैसा मिल रहा है। इस सरकार को एक साल हो चुका है और सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा भी नहीं कराना चाहती है। (व्यवधान)

*श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, विकास के मामले में इस सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहाँ होगी ?

श्री केदार सिंह-

मान्यवर, सरकार कुछ सुनना ही नहीं चाहती है।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि हमारी नियम-310 की सूचना पर नियम-58 के अन्तर्गत चर्चा करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष-

उस सूचना पर विनिश्चय आ चुका है। एक ही विषय पर दो नियमों के अन्तर्गत एक ही दिन चर्चा नहीं हो सकती है।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये तथा नारे लगाने लगे जिसके कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, वर्तमान में पुलिस व्यवस्था वर्ष 1861 में बनाई गई पुलिस अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप मुख्यतः संचालित है। इस व्यवस्था में परिवर्तन किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पद्मनाभैया कमेटी, मलीमथ कमेटी आदि गठित की गई, इन्होंने भी समय–समय पर अपने सुझाव भारत सरकार को दिये और श्रीमन्, उसके बाद डा0 सोली सोराब जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। जिन्होंने गहन अध्ययन किया और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सभी राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, जो निर्देश हैं, उसके अनुरूप अपना–अपना एक्ट बना लें। श्रीमन्, इसलिए इस उत्तराखण्ड की सरकार ने इन सभी प्रस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007, जिसे प्रवर समिति द्वारा तैयार किया गया, को प्रस्तुत किया है। श्रीमन्, जैसे कि आप भिज्ञ हैं, दिनांक 10 जुलाई, 2007 को यह विधेयक सदन के समक्ष आया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा और आपकी कृपा से इसको फिर प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। प्रवर समिति में 5 सदस्य इस माननीय सदन के महत्वपूर्ण सदस्य, माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी, माननीय श्री सुरेश जैन जी, माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश जी, माननीय श्री गोबिन्द सिंह बिष्ट जी, माननीय श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी और माननीय श्री गोपाल सिंह राणा जी की एक कमेटी का गठन किया गया और पाँच अलग–अलग बैठकों में श्रीमन्, बहुत गहन विचार–विमर्श के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर रखते हुए श्रीमन्, इस विधेयक को तैयार किया गया। श्रीमन्, हमारे राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को और पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी समय–समय पर साक्ष्य के लिए इस कमेटी में बुलाया गया और सभी के सुझावों को और परामर्श के बाद इस विधेयक को अंतिम स्वरूप दिया गया। उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन के अनुसार तथा जो माडल एक्ट तैयार किया गया था भारत सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, उसको भी ध्यान में रखते हुए और श्रीमन्, इस प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण इस एक्ट को तैयार किया गया। श्रीमन्, विशेष इस विधेयक में नवसृजित प्रदेश के निवासियों की भावनाओं के अनुरूप बहुत प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। श्रीमन्, इस विधेयक में जहाँ पुलिस को अधिकार सम्पन्न किया गया है, वहाँ पुलिस को कर्तव्यों के प्रति सचेत रखने और जिम्मेदार रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्राविधान किये गये हैं। श्रीमन्, इस विधेयक के अन्तर्गत जहाँ राजस्व पुलिस देश के अन्तर्गत उत्तराखण्ड एक ऐसा राज्य है............।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य भी "वेल" में आ गये तथा नारेबाजी करने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, पुलिस एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, इस पर चर्चा होनी है, 150 वर्षों के बाद एक महत्वपूर्ण विधेयक आपके सामने आया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमारी सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको अवसर दिया है, एक ही विषय पर दो–दो नियमों के अन्तर्गत कैसे चर्चा हो सकती है ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन आज इसे स्वीकार कर लीजिये।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

पुलिस एक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, उस पर अभी चर्चा होनी है, प्रवर समिति भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसमें आप लोग भी शामिल थे।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगे।)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आया है, आपके माध्यम से सभी सदस्यों से विनम्र अनुरोध है कि जो भी इस सम्बन्ध में सुझाव हैं, इस विषय पर अपने विचार लाने की कृपा करेंगे।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगे।)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष, डा0 हरक सिंह रावत जी को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, जिन माननीय सदस्यों ने पुलिस विधेयक के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये हैं। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें। मैं सदन को सूचना दे रहा हूँ कि माननीय सदस्यों को लैपटाप उपलब्ध कराये जाने हेतु माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि लैपटाप विधान सभा भवन के कक्ष संख्या 104 से प्राप्त कर लें।

मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 3:40 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 4:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन का स्थगन अपराह्न 4:15 बजे तक बढ़ा दिया है।

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने नियम–310 के अन्तर्गत जो सूचनाएँ दी थी, उन सूचनाओं में चर्चा कर ली जाय। क्योंकि यह प्रदेश के विकास का मामला है, इस सरकार ने विकास कार्य ठप्प कर रखा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यह प्रदेश के पुलिस एक्ट की बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। 150 साल पुराने पुलिस एक्ट को आज सदन में विधेयक के रूप में लाया जा रहा है। जहाँ तक आपने अपने विषय पर नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा कराने की बात कही है, उसको मैं अगले कार्य दिवस में नियम–58 के अन्तर्गत चर्चा के लिए स्वीकार कर लूँगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कब तक आप इसकी जानकारी दे देंगे ? (शोर)

श्री अध्यक्ष–

जो भी अगला कार्य दिवस होगा।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा कि जैसाकि मैंने पहले अनुरोध किया था कि यह 1861 के बाद, लगभग 150 वर्षों के बाद यह नये स्वरूप में आ रहा है। इस दिशा में कई माननीय सदस्यों ने इसे गम्भीरता से लिया है। इस दिशा में जहाँ विभिन्न माध्यमों से इस एक्ट के अन्दर तमाम व्यवस्था की गई है, चाहे वह राज्य के पुलिस बल का गठन हो पुलिस रेंज का जिला स्तर पर हो, पुलिस प्रतिष्ठान समिति का पुलिस अनुसंधान का हो। पुलिस बोर्ड की कैसे संरचना होगी इसके गठन का अलग से प्राविधान किया गया है। मान्यवर, पुलिस बोर्ड की संरचना किस प्रकार हो कौन–कौन इसमें सदस्य होंगे, कैसे उन्हें हटाया जायेगा। सदस्यों को रखे जाने का क्या प्राविधान होगा। इसका भी जिक्र इस विधेयक में किया गया है तथा इसमें कौन–कौन से सदस्य होंगे, कैसे उन्हें हटाया जायेगा। इसके अध्याय पाँच में पुलिस की भूमिका, कृत्य, कर्तव्य, अधिकार क्या होंगे, इन सब पर बहुत गहराई से विचार विमर्श कर, इन सभी बातों को इस एक्ट में समाहित किया गया है। इसके अतिरिक्त पूरे देश का पूरी दुनिया में अपनी एक अलग व्यवस्था है। राजस्व पुलिस के क्या अधिकार क्षेत्र होंगे। पुलिस कर्मियों को इसके अन्तर्गत पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं जिससे वे अपने कर्तव्य पर पूरी तरह से खरे उतर सकें इसकी भी विधेयक में पूरी व्यवस्था रखी गई है। पुलिस की जवाब देही के आन्तरिक तन्त्र कैसा होगा, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का राज्य गठन होगा। क्या संरचना होगी तन्त्र की क्या व्यवस्था होगी आन्तरिक दृष्टि से भी इस विधेयक में क्या प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये हैं। इसकी भी श्रीमन्, इसमें राज्य पुलिस बोर्ड के अन्तर्गत बोर्ड की संरचना किस प्रकार होगी इसका प्राविधान किया गया है। श्रीमन्, इस विधेयक में आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में पुलिस की क्या व्यवस्था होगी, उसको सम्मिलित किया गया है और आंतरिक सुरक्षा योजना में विशेष सुरक्षा की आवश्यकता को सम्मिलित किया गया है। श्रीमन्, इसमें पुलिस अधिकारियों के कल्याण के लिए पुलिस कल्याण ब्यूरो के गठन एवं उनके बीमा और जोखिम भत्ते तथा शिकायत निवारण की बात है। साधारण अपराध के अन्तर्गत अनियंत्रित आचरण के अपराध, समन्वय आदेशों और निदेशों का पालन न करने के लिए शास्ति तथा पुलिस वर्दी का अनधिकृत उपयोग, पुलिस अधिकारी और उसके कर्तव्य की उपेक्षा के लिए शास्तियां इसमें समाहित है। इसके अन्तर्गत इसमे क्या प्राविधान होगा उन सारे प्राविधानों को सम्मिलित किया गया है।

श्रीमन्, यह पुलिस एक्ट 1861 के बाद पहली बार इस प्रदेश में बना है। श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। श्रीमन्, पूर्व में भी जैसाकि आपने मंशा व्यक्त की थी कि 150 साल के बाद आज यह महत्त्वपूर्ण विधेयक इस सदन में आया है जोकि आपकी

कृपा से आपके आशीर्वाद से, आपने प्रवर समिति का गठन किया था। जिसमें माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी, श्री सुरेश चन्द्र जैन, श्री गोविन्द सिंह बिष्ट, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी हैं। श्रीमन्, हमने पाँच बैठकों को करके इस अधिनियम के एक–एक बिन्दु पर विचार करने की पूरी–पूरी कोशिश की है। श्रीमन्, इस विधेयक में बहुत सारे शब्दों को हटाकर नये शब्दों को सम्मिलित किया गया है। श्रीमन्, मैं अपनी तरफ से इस सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसमें सबके विचार आ जाए तो मैं अनुग्रहीत होऊँगा।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आपने आज मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 इस सदन के पटल पर रखा गया और सबकी भावनाओं के अनुरूप प्रवर समिति को यह भेजा गया ताकि इसमें जो कुछ भी सुधार हो सकते हैं उसको सर्वदलीय समिति के माध्यम से किया जाय। जिसके अन्तर्गत काफी कुछ इसके अन्दर समाहित किया गया है। मान्यवर, इसके कुछ बिन्दुओं पर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसाकि बिन्दु 23 और 24 इसमें प्राविधान है। बिन्दु 23 के अनुसार पुलिस अधीक्षक के स्तर या उससे उच्चतर स्तर का अधिकारी उस स्तर के पुलिस अधिकारी को, जिसका वह नियुक्ति प्राधिकारी है, दण्ड दे सकता है और उसके बाद बिन्दु 24 में निलम्बन की कार्यवाही का है। मान्यवर, पुलिस एक्ट के बिन्दु संख्या 24 में है कि "पुलिस अधीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ निरीक्षक या उससे निम्न स्तर के पुलिस अधिकारी को कारण अभिलिखित करने के उपरान्त निलम्बित कर सकेगा।" तो इस बिन्दु में यह आया है कि वह पुलिस अधिकारी को निलम्बित कर सकता है पर एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को निलम्बित करने का अधिकार जिले के एस0एस0पी को नहीं है, इस एक्ट के अनुसार यह महत्वपूर्ण बिन्दु है। मान्यवर, एस0एस0पी0 सड़क पर जा रहा है और कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के निलम्बन के लिए वह पहले कोतवाली को लिखे कि इसका निलम्बन करो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें पुलिसकर्मी शब्द भी आता तो ठीक होता। मान्यवर, इसी प्रकार से मुख्य पुलिस अधिकारियों की पदावधि के बारे में है तो इसमें थाना क्षेत्र में जो प्रभारी अधिकारी है उसके लिए न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि होगी, परन्तु जिले में अधिकारियों की कितनी अवधि होगी और रेंज में कितने अवधि होगी, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा चिन्तनीय विषय है कि पुलिस और अपराधियों के बीच सांठगांठ, तो इसके प्रति सचेत नहीं रहेंगे तो वे किसी न किसी तरीके से 20–20 साल तक रेंज में रहते हैं और अपराधियों से सांठगांठ रहता है। तो यह साफ होना चाहिए कि जिले में कितने समय के लिए किसी अधिकारी को नियुक्ति देना चाहते हैं और रेंज में कितने समय तक अधिकारियों को रखना चाहते हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए।

मान्यवर, यदि एक्ट में सभी चीजें नहीं होंगी तो एक्ट बनाने का उद्देश्य ठीक नहीं होता है। मान्यवर, इसी श्रृंखला में बिन्दु संख्या 39 पर पुलिस की भूमिका, कृत्य तथा

कर्तव्य को वर्णित किया गया है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है कि कोई सूचना थाने में दी जाती है तो पता चलता है कि दो घण्टे बाद वही सूचना सम्बन्धित अपराधी तक पहुँच जाती है, तो इसमें कहीं वर्णित नहीं है कि गुप्त सूचना को कोई पुलिस कर्मी सार्वजनिक करता है या सम्बन्धित अपराधी तक पहुँचाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, यह इसमें वर्णित नहीं है। मान्यवर, हम कोई महत्वपूर्ण सूचना थाने में देते हैं कि फलां जगह पर सट्टा चल रहा है तो पता चलता है कि एक घण्टे के बाद उसको सूचना मिल जाती है कि फलां आदमी ने शिकायत की है, तो इसमें कहीं न कहीं सूचनाओं को लीक करने की बात भी सम्मिलित करना आवश्यक होगा और यह जनहित में होगा। मान्यवर, इसी बिन्दु का पैरा "ण" कहता है कि जिला स्तर पर संगठित अपराध का अभिलेख रखना तो ठीक है, पर उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध नियंत्रण कानून जैसे कानून लागू हैं और पूरे देश के अन्दर संगठित अपराध चुनौती बनती जा रही है, उसमें संगठित अपराध करने वाले समूह का पब्लिक में नाम आना चाहिए शिलापटल और अखबारों के माध्यम से, जिससे लोग जान सकें कि ये संगठित अपराध में लिप्त हैं, तो यह करना ज्यादा हितकार होगा। मान्यवर, इस एक्ट के बिन्दु संख्या 85 के "ज" पैरा में है कि "ड्यूटी के समय नशे की हालत में पाया गया है"।

मान्यवर, इस पैरा के अनुसार अगर कोई पुलिस कर्मचारी या अधिकारी ड्यूटी के समय नशे में पाया गया तो वह बच सकता है। आज स्थिति यह है कि आप किसी भी बैरक में चले जायें तो वहाँ पर कांस्टेबिल के पास दो-चार शराब की बोतलें मिलेंगी। मान्यवर, यदि पुलिस शराब के नशे में किसी व्यक्ति के साथ कोई अभद्रता करता है तो उस स्थिति में यदि उसका मेडिकल किया जाता है तो मेडिकल रिपोर्ट यही आयेगी कि पुलिस ने शराब तो पी रखी है, लेकिन नशे में नहीं है। अर्थात् अपने होशो हवास में में है। मान्यवर, आज 50 प्रतिशत पुलिस फोर्स रात के समय शराब पीकर ड्यूटी देते हैं और रात के समय नशे में लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं। अतः मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस पैरा की सही ढंग से व्याख्या होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस अतिमहत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस अतिमहत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमन्, सबसे पहले तो निश्चित रूप से सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि देश के अन्दर किसी राज्य सरकार ने इतना साहसिक कदम उठाया है कि 150 वर्ष पुराना जो पुलिस अधिनियम था उसको नये सिरे से बनाने का कार्य किया। मान्यवर, पिछले सत्र में जब यह विधेयक विधान सभा के अन्दर लिया गया था तो उस समय इस विधेयक को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं व्याप्त थी। मान्यवर, यह आशंकाएं केवल आम जनमानस में ही नहीं थी, बल्कि शासन के जो भिन्न-भिन्न अंग हैं, उनमें भी व्याप्त थी कि यह सरकार संख्या बल के आधार

पर इस विधेयक को पास कराकर अपनी मनमर्जी करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार द्वारा सदाशयता का परिचय देते हुए स्वयं सरकार की ओर से प्रस्ताव आया कि इस विधेयक को तत्काल पारित न किया जाय, बल्कि इस सदन की एक सर्वदलीय प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो इस विधेयक पर सम्यक् विचार करें। जहाँ कहीं भी इस विधेयक में कमी हो, उस कमी को उजागर कर उसका निराकरण करें और एक ऐसा पुलिस एक्ट बनाये जिसमें किसी कमी की गुंजाईश न हो। मान्यवर, आज के परिवेश में पुलिस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, जनसाधारण से लेकर प्रदेश और देश की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व भी पुलिस का है। मान्यवर, जिस तरह से हमारे प्रदेश की सीमाएं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरी हुई हैं, उस दृष्टि से यह बहुत ही संवेदशील प्रदेश है। निश्चित रूप से पुलिस अधिनियम इसी के अनुरूप बना है और साथ ही साथ पुलिस तंत्र और ठोस और मजबूत बने इसी के अनुरूप जिम्मेदार बन सके और शक्ति सम्पन्न बन सके इन्हीं बातों का ध्यान इसमें रखा गया है। मान्यवर, पूरे देश के अन्दर उत्तरांचल एक ऐसा प्रदेश है, जिसके अन्दर पुलिस की दोहरी व्यवस्था है। यह व्यवस्था ब्रिटिश काल से चली आ रही है। मान्यवर, आज भी इस प्रदेश के लगभग 60 फीसदी क्षेत्र में राजस्व पुलिस द्वारा पुलिस के कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

मान्यवर, केवल 40 फीसदी क्षेत्र में रेगुलर पुलिस, वर्दीधारी पुलिस कार्य करती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि राजस्व पुलिस से पटवारी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य कराये जाते थे लेकिन वह राजस्व पुलिस, पटवारी सिस्टम के किस व्यवस्था के तहत काम करता था, किस अधिनियम के तहत काम करता था, किसी अधिनियम के तहत रेगुलेट होता था, विधि में कहीं इसकी व्यवस्था नहीं थी। मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए प्रवर समिति और सरकार को बधाई दूँगा कि पहली बार यह मौलिक काम इस अधिनियम के अन्दर हुआ है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को भी एक्ट से बांधने का काम किया गया। उनको भी एक्ट के तहत लाकर उनके काम को रेगुलेट करने का काम किया गया। इस प्रकार से राजस्व पुलिस की व्यवस्था को एक्ट में लाकर इन्हें और अधिक जिम्मेदार बनाने का काम किया गया।

श्रीमन्, अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जो प्रवर समिति की अध्यक्षता भी कर रहे थे, ने बताया कि जन साधारण के हितों को देखते हुए, शासन प्रशासन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर किस प्रकार से पुलिस बलों में काम करने वाले कार्मिकों की परेशानियों को ध्यान में रखकर इस एक्ट में व्यवस्था की गयी है। अभी माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल साहब इस पर बात कर रहे थे। उन्होंने पुलिस तंत्र में व्याप्त गड़बड़ियों का यहाँ पर जिक्र किया, उन सब बातों पर जोर देते हुए मैं कहना चाहता हूँ ज्यादातर देखने में आया है, मैं उत्तर प्रदेश के सदन से लेकर यहाँ तक कहता आया हूँ कि पुलिस का सिपाही, पुलिस का दरोगा और पुलिस का अधिकारी, मैं विशेष रूप से छोटे तबके के कार्मिकों की बात करता हूँ। लोग पुलिस कप्तान और डी0आई0जी0 की बात करते हैं। मैं बीट कांस्टेबिल के बारे में बताना चाहता हूँ, वह पुलिस बल का सबसे जिम्मेदार कार्मिक हैं। लेकिन जब हम नीतियों का निर्धारण करते

हैं तो पुलिस के जवान से अपेक्षा करते हैं कि वह 24 घण्टे काम करे। कड़कती धूप में चौराहे पर खड़ा रहे, लेकिन जब हम पुलिस के जवान को सुविधा देने की बात करते हैं तो हम यह मान कर चलते हैं कि पुलिस का जवान मशीन है, उसको किसी कैरियर ग्रोथ की आवश्यकता नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है, जब हम किसी दो स्टार लगे कार्मिक को दरोगा कहते हैं तो लोग कहते हैं कि वह एच०सी०पी० है, हैड कांस्टेबिल प्रोमोटेड। हम पूछते है कि इनको दो स्टार लगे हैं, फिर यह दरोगा क्यों नही हैं ? हमने कभी नहीं सुना है, पी०सी०एस०पी, आई०ए०एस०पी०, पी०सी०एस०, आई०ए०एस० में प्रोमोट होते हैं और नॉन पी०सी०एस०, पी०सी०एस० में प्रोमोट होते हैं लेकिन उनको प्रोमोटेड पी०सी०एस० और प्रोमोटेड आई०ए०एस० नहीं कहा जाता। यह कॉलोनियन पुलिस की मैन्टीलिटी है। यह पराधीन भारत की मैन्टीलिटी है कि वह एच०सी०पी० है, रैंकर है, डायरेक्ट दरोगा नहीं है। यह सब गलत है। यहाँ पर सब जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मैं नहीं जानता कि इससे कितने लोग सहमत होंगे लेकिन मेरा अनुभव है कि किसी पुलिस थाने के अन्दर स्टेशन हाऊस ऑफीसर सबसे महत्वपूर्ण कार्मिक होता है, उसे हैड मोहर्रिर कहा जाता है। यह थाने की हर चीज की देखभाल करता है। लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि वह एच०सी०पी० है, वह क्वालीफाईड नहीं है। मान्यवर, स्थिति यह है कि एक तरफ तो वह दरोगा की डाइरेक्ट भर्ती के लिए भी पात्र नही रहा, अब वह इम्तहान भी नहीं दे सकता है क्योंकि उसकी उम्र 40 साल की हो गई है, डाइरेक्ट भर्ती के लिए एप्लाई नहीं कर पायेगा और दूसरी तरफ वह हैड कांस्टेबल बन गया है, अब वह न ऊपर जा पायेगा और न नीचे जा पायेगा। उसके सामने यह बात रहती है कि उसकी काबिलियत का कोई उपयोग नहीं हो पायेगा।

मान्यवर, मैंने पहले भी यह बात कही है कि पुलिस बल को संवेदनशील बनाने के लिए जैसा, डा० सिंघल साहब ने भी कहा कि पुलिस तंत्र का जो सबसे संवेदनशील पार्ट है, जो बुनियादी चीज है, जो बेसिक एलीमेंट है, उसके सामने अपने भविष्य के लिए एक अंधेरी टनल नहीं होनी चाहिए। उसके सामने यह बात नहीं होनी चाहिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता, पुलिस का अधिकारी नहीं बन सकता। बल्कि यह होना चाहिए कि उसी काबिलियत और योग्यता का उसे पूरा लाभ मिलना चाहिए। श्रीमन्, इस विधेयक की धारा–24 में उल्लेख है कि "पुलिस अधिकारी या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ निरीक्षक या उससे निम्न स्तर के पुलिस अधिकारी को कारण अभिलिखित करने के उपरान्त निलम्बित कर सकेगा।" तो मान्यवर, क्या पुलिस का कांस्टेबल पुलिस अधिकारी नहीं है ? मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इस फर्क के बिना कि हम यहाँ बैठे है या वहाँ बैठे हैं, आप चाहे किसी भी देश या प्रदेश के पुलिस एक्ट को देख लें, सब जगह पुलिस के कांस्टेबल को पुलिस ऑफिसर ही कहा जाता है, लेकिन आज यह विधेयक यहाँ विधान सभा में आया है और यहाँ भी उजागर हो रहा है कि पुलिस का कांस्टेबल पुलिस अधिकारी नहीं है।

श्रीमन्, मेरी दृष्टि में वह सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी है, ही इज द मोस्ट विजीबल पुलिस ऑफिसर। मान्यवर, इसीलिए इन तमाम बातों पर यहाँ चर्चा होनी चाहिए, विचार होना चाहिए कि जो पुलिस की बुनियादी संरचना है, जो बेसिक एलीमेंट है, उसमें

और पुलिस तंत्र के अन्दर एक उत्साह होना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दुनिया की कोई भी वर्दीधारी फोर्स हो वह गिरे हुए मनोबल के साथ काम नहीं कर सकती है। यदि काम करना है तो पुलिस तंत्र की इस बुनियादी संरचना का मनोबल बढ़ाना होगा कि वह अपनी योग्यता और काबिलियत से आगे बढ़ सकता है, नहीं तो मान्यवर, वह सिर्फ समय काटने वाली बात ही करेगा और काम नहीं करेगा।

(माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल के अपने स्थान पर बैठे-बैठे कुछ कहने पर।)

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

माननीय सिंघल जी, मैं आपकी बात की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आज हमारे भी पुलिस एक्ट में यह उजागर किया जा रहा है कि पुलिस का कांस्टेबल पुलिस का अधिकारी नहीं है। मान्यवर, जो कोई भी पुलिस का काम करता है वह पुलिस का अधिकारी है, मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता यहीं पड़ोस के प्रदेश हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूँ। वह प्रदेश मेरे विधान सभा क्षेत्र का भी पड़ोसी है, वहाँ पर हैड कांस्टेबल विवेचना करता है और वह ही विवेचना अधिकारी होता है। लेकिन हमें एक तो कालोनियल पुलिस मेन्टीलिटी को छोड़ना होगा कि वह एक रैंकर है, वह अधिकारी नहीं है। जो प्रभारी पुलिस अधीक्षक बन गया वह हैड कांस्टेबल है, प्रमोटेड है या पी0पी0एस0 बन गया तो प्रमोटेड है या पी0पी0एस0 से आई0पी0एस0 बन गया तो भी प्रमोटेड है। तो इस प्रमोटेड वाली बात को भी बदलने की आवश्यकता है, इसके साथ ही मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है राजस्व पुलिस के सम्बन्ध में, चाहे वह पटवारी हो या अमीन हो या कानूनगो हो, जिसे जिले में राजस्व निरीक्षक भी कहा जाता है। पटवारी संघ और कानूनगो संघ वाले कई बार हड़ताल पर भी गये कि उनको भी, जब पुलिस एक्ट बने उसके हिसाब से उन लोगों के लिए भी, प्रावधान बने जिस प्रकार से पुलिस के लिए बना है। जैसे पुलिस कार्मिकों के लिए सी0आर0पी0सी0 का संरक्षण है कि बिना जाँच पूरी हुई उनके अधिकारी की गिरफ्तारी आदि नहीं हो सकती है, तो उनकी माँग थी कि पटवारी और कानूनगो को भी इसका संरक्षण प्राप्त हो। मेरा यह कहना है कि जो भी संरक्षण या बदलाव हम पुलिस को देने की बात कह रहे हैं, उनका संरक्षण इन पटवारियों तथा कानूनगो को भी दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, पटवारी, राजस्व के अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों को भी यह संरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि राजस्व पुलिस के प्रतिनिधि सादे कपड़ों में जो पुलिस के अन्य अंग हैं, उनका भी काम करते हैं जैसे एल0आई0यू0 की तरह लोकल इन्टेलीजेन्स को गैदर करते हैं, खतौनी भी बनाते हैं। श्रीमन्, हमारे प्रदेश की सीमाएं बहुत संवेदनशील हैं ऐसे में पटवारी को दोहरी, तिहरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। श्रीमन्, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री शहजाद-

धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे पुलिस एक्ट पर बोलने का अवसर दिया। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि 150 साल की व्यवस्था आज परिवर्तित हो रही है, महत्वपूर्ण यह है कि इसमें क्या-क्या परिवर्तन हो रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ,

जितना मैंने पढ़ा है उसके अनुसार यह पर्याप्त नहीं है। प्रवर समिति की पाँच बैठकें होने के बाद भी इसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। फिर यह 150 साल बाद बदला जाये या 50 साल बाद। अच्छा होता सरकार इसमें संयम से विस्तारपूर्वक बहस कराती। आज यह छोटा सा प्रदेश है 13 जिले हैं। दो व्यवस्थाएं हैं, एक व्यवस्था प्रदेश में बने तो पूरे प्रदेश में चाहे पुलिस की व्यवस्था हो या हर जगह राजस्व पुलिस की व्यवस्था हो। एक व्यवस्था हो इस प्रदेश में। अगर एकरूपता रहेगी तो यह प्रदेश अच्छा विकास करेगा और कानून–व्यवस्था की स्थिति ठीक रहेगी। जहाँ तक टाईम बांड करने की बात है, वही यह व्यवस्था नहीं है कि कोई पुलिस अधिकारी एक जिले में विभिन्न पदों पर कितने साल रहेगा। ऐसे कर्मचारी बहुत हैं जो 20–20 साल से एक ही जिले में बने हुए हैं। सब इन्पेक्टर को प्रमोशन देकर डिप्टी एस0पी0 बना दिया जाता है और वह उसी जिले में घूमता रहता है। यह व्यवस्था सही नहीं है। एक सब इन्सपेक्टर का यदि ट्रांसफर भी होता है तो दो महीने, तीन महीने में वह फिर हरिद्वार में उसी थाने में पहुँच जाता है। इस पर सरकार को विस्तार से चर्चा करानी चाहिए। जहाँ तक फैसेलिटी की बात है, मैं मानता हूँ कि इससे भी बेहतर फैसेलिटी मिले, लेकिन जो जवाबदेही आती है, उसमें भी उतना ही इजाफा होना चाहिए। भर्ती प्रकरण पर यदि चर्चा की जाय तो दो घंटे या दो दिन भी पर्याप्त नहीं होंगे। पुलिस बल का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं और मेरा दल चुप हैं। हरिद्वार में आज थाने दुकानों में परिवर्तित हो गये हैं। आज जैसे स्थिति हरिद्वार की बनी हुई है, मैं समझता हूँ कि एक दिन वह होगा कि वहाँ की जनता को संघर्ष के लिए सड़कों के सिवा और कहीं स्थान नहीं बचेगा। इसमें यह व्यवस्था नहीं है कि सरकार उसे किस तरह से रोकेगी। पुलिस बल बहुत ही जिम्मेदारी की व्यवस्था है। कानून–व्यवस्था की बात हो, धरना प्रदर्शन हो, रैली हो, सब में उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन जवाबदेही की जहाँ तक बात है तो शायद प्रवर समिति ने उस पर कम ध्यान दिया है। अभी माननीय शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने, माननीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने शराब की बात कही। हरिद्वार की स्थिति तो इतनी विकट है कि वहाँ दिन में भी मिल जाएंगे। मैं हरिद्वार की बात कर रहा हूँ।

मान्यवर, हरिद्वार के बाहर तो यह कहावत है कि सूर्य अस्त तो पहाड़ मस्त। जहाँ मस्त नहीं है, वहाँ पर तो इसे रोका जा सकता है। हरिद्वार में आपको दिन में ड्यूटी में भी इंचार्ज नशे में मिल जायेगा। हरिद्वार में अगर हत्यायें, लूट और डकैती की बात करें तो यहाँ पर यह हालत है कि किसी का भी जवाब नहीं, वहाँ पर डकैती को चोरी में बदलना आम बात है। एक वर्ष पहले मेरे क्षेत्र में एक डकैती हुई उसे पुलिस वालों ने चोरी में बदल दिया, चोरी में बदलना तो उनके लिए साधारण बात है, लूट को झगड़े में दर्ज कर देते हैं। हमारे बी0एच0ई0एल0 बहादराबाद में करीब 10 डकैती हुई है, जबकि वह पॉश कॉलोनी है, लेकिन आज तक एक भी खुलासा वहाँ की पुलिस बल द्वारा नहीं किया गया है। मान्यवर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रवर समिति को इस विधेयक पर और विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, जिससे पुलिस की इसमें जवाबदेही बढ़े, तभी इस प्रदेश का भला हो सकता है।

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, इसमें अभी माननीय चौहान जी चर्चा कर रहे थे, हम पुलिस एक्ट, 2007 ला रहे हैं, इसमें राजस्व पुलिस शामिल नहीं है। राजस्व पुलिस अधिनियम, लोकल एक्ट में अलग से हैं।

श्री अध्यक्ष–

श्री केदार सिंह जी, आपको बोलने का समय दिया जायेगा, आप अपनी बात उस समय रख सकते है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने पुलिस एक्ट के संशोधन पर अपनी बात को रखने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय सदस्य, डा0 सिंघल जी द्वारा रखे गये बिन्दुओं पर मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, इस सदन में प्रवर समिति को यह विधेयक सौंपा गया और माननीय प्रवर समिति ने उस पर गहन विचार–विमर्श भी किया। यह स्वाभाविक है कि इसके कई पहलुओं पर अलग–अलग नजरियों से देखने पर प्रवर समिति को भी लगा होगा, वर्तमान में हम भी इसको देख रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण बिल जो कि डेढ़ सौ साल पुरानी व्यवस्था है, उसका प्रतिवेदन मात्र पाँच मिनट पहले रखा, यह तो बहुत बड़ा बहस का हिस्सा है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यह तीन–चार दिन पहले सर्कुलेट हो चुका है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु रखे गये हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रक्षकों की भर्ती की जाती है, मान्यवर, इसके लिए 30 से 60 वर्ष की आयु हो, वह स्वस्थ हो, वह गाँव का रक्षक हो। यह सब होना आवश्यक है। पुलिस एक्ट कहता है कि भाई उसका कोई वेतनमान नहीं होगा। यह इसमें लिखा है। मैं समझता हूँ वेतनमान के रूप में कहीं पर इंगित किया गया है तो केवल जेब खर्च के रूप में। उसे मानदेय के रूप में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित होना चाहिए। लेकिन एक्ट में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था सीधे–सीधे नहीं की गई है। जिस तरह से पी0आर0डी0 के जवानों को है। लेकिन उनका कोई वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक उसी प्रकार से हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, अर्द्धसैनिक बल है उनको तो सीधे–सीधे भर्ती दे दी गई। पूर्व में एक व्यवस्था हमारे सामने आई थी, उपसुल के माध्यम से पुलिस में लोगों को एक प्रक्रिया के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा भर्ती भी किया गया। एक हजार पुलिस कर्मियों की आवश्यकता के सापेक्ष 460 जवानों की भर्ती की गई एक लम्बे समय बाद जो 460 लोग कार्यरत थे। वर्तमान में पूरी भर्ती प्रक्रिया से गुजरकर 276 लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उनको अभी तक पुलिस सेवा में स्थाई रूप से पुलिस नहीं कहा गया है, उसे पुलिस कांट्रेक्ट कहा गया है। इतना बड़ा यह पुलिस एक्ट बना है किन्तु

इसमें भी इसका जिक्र नहीं है। यही स्थिति होमगार्ड के लोगों की है। उनके लिए इस एक्ट में सीधी भर्ती की व्यवस्था होनी चाहिए। पुलिस भर्ती में उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कुछ प्रतिशत व्यवस्था उनके लिए सीधी भर्ती में की जानी चाहिए। इस एक्ट में उनके लिए कोई जिक्र नहीं किया गया। आज के समय में, चाहे वह होमगार्ड के जवान हों, पी0आर0डी0 के जवान हों या चाहे गाँव का चौकीदार हो, वह अवैतनिक होगा, अस्थाई होगा। मान्यवर, ऐसी स्थिति में फिर संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी और फिर संशोधन के लिए प्रवर समिति का गठन होगा।

मान्यवर, सदन चर्चा के लिए बना है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इनको भी इसमें समाहित किया जाए। जब पुलिस चुस्त–दुरस्त होगी तो अपराध भी कम होंगे और लोगों का उसके प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। अब मैं बात करता हूँ गाँव से शहर की पुलिस व्यवस्था की ओर, तो जिले के लिए इस एक्ट में यह व्यवस्था इंगित की गई है कि जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में पुलिस जिला का प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण समन्वय तथा समान्य निर्देशन के अधीनता में पुलिस अधीक्षक में निहित होगा। तो मान्यवर, पूर्व में तथा आज भी वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट जिले में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाला अधिकारी होता है। उसके अन्तर्गत उस जिले का एस0एस0पी0 सीधे–सीधे प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन होना चाहिए।

मान्यवर, इस विधेयक में पुलिस कानून की तमाम बातें कही गयी हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि जिलों की कानून व्यवस्था एस0एस0पी0 के अधीन है साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस विभाग एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन है। जिसको देखने से यह लग रहा है कि इस पुलिस विधेयक में अपर्याप्त कानून व्यवस्था निहित है। मान्यवर, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी एस0एस0पी0 जिलों में तैनात होता है, परन्तु इनका समन्वय प्रशासन के साथ क्यों स्थापित नहीं होता है ? मान्यवर, चर्चा के दौरान यह कहा जा रहा था कि कानून व्यवस्था पुलिस अधीक्षक के नीचे नहीं ला सकते हैं। मान्यवर, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस थाने में थानेदारों की तैनाती दो साल के लिए की जायेगी, मेरा कहना है कि आप जितने भी साल इनको तैनात करते हैं, उनके द्वारा कानून व्यवस्था चुस्त–दुरस्त हो जिससे जनता को सुविधा हो। मान्यवर, मेरा सुझाव है इनको कम से कम समय के लिए तैनात किया जाय, जिससे वह कानून व्यवस्था और जनता की सेवा को एक अच्छे रूप में कर सकें। पुलिस विभाग की समय–समय पर क्रॉस मॉनीटरिंग होनी चाहिए और उसको जवाबदेह भी होना चाहिए।

मान्यवर, अभी बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री शहजाद जी ने कहा कि जनपद हरिद्वार में सबसे ज्यादा लूटपाट होती है। इसी प्रकार हमारे राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में भी लूटपाट की घटना आये दिन लगातार होती रहती है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र मसूरी शहर की बात करता हूँ कि पुलिस वहाँ पर अपने इस कार्य के प्रति मुस्तैद नहीं रहती है। मान्यवर, लगभग चार माह पूर्व मसूरी में वृद्ध दम्पति का दोहरा हत्याकाण्ड हुआ था, जिसका खुलासा आज दिन तक नहीं हो पाया है। जिससे जनता पुलिस की कार्यप्रणाली पर सन्देह व नाखुशी का इजहार कर रही है। उससे पूर्व भी एक दुआ बहनों

का दोहरा हत्याकाण्ड हुआ और अभी तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया है। इस प्रकार सरकार कैसे कह रही है कि पुलिस व्यवस्था चुस्त–दुरस्त है और जनता के प्रति जवाबदेही है। जबकि उस समय वहॉं कि जनता ने पुलिस विभाग को सात दिन का समय भी दिया था। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र है, इस काण्ड के बारे में जनता मुझसे बार–बार पूछती रहती है, लेकिन पुलिस अभी तक इसमें खोजबीन नहीं कर सकी।

मान्यवर, जो अच्छे अधिकारी होते हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया होता है उनको अवार्ड दिया जाता है महामहिम राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन इसके अलावा ऐसे भी पुलिस अधिकारी हैं जो लापरवाही करते हैं अपनी ड्यूटी के प्रति और उनको बहुत कम पनिश्ड किया जाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जो एम0एल0ए0 हैं, आज यहॉं पर सदन में अगर सबकी राय हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोई एम0एल0ए0 कहीं जाता है तो सड़क पर पुलिस के कांस्टेबिल बैठे रहते हैं और खड़े नहीं होते हैं, वे देखकर अनदेखी कर देते हैं, इसके लिए अपना मुँह चुराते हैं। मेरा तो इसमें कहना है कि उनको एम0एल0ए0 को सैल्यूट मारना चाहिए और अगर वे अपने स्थान पर खड़े नहीं होते हैं तो उन्हें इसके लिए आदेशित करना चाहिए। मेरा तो कहना है कि अगर इतना भी इस सदन के सम्मान के लिए नहीं किया जाता तो यह पुलिस एक्ट बेकार है, इसमें इस चीज को रखना चाहिए।

मान्यवर, उनको हमारा सम्मान करना चाहिए और अगर कोई एम0एल0ए0 थाने पर जाता है तो उसको सम्मान देना चाहिए। चूँकि यह सब बातें हम लोगों पर लागू होती हैं, हम लोगों को एक जनप्रतिनिधि होने के नाते थाने पर जाना पड़ता है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि पुलिस का मनोबल गिरे नहीं। पुलिस किसी की व्यक्तिगत पुलिस नहीं है। पुलिस का कार्य इस प्रदेश की बेहतरी के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए है। कभी–कभी यह होता है कि अमुक लोगों के कहने पर यह कार्य करा गया जिसको पुलिस को प्रचारित और प्रसारित नहीं करना चाहिए। उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और पुलिस को ठीक से काम करना चाहिए। अगर कोई एम0एल0ए0 थाने पर जाता है और उसको सम्मान नहीं मिला, इतनी हिम्मत पुलिस की नहीं होनी चाहिए। जैसाकि अभी कहा गया है कि अधिकारी अगर कोई ठीक से काम करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है तो हम उसे एक अच्छा अधिकारी ही कहेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इन सब चीजों को पहले इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह एक्ट कैसे संचालित किया जायेगा, कैसा होगा इसको बाद में जब बात आयेगी तब देखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात के समाप्त करता हूँ धन्यवाद।

*श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, इस एक्ट में बहुत सी चीजों को अच्छा करने का प्रयास किया गया लेकिन अगर आप 78(ग) देखें जिसमें लिखा है कि सेवा करते समय मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को वित्तीय सहायता जैसा राज्य सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा निर्धारित किया जाय। मान्यवर, इससे अच्छा होता है कि मृतकाश्रित के रूप में नौकरी देने का प्राविधान होता। मान्यवर, सन् 1994 में एक सी0ओ0 जो मसूरी में तैनात थे, उसकी मृत्यु हो गयी उसके बाद उनकी विधवा सन् 2001 में, जब हमारी सरकार थी, माननीय कोश्यारी जी के यहाँ हमने देखा कि वह बिलख रही थी अपने जीविकोपार्जन के लिए और दूसरी तरफ एक ऐसा उदाहरण है कि एक आई0ए0एस0 जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके मृतकाश्रित के लिए अलग से पोस्ट क्रिएट की गयी।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में, अगर कोई अधिकारी या सिपाही अच्छा काम करता है तो उसे आऊट ऑफ टर्न प्रमोशन का जिक्र नहीं देखा है, तो आऊट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात भी इसमें आनी चाहिए।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस विधेयक, 2007 में जो संशोधन रखा गया है इसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम जानते हैं कि 1861 की राजस्व पुलिस की जो व्यवस्था है, तो राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस का काम करते हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो आज पहाड़ों में राजस्व विभाग की व्यवस्था चल रही है तो इसमें अधिकांश भारतवर्ष में वर्तमान समय में आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि उत्तरांचल राज्य बनने के बाद जहाँ पर पूरे राज्य में विकास की ओर यह राज्य आगे बढ़े तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हमारे सामने आये और मुझे याद है कि 3–4 साल पहले द्वाराहाट में एक हमारी पार्टी के प्रत्याशी स्वर्गीय श्री ललित मोहन जोशी की हत्या कर दी गई तो उसके बाद द्वाराहाट में पुलिस थाना की व्यवस्था की गई।

मान्यवर, आज जैसे नेपाल का बार्डर है तो वहाँ माओवाद की समस्या है। इसी तरह चीन का बार्डर है, तो बहुत सारे आतंकवाद से प्रभावित देश है तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य जिसमें बहुत सारी परेशानियाँ हमें दिखती हैं, तो यह राजस्व पुलिस की व्यवस्था बहुत कारगर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस का स्वरूप और ढांचा जो उत्तराखण्ड में है वह एक भाँति होना चाहिए और राजस्व पुलिस, जो कितनी अजीब सी बात है कि राजस्व विभाग के लोग पुलिस का भी काम करते हैं और पुलिस विभाग के लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते ही हैं, लेकिन जो उनकी मूलभूत परेशानी होती है, कभी दुःख दर्द भी होते हैं तो उसमें वे अपनी बात किसी माध्यम से आन्दोलन आदि माध्यम से नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरे कन्ट्री में राजस्व के लोग पुलिस का काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो ढांचा है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। मान्यवर, श्री सोली सोराब जी ने पुलिस की आधुनिकता के बारे में और आधुनिकीकरण के बारे में कुछ लिखा है, कुछ संशोधन किये हैं तो उसका भी अध्ययन किया जाए। मान्यवर, पूरी दुनिया में पुलिस का अच्छा ढांचा भी कई जगह पर है, हमें उसका भी अध्ययन करना चाहिए और उत्तराखण्ड की जो पुलिस है इसको और अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हमें बेहतर प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा मैंने कई बार पढ़ा है और सर्वेक्षण के अनुसार मैं पढ़ता हूँ।

मान्यवर, भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस 37वें नम्बर पर है। अगर इस विभाग में भ्रष्टाचार दिखता है, वह भी 37वें नम्बर पर है तो मैं महसूस करता हूँ, पुलिस दिन भर सभी लोगों के सामने रहती है। भ्रष्टचार के मामले में 36 विभाग उसके आगे हैं।

मान्यवर, मैं बार–बार इस बात को सदन के अन्दर और बाहर भी कहता हूँ। अगर कोई पूरी मुस्तैदी से कार्य करता है, तो वह पुलिस करती है। एक थाने में लगभग 20–25 की संख्या में पुलिस होती है, यह भी हो सकता है इनमें एक–दो खराब होंगे। मान्यवर, जब कभी मैं हल्द्वानी जाता हूँ तो मुझे रास्ते में कालाढूंगी दिखाई देता है, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पुलिस के क्वाटर बहुत छोटे–छोटे बने हुए हैं, ये लोग इन छोटे–छोटे क्वाटरों में कैसे रहते होंगे यह भी हमें सोचना होगा। मान्यवर, पुलिस की जो सैलरी है, यह भी बहुत कम है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। जो सैलरी इनको वर्तमान में दी जा रही है, इससे ज्यादा सैलरी इनको दी जानी चाहिए। मान्यवर, घटनाएं तो कहीं–कहीं पर होती हैं, इतना बड़ा राज्य है। मान्यवर, हमें इन पर विश्वास करना होगा। पूरे देश में और प्रदेश में जिस तरह से आज आतंकवाद बढ़ रहा है और जिस तरह की आशंकाएं सुरक्षा एजेंसियाँ व्यक्त कर रही हैं, इससे मुझे लगता है कि हमें पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ये और मुस्तैद होकर इनसे निपट सकें। मान्यवर, अन्त में मैं और मुस्तैदी के साथ कहना चाहता हूँ कि इनकी सैलरी बढ़ायी जानी चाहिए, आवास की व्यवस्था सही करनी चाहिए और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

*श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको सम्मानित मुन्ना सिंह चौहान जी से सम्बद्ध करते हुए, सर्व प्रथम प्रवर समिति के सम्मानित सभापति सम्मानित निशंक जी को धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने बहुत ही सूझ–बूझ का परिचय देते हुए इस विधेयक को बनाया है। मान्यवर, मैं दो बातों को इस सम्मानित सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ। मान्यवर, इस विधेयक में होमगार्ड्स एवं पी0आर0डी0 के जवानों के बारे में व्यवस्था नहीं की गयी है। जबकि ये जवान भी वही भूमिका अदा करते हैं जो भूमिका पुलिस निभाती है। मान्यवर, होमगार्ड्स के जवान राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति बहुत खराब है। इनसे छः महीने ड्यूटी करवायी जाती है और यह भी रोस्टर प्रणाली से। जब मन हुआ तब इनको हटाया भी जाता है। आज इनका मनोबल गिरा हुआ है। ये लोग खेतों में हल जोत रहे हैं, ये लोग बहुत कष्ट झेल रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इनके बारे में भी यह सरकार विचार करे। मान्यवर, ये लोग पुलिस का कार्य करते हैं, गाँवों में आज भी यह स्थिति है कि किसी गाँव में पुलिस का जाना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि किसी गाँव में कोई विवाद होता है तो वहाँ पर होमगार्ड्स के लोग चले जाते हैं और समस्या का निवारण कर लेते हैं। ये लोग अपना पूरा सहयोग पुलिस विभाग को देते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई प्राविधान इस एक्ट में नहीं गया किया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूँगा कि प्रवर समिति के माननीय अध्यक्ष इसमें होमगार्ड और पी0आर0डी0 के जवानों के लिए भी प्राविधान रखें। उनकी रोस्टर प्रणाली खत्म हो जाय क्योंकि पुलिस के सारे काम वे देखते हैं। उनकी नियुक्ति सारे मानकों के आधार पर होती है। उनकी नाप–जोख होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर भी 2–2, 4–4 महीने बाद उनको हटा लिया जाता है। मेरा अनुरोध है प्रवर समिति के माननीय अध्यक्ष जी से कि होमगार्ड और पी0आर0डी0 के जवानों की रोस्टर प्रणाली समाप्त कर दी जाय ताकि उनको सम्मान सहित जीने का मौका मिले, उनका मनोबल ऊँचा हो और वह अपना पूरा योगदान दे सकें।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, सबसे पहले मैं इसके क्रमांक–2 के बारे में कहना चाहता हूँ इसमें लिखा है "यह राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर समस्त उत्तराखण्ड राज्य और राज्य के बाहर तैनात राज्य पुलिस बल पर लागू होगा।" मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। मैं इसका समर्थन इसलिए नहीं कर रहा कि मैं सरकार को समर्थन दे रहा हूँ, मुझे यह जायज लगा। अभी बसपा के माननीय सदस्य ने एकल पुलिस बल की बात कही, मैं इस पर अपनी राय व्यक्त करता हूँ। राजस्व पुलिस के बारे में शंका व्यक्त की जा रही थी कि राजस्व पुलिस का जिम्मा रेगुलर पुलिस को देना चाहिए। मैं इसके लिए प्रवर समिति का आभार व्यक्त करता हूँ कि राजस्व पुलिस को रेगुलर पुलिस से अलग रखा। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसवालों का खौफ होता है, इसलिए इनको पटवारियों के अधीन रखा गया है। इसके लिए मैं प्रवर समिति का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन पटवारियों के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार नहीं हैं, उनको प्रशासनिक सुरक्षा दी जानी चाहिए।

मैं आपके सामने ताजा उदाहरण लाना चाहता हूँ, बसपा के माननीय सदस्य ने भी इसका जिक्र किया। पौड़ी जेल बनी है, उसमें पुलिस के सिपाही छोटे–छोटे कमरों में रहते हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पौड़ी आये थे, उन्होंने लाईन का निरीक्षण किया और एक आर0आई0 को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि छत टूटी हुई थी। इसके लिए धन भी मुहैया कराया जाय। क्योंकि यदि सख्ताई करेंगे तो उससे पहले सुविधा भी देनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि पौड़ी में एक केस हुआ, जिसमें एक आदमी ने दूसरे आदमी के सिर में रॉड मार दी। जब उस आदमी ने पुलिस में एफ0आई0आर0 दर्ज करानी चाही तो पुलिस ने एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की। ऐसे केसों में पुलिस कम्प्रोमाईज करने की बात करती है। कानून बने तो उसका कड़ाई से पालन भी होना चाहिए। जिसने पीटा होता है, पुलिस उससे भी कम्प्रोमाईज करना चाहती है। इस मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए, जिससे इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके और विकास कार्य आगे बढ़ें।

*श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पुलिस विधेयक, 2007 के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको अन्तर्मन से धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रवर समिति के सम्मानित अध्यक्ष जी और सम्मानित सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आवश्यक संशोधनों के बाद उत्तराखण्ड में पुलिस विधेयक, 2007 बनाया। पुलिस एक्ट, जो डेढ़ सौ साल पहले बना था, उसको संशोधित कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रवर समिति के माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने उत्तरांचल में पुलिस की व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्राविधान इस विधेयक में किये हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों को भी इसमें सम्मिलित किया होगा, इसके लिए भी मैं प्रवर समिति के माननीय सदस्यों और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूँ।

मान्यवर, रिट संख्या 310 ऑफ 1996, प्रकाश सिंह एण्ड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स मामले में जो निर्णय 22–06–2006 द्वारा किया गया, जिसमें कई प्रावधान किये गये, मैं चाहता हूँ कि जनहित में उनका भी समावेश उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट में होना चाहिए। मैं सरकार और प्रवर समिति को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस विधेयक में पुलिस के कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का समावेश किया है। मान्यवर, पुलिस विभाग से जनता का विश्वास जुड़ा हुआ होता है, लेकिन पुलिस जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतर पा रही है। जब हम थाने में कम्प्लेन करने के लिए जाते हैं तो हम चाहते हैं कि पुलिस हमारे साथ न्याय करे। चाहे मामला छोटा हो या बड़ा हो जब तक पुलिस जनता के साथ सहयोग और न्याय नहीं करेगी तो जनता को लाभ नहीं मिल पायेगा। इन सब चीजों के लिए भी इस विधेयक में प्रावधान रखा गया है, इसलिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ इसके अलावा पुलिस कर्मियों की संख्या में भी इजाफा होना चाहिए।

अभी माननीय ओम गोपाल जी ने कहा कि पी0आर0डी0 और होमगार्ड पुलिस के मुख्य अंग हैं। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में होमगार्ड और पी0आर0डी0 के जवान ही पुलिस की अपेक्षा जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। यदि होमगार्ड और पी0आर0डी को और सशक्त किया जायेगा तो यह जनहित में बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, अंत में मैं प्रस्तुत उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 का समर्थन करता हूँ।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, यदि हम किसी थाने में जाते हैं, उसमें लिखा रहता है कि पुलिस का सिपाही ठीक आपकी ही तरह है। यह बात ठीक है कि पुलिस का सिपाही 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है, मेरा अनुरोध है कि उनका मनोबल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किये जाने चाहिए और इस टाईप से किये जायं कि अक्सर देखने में आता है कि उनके आवासों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, जिससे उनका जो परिवार है, जो बच्चे हैं, उनकी परवरिश पर भी प्रभाव पड़ता है। जब एक पुलिस कर्मी की भर्ती होती है तो उसके बाद वह अपने बच्चों से कहता है कि बेटा पुलिस की नौकरी में कभी मत जाना। मेरा अनुरोध है कि उनको अच्छे आवास तथा अन्य सुविधायें दी जानी चाहिए।

मान्यवर, अक्सर एक दिक्कत आती है कि जब भी बड़ी–बड़ी रैलियां होती हैं तो पुलिस के सिपाही, अधिकारी के साथ तैनात रहते हैं, लेकिन जब कभी लाठीचार्ज आदि होता है तो अधिकारी शायद उनको आदेश देने के बाद खिसक जाते हैं और दंडित सिपाही ही होता है। जो भी कार्यवाही दंडात्मक होती है, उसमें सिपाही ही दंडित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भाई ओम गोपाल जी ने कहा कि पी0आर0डी0 और होमगार्ड के जवान जो अपनी सेवायें मुस्तैदी से दे रहे हैं, पुलिस की भर्ती में उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इसके साथ–साथ अनुरोध है कि एफ0आई0आर0 दर्ज करने की बात आती है तो मान्यवर, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जनता का भरोसा भी तभी बढ़ेगा जब एफ0आई0आर0 लॉज होगी। कभी–कभी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाती है। मैं अपने प्रवर समिति के अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूँगा जिन्होंने बहुत सुन्दर और बहुत अच्छे रूप में इसे रखा है। धन्यवाद।

श्री केदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो पुलिस विधेयक लाया गया है 2007 पुलिस एक्ट, 1861 के स्थान पर। हालांकि सीधे–सीधे जनता का इससे कोई लाभ या कल्याण नहीं होने जा रहा है। इसका मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वह पुलिस विभाग का इंटर्नल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारे पुलिस अधिकारियों के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर न रहे, वह बेहतर सेवा इस प्रदेश की जनता की कर सकें। इसमें मुख्य रूप से जो नियंत्रण की बात है, वह धारा 24 में दी गयी है। धारा 24 में नियंत्रण शब्द को हटाकर समन्वय को लाया गया है। जो नियंत्रण जिलाधिकारी का पुलिस अधीक्षक के ऊपर रहता था, उसको कर्टेल करके कोआर्डिनेशन के रूप में लाया गया है। क्या नागरिक एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस अधिकारी को अधिकार दिये गये हैं और जिलाधिकारी सिर्फ कोआर्डिनेशन की भूमिका निभायेगा ? यह एक्ट पुलिस के इंटर्नल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लाया गया है। हमारे संज्ञान में बार–बार यह बात आती है कि पुलिस के जवानों को ओवर ड्यूटी के बाद भी छुट्टियां नहीं दी जाती है। इससे डिस्आर्डर की भावना पनपती है। कई जगहों पर आर्म्ड पुलिस के जवान आत्म हत्या को भी उतारू हो जाते हैं। इस अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जबकि यह की जानी बहुत आवश्यक थी। जो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी कई महीनों से लगातार ड्यूटी पर है और वह बहुत आवश्यक कार्य से छुट्टी का आवेदन करता है और उसे स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उसके मन में इसके प्रतिफल के रूप में एक भावना पनपती है, तो ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि इतने माह या इतने दिनों की ड्यूटी के बाद यदि वह छुट्टी के लिए आवेदन करे तो उसे अवकाश मिले ताकि पुलिस में किसी प्रकार का असंतोष न पनपे और मानसिक रूप से वह जनता की सेवा के लिए तत्पर हो सके। धन्यवाद।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 पर, जो प्रवर समिति के माध्यम से पटल पर रखा गया है, उसमें चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, माननीय विधायक, श्री जोत सिंह गुनसोला जी, माननीय विधायक, नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय शहजाद जी और माननीय सदस्यों के विचारों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, विधेयक को पटल पर रखते हुए माननीय मंत्री जी ने काफी अतिश्योक्ति पूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि डेढ सौ वर्ष पुराने एक्ट का हम प्राविधान करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करना, प्रदेश में अमन–चैन पैदा करना और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि धर्म और कर्तव्य होता है। इसी निमित्त माननीय अध्यक्ष जी, जब बार–बार पुलिस व्यवस्था में और कानून व्यवस्था में खामियाँ माननीय न्यायालयों के सम्मुख आई तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह आदेश दिया कि राज्यों में राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाय। उसी निमित्त अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में भी राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से यह बयान आया कि उत्तराखण्ड पहला ऐसा राज्य है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कर एक सार्थक पहल की है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कहते हुए खेद हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं भी उसका सदस्य हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके पदेन अध्यक्ष हैं। मान्यवर, इसकी आज तक एक बैठक आहूत की गई है, उसमें पुलिस प्रणाली के बारे में और कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई, मुख्य सचिव, गृह सचिव और डी0जी0पी0 उसमें उपस्थित थे, सरकार द्वारा नामित सदस्य भी उसमें शामिल थे, उस दिन यह तय हुआ था कि समय–समय पर राज्य सुरक्षा आयोग की बैठकें होंगी, जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी और जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी उसका सम्मान होगा। लेकिन कहते हुए मुझे खेद हो रहा है कि राज्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि समय–समय इसकी बैठकें होंगी, लेकिन उस बैठक के बाद आज तक कोई बैठक नहीं की गई। जबकि राजनैतिक श्रेय लेने के लिए इस मुद्दे पर बयानबाजी हुई। सुरक्षा आयोग का गठन करके राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जो राज्य पुलिस बोर्ड है उसमें भी गठन करने की जो प्रक्रिया है, प्रवर समिति ने पृष्ठ–13 में जिसका उल्लेख भी किया है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राज्य पुलिस बोर्ड के गठन में जो सदस्य नामित हैं उसमें मैं भी एक मैम्बर हूँ। मैंने इस बात का उल्लेख इसलिए किया है कि यह सरकार राज्य की कानून व्यवस्था के प्रति और आम लोगों के प्रति कितनी संवेदनशील है। यह इसी से जाहिर होता है, जैसा कि माननीय सदस्य, केदार सिंह रावत जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस एक्ट के द्वारा पुलिस के अधिकारों को बढ़ाया जा

रहा है और जिलाधिकारी के अधिकारों को कम किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जन आन्दोलनों में कभी–कभी ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी होती है जब जनता और पुलिस आमने–सामने होती है। उस स्थिति में पुलिस एक पक्ष होती है और जनता दूसरा पक्ष होती है। ऐसी परिस्थिति में यदि सारे अधिकार एस0एस0पी0 या पुलिस अधीक्षक में निहित हो जायेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी विस्फोटक स्थिति हमारे प्रदेश के अन्दर खड़ी हो जायेगी। मैं चाहता हूँ कि दो पक्षों के बीच में जिलाधिकारी के अधिकार कम करने के बजाय और मजबूत इस एक्ट में किए जाने चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में आतंकवाद की गतिविधियों के प्रति हमारे माननीय सदस्यों द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई। यह देखने में आया है कि आतंकवाद की घटना चाहे सैलाकुई में हुई हो या ऋषिकेश में हुई हो, उन आतंकवादियों ने कई दिनों तक इस उत्तराखण्ड को अपना ठिकाना बनाए रखा। हमें आतंकवादी घटनाओं की सूचना हमारी इंटैलीजैंस पुलिस की बजाए और प्रदेश की पुलिस के बजाए उत्तर प्रदेश की दिल्ली पुलिस के माध्यम से मिलती है, तो यह निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए एक कष्टप्रद बात है। हमारी इंटैलीजैंस में कुछ खामियाँ है। मैं चाहता हूँ कि प्रदेश में इंटैलीजैंस चुस्त–दुरूस्त हों। आतंकवाद से निपटने के लिए एक सुदृढ़ और मजबूत व्यवस्था की जाए। उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद अक्सर यह देखने में आया है कि जो अचल सम्पत्ति है विशेषकर भूमि, उसमें पुलिस का हस्तक्षेप, बिना किसी मजिस्ट्रेट के, बिना किसी न्यायालय के आदेश के पुलिस अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो निश्चित रूप से यह चिन्ता की बात होती है। माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस द्वारा बिना किसी रिपोर्ट के अगर कानून व्यवस्था ध्वस्त की जा रही हो तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। मान्यवर, दो समुदायों में यदि कहीं सम्पत्ति लेकर विवाद है तो मान्यवर, पुलिस की जिम्मेदारी इतनी बनती है कि पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार हो और किसी भी स्थिति में पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मचारी को कानून नही छोड़ना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, यदि राज्य में कहीं पर सम्पत्ति का कोई विवाद होता है तो पुलिस वहाँ पर एक ही पक्ष को देखती है और जिले के जिलाधिकारी को इस बात की जानकारी भी नहीं होती है। जबकि इस प्रकार के मामले का निपटारा न्यायालय से होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में सम्पत्ति का मामला सबसे ज्यादा देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में देखने को मिलता है। मान्यवर, जिस प्रकार से विधायकों के लिए चल–अचल सम्पत्ति के ब्यौरे की पूरी जानकारी देना आवश्यक होता है, किन्तु पुलिस विभाग में यह देखने को नहीं मिलता है।

माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस विभाग में चाहे आई0पी0एस0, पी0पी0एस0 या पुलिस इन्सपैक्टर में भर्ती कर्मचारी हो, उनके चल–अचल सम्पत्ति का ब्यौरा लिया जाना चाहिए कि उनकी भर्ती से पूर्व इनकी सम्पत्ति कितनी थी और वर्तमान में कितनी है। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं रहती है। पुलिस प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए बनायी जाती है लेकिन वह कानून व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करती है। माननीय अध्यक्ष जी, जब दैवीय आपदा होती है तो पुलिस के पास उस आपदा को दुरस्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग में कुछ माह पूर्व

हमारे माननीय पूर्व विधायक श्री प्रताप सिंह पुष्पाण जी के सुपुत्र की मोटर साइकिल द्वारा दुर्घटना हुई तो वह लाश रात भर नदी में पड़ी रही क्योंकि पुलिस के पास रस्सी भी नहीं थी कि जिससे वे उस आपदा से निपट सकते। मान्यवर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यदि पुलिस अपना कर्तव्य ठीक से करती तो उसको बचा सकती थी। मान्यवर, ऐसी आपदा के लिए यदि पुलिस विभाग को उपकरण खरीदने हैं तो सरकार को उसके लिए धनराशि स्वीकृति करनी चाहिए। पूर्व में जब सुरक्षा सम्बन्धित बैठक हुई थी, तो मैंने आपदा सम्बन्धित मामले को उस बैठक में रखा था।

मान्यवर, मार्गों पर जगह–जगह पर उत्तराखण्ड पुलिस मित्र के बोर्ड लगे हुए हैं। लेकिन प्रायः यह देखने में आता है कि मित्र पुलिस जनता के प्रति मित्रता पूर्ण कोई व्यवहार तो नहीं करती है बल्कि आम जन को उसके द्वारा किये गये कार्य से परेशानी ही अधिक होती है। यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो आम जन पुलिस का लाभ नहीं ले पाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, जब भी देहरादून से कुमाऊँ मण्डल की ओर जाते हैं या फिर दिल्ली जाते हैं, तो रास्ते में पुलिस बैरियर पड़ते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपको भी शायद कभी–कभी इस दौर से गुजरना पड़ा होगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन बैरियरों पर खुले आम उगाही होती रहती है चाहे वहाँ से कोई मंत्री गुजर रहा हो या कोई विधायक लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर वसूली होती रहती है और बकायदा डायरी मेन्टेन की जाती है कि किस ट्रक ने पेमेन्ट किया या नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड जब बना था तो यहाँ की जनता का एक सपना था कि यहाँ पर राक्षसीपन हमको देखने को नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमको हिमाचल प्रदेश जाने का मौका मिला और आपको भी हिमाचल प्रदेश जाने का मौका मिला होगा। वहाँ पर यहाँ जैसी व्यवस्था हमको देखने को नहीं मिली। अगर पाँवटा साहब में एक बार टैक्स दे दिया तो हिमाचल प्रदेश में किसी भी जगह पर आपकी गाड़ी को नहीं रोका जायेगा, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर है। माननीय अध्यक्ष जी, होमगार्डों के बारे में अभी यहाँ पर माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखा और अपनी भावनाएँ व्यक्त की तो मैं अपने को भी उनसे सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि होमगार्ड्स की हालत बहुत ही खराब है। होमगार्ड्स जो देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को सिविल पुलिस से अधिक अच्छी तरह से संभाल रहा है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको थानों में द्वितीय नागरिक की तरह देखा जाता है और व्यवहार किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस पुलिस एक्ट में उनके कल्याण के लिए कुछ भी नहीं है। उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। इस पुलिस एक्ट में होमगार्ड्स के लोगों को जब से उत्तर प्रदेश में रहे थे, तब हम उनके सपनों को साकार नहीं कर पाए लेकिन अब उत्तराखण्ड में उनके सपनों को साकार करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से होमगार्ड्स, स्वयंसेवकों के कल्याण के बारे में सेवा नियमावली बनाने, रेगुलर किये जाने और एक निश्चित वेतन दिये जाने पर विचार किया

जाना चाहिए। जोकि इस पुलिस एक्ट में देखने को नहीं मिला है। हमें इन होमगार्डों के बारे में अधिक से अधिक सोचना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, महिला थानों की स्थापना इस प्रदेश में हुई है। मुझे श्रीनगर के महिला थाने में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ के थानाध्यक्ष को जो जीप मिली है वह बहुत ही जर्जर अवस्था में थी। जब किसी थाने का वाहन बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाता है वह वाहन महिला थाने को दिया गया। इन महिला थानों में कोई व्यवस्था ही नहीं है। वह थाना ऊबड़–खाबड़ बना हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, महिला थानों को एक मन्दिर की तरह होना चाहिए। जिससे कि अगर वहाँ पर कोई पीड़ित महिला जाए तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।

माननीय अध्यक्ष जी, महिला थाना और सामान्य थाने में अन्तर होना चाहिए। वहाँ पर गमले लगाने चाहिए, फूल लगाने चाहिए। जिससे कि कोई पीड़ित महिला वहाँ पर जाए तो वह अपनी पीड़ा को स्वच्छन्द रूप से कह सके। इसलिए महिला थानों में सुधार होना चाहिए। उनको मजबूत किया जाना चाहिए। कल्याण की बात भी कहना चाहता हूँ। मान्यवर, जहाँ मैंने सार्थक आलोचना की। मान्यवर, वहीं कल्याण के विषय पर, अध्याय–9 पृष्ठ संख्या–34 में कहा गया तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, पुलिस कल्याण की मृतक आश्रित की सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश में भी थी और उत्तराखण्ड में भी है। मान्यवर, कार्मिक विभाग का शासनादेश है और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 5 साल से अधिक किसी मृतक आश्रित का पिता या पति किसी सरकारी सेवा में है, और उसकी मृत्यु हो जाती है तो आयोग से बाहर के पद, जो कमीशन के बाहर के पद हैं उसके अनुसार उसकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति दी जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि श्रीमती पूजा नेगी का पति कांस्टेबल था और उनकी मृत्यु काशीपुर में हो गई तो श्रीमती पूजा नेगी पिछले 2 वर्षों से लगातार प्रयास कर रही है कि उनको नौकरी दी जाए। एस0एस0पी0 ऊधमसिंह नगर ने अपने पत्र में कहा कि उनकी योग्यता स्नातक है इसलिए आपको महिला आरक्षी पद पर नियुक्त किया जायेगा। कार्मिक विभाग, पुलिस मुख्यालय के श्री ए0पी0 अंशुमान ने 13 नवम्बर, 2007 के पत्र के माध्यम से कहा कि निदेशालय ने आरक्षी के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया और यह उल्लेख किया कि डी0जी0पी0 की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उसमें एक निर्णय लिया जाता है कि मृतक आश्रित को विभाग में केवल आरक्षी के पद पर या कांस्टेबल के पद पर ही नियुक्ति दी जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय जब जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में सदन के सम्मुख आया कि मिनिट्स के आधार पर बिना शासनादेश के कोई विभाग कार्यवाही नहीं कर सकता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि डी0जी0पी0 पुलिस के मृतक आश्रित के सम्बन्ध में अपने स्तर पर कोई नियमावली बना दे, कोई नियम बना दे और पूरा पुलिस विभाग उस पर अमल करेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मृतक आश्रित के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में समय–समय पर नियमावली बनी और किसी नियमावली के लिए कार्मिक विभाग सर्वोपरि होता है, तो उसके आदेश को धता बताते हुए, उसके आदेश की अवहेलना करते हुए

बिना शासन के संज्ञान में लाये हुए, पुलिस विभाग मृतक आश्रित के लिए नियमावली बना ले और उसे अमल में कर ले तो इससे बड़ी गलत बात क्या होगी ? तो एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा कि वह महिला लिपिक के पद नौकरी माँग रही है और पुलिस विभाग उसको जबरदस्ती आरक्षी/कांस्टेबल के पद पर नियुक्त करना चाहती है, इसलिए इस बात का उल्लेख किया और यह निश्चित रूप से हम सब के लिए चिन्ता की बात है। मान्यवर, एक बात पुलिस के कर्मचारियों के डी0ए0 और टी0ए0 के बारे में कहना चाहता हूँ कि वे भी दौरे पर जाते हैं, थाने में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी ड्यूटी पर जाते हैं तो उनके डी0ए0 और टी0ए0 के बिल लम्बित होते हैं। मान्यवर, कांस्टेबल, सब इंस्पैक्टर अपने वेतन से कोई सरकारी कार्य नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस पुलिस एक्ट में जो कल्याण की बात की जा रही है तो यह निश्चित होना चाहिए कि कोई भी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी जो अपने कर्तव्य के लिए यात्रा करते हैं, उसके वेतन बिलों का भुगतान एक निश्चित समय सीमा के अन्दर होना चाहिए। मान्यवर, पुलिस का मनोबल बढ़ाने के बारे में यहाँ पर किसी माननीय सदस्य द्वारा कहा गया है। मैं भी इसी सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि पुलिस का कई राजनैतिक कारणों से मनोबल गिरा है। मैं आपके सम्मुख एक उदाहरण देना चाहता हूँ, डी0ए0वी0 कालेज के छात्र नेताओं द्वारा एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में अभद्रता की जाती है और वहाँ पर तोड़–फोड़ की जाती है और कानून को अपने हाथों में लिया जाता है, जब पुलिस अधिकारी, कोतवाल अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कानून को अपने हाथों में लेता है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, एक्ट पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं पुलिस मनोबल के बारे में कह रहा हूँ। (व्यवधान)

*श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, जब पुलिस का मनोबल बढ़ेगा तो शासन अच्छा चलेगा और राज्य भी अच्छा चलेगा। इस बात के लिए मैं नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद देता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जब अपने कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है और सरकार द्वारा उन्हें दण्डित किया जायेगा तो निश्चित रूप से पुलिस का मनोबल तो गिरेगा। मान्यवर, जब हमने एक्ट बनाया है तो इसमें कम से कम राजनैतिक हस्तक्षेप होना चाहिए। चूँकि सरकारें तो आती–जाती हैं, लेकिन व्यवस्था हमेशा स्थाई होती है। मेरा आपसे आग्रह है कि पुलिस की एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि समाज में अच्छे व्यक्ति में भी बुराई हो सकती है और बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई हो सकती है। अन्त में मैं आपके सम्मुख महाभारत का एक उदाहरण रखना चाहता हूँ। "गुरु द्रोणाचार्य जी अपने आश्रम में बैठे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुए थे, उन्होंने दुर्योधन और युधिष्ठिर को बुलाया। दोनों ने गुरु के चरणों में नमन किया। गुरु ने कहा, दुर्योधन तुम जाओ दुनियाँ में और ऐसा व्यक्ति ढूढो जिसमें अच्छाई ही अच्छाई हो और युधिष्ठिर से कहा तुम जाओ दुनियाँ में और ऐसा व्यक्ति ढूढो जिसमें बुराई ही बुराई हो। दुर्योधन ने सोचा यदि मैं अपराधियों के यहाँ जाऊँगा, कत्ल करने वालों के यहाँ जाऊँगा तो उनमें बुराईयाँ ही बुराईयाँ होगी, दुर्योधन ने सोचा मैं संत, महात्माओं के यहाँ जाऊँगा, शायद उनमें अच्छाईयाँ ही अच्छाईयाँ होगी। मान्यवर, युधिष्ठर ने सोचा संत महात्माओं या महिलाओं के यहाँ जाऊँगा तो उनमें अच्छाईयाँ ही अच्छाईयाँ होंगी। (व्यवधान)

मान्यवर, मैंने महिलाएं देखी, इसलिए महिलाएं भी जोड़ दिया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, इसमें खण्डशः विचार भी माननीय आशा जी की तरफ से आ जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, युधिष्ठिर ने सोचा कि अपराधियों के यहाँ जाऊँगा तो उनके अन्दर बुराई ही बुराई होगी। दुर्योधन ने सोचा कि सज्जन के यहाँ जाता हूँ, वह एक सज्जन के यहाँ जाता है, दूसरे सज्जन के यहाँ जाता है, आश्रम में जाता है और गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम वापस आ जाता है। युधिष्ठिर एक अपराधी के यहाँ जाते हैं, एक चोर के यहाँ जाते हैं, एक डकैत के यहाँ जाते है और फिर गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में आ जाते है। दोनों गुरू द्रोणाचार्य के चरणों में नमन करते हैं। गुरू द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन बताओ, क्या तुम्हें दुनिया में ऐसा व्यक्ति मिला, जिसमें अच्छाई ही अच्छाई हो? दुर्योधन ने कहा, दुनिया में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, हर व्यक्ति में बुराई थी। दुर्योधन अहमी था, कहने लगा, दुनिया में एक मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ, जिसमें अच्छाई ही अच्छाई है। गुरू द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर तुम बताओ, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति मिला, जिसमें बुराई ही बुराई हो ? युधिष्ठिर ने कहा, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, जिसमें बुराई हो, हर व्यक्ति में कोई न कोई अच्छाई है। दुनिया में एक व्यक्ति मैं ही ऐसा हूँ, जिसमें बुराई ही बुराई है। गुरू द्रोणाचार्य ने कहा, इतिहास में और किसी बात के लिए द्रोणाचार्य को याद रखा जाय या न रखा जाय लेकिन इस बात के लिए अवश्य याद रखा जाएगा कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के गुरू थे। मान्यवर, मैं आपके चरणों में..........। (हँसी)

श्री भगत सिंह कोश्यरी–

मान्यवर, माननीय हरक सिंह रावत जी युधिष्ठिर बन गये हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को और पुलिस को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि पुलिस और सरकार का काम किसी व्यक्ति को अपराधी बनाना नहीं है। अपराधियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम सरकार और पुलिस को

करना चाहिए। यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। किसी सज्जन व्यक्ति को, किसी अच्छे व्यक्ति को अच्छा बनाना, सत्य मार्ग पर चलाना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है।

"उस पथ में पथिक की कुशलता क्या, बिखरे जिसमें शूल न हों।

नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हों।"

मान्यवर, हमारे प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी के कारण अपराध से जुड़ता चला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। हम हर बुरे व्यक्ति में अच्छाई ढूँढें। हर बुरे व्यक्ति में जो बुराई है, उसको दूर करने का काम करें। यदि इस प्रवृत्ति से काम करेंगे तो इस प्रदेश के शहीदों का जो सपना था कि ऐसा उत्तराखण्ड बने, जो खुशहाल हो, ऐसा उत्तराखण्ड हो, जो शान्तिप्रिय हो, उसको साकार कर सकते हैं। हमें इस प्रदेश को देवभूमि बनाना है। राक्षस भूमि बनाने से रोकना है। यही मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूँ, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। आदरणीय डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी, आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, आदरणीय शहजाद जी, आदरणीय जोत सिंह गुनसोला जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय नारायण पाल जी, आदरणीय ओम गोपाल जी, आदरणीय चन्दन राम दास जी, आदरणीय प्रेम चन्द्र अग्रवाल जी, माई केदार सिंह रावत जी, आदरणीय डा0 हरक सिंह रावत जी सहित 12 लोगों ने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अमूल्य विचार प्रकट किये हैं। श्रीमन्, मैं इन सभी का बहुत आभारी हूँ, आदरणीय डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को उठाया है, उन्होंने पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी का जिक्र किया है, इस एक्ट में दण्ड और लघु दण्ड का प्राविधान है और निलम्बन में तो सभी दण्ड आते हैं, तो इस प्रकार से यह इसमें कहीं न कहीं समाहित है। उन्होंने यह भी कहा कि एक रेंज में अधिक सेवा अवधि नहीं होनी चाहिए, 20–20 साल में कार्मिक एक ही जगह पर तैनात हैं, इसलिए ऐसा नियम होना चाहिए कि एक निश्चित अवधि के बाद उस मण्डल या जिले से बाहर उनका स्थानान्तरण हो जाय। तो इसके बाद जो विभाग की स्थानान्तरण नियमावली बनेगी तो उसमें यह समाहित होगा। इसके अतिरिक्त आपने कहा कि महत्वपूर्ण सूचनायें लीक करने के लिए अलग प्राविधान होने चाहिए, यह ठीक है कि कोई व्यक्ति पुलिस फोर्स में है और वह महत्वपूर्ण सूचनायें लीक करता है तो यह निश्चित रूप से गम्भीर अपराध है और इसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्राविधान है, इसलिए इसे अलग से करने के लिए आवश्यकता नहीं है। आपने ड्यूटी के समय नशे में रहने के बारे में बात कही है और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि यदि शराब पिये हो और नशे में न हो तो, यह बड़ा अच्छा सुझाव है, तो जब इसकी नियमावली इसी एक्ट के आधार पर बनेगी तो उसमें और भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।

(माननीय सदस्य, डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल के अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहने पर।)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ कि एक्ट के तहत ही नियमावली बनेगी और यदि एक्ट में ही छोटी–बडी सभी चीज होंगी तो एक्ट तो बहुत बड़ा हो जायेगा। इसके लिए निश्चित रूप से नियमावली में विचार होगा।

माननीय सदस्य, श्री मुन्ना सिंह चौहान ने राजस्व पुलिस क्षेत्र को प्रयासित करने की बात की है। राजस्व पुलिस उत्तराखण्ड के अन्दर अलग एक उदाहरण है और बेहतर तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करे उसके लिए अलग विधि है और एक्ट में जब उचित लगा उसमें प्रावधान किया गया है। आपने पुलिस कर्मियों के कल्याण की बात की है तो उसके लिए इसमें स्पष्ट है और एक पुलिस कल्याण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों के लिए बीमा और जोखिम के लिए प्राविधान किया गया है। जिसमें पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन देने की बात भी की थी, इनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या–क्या किया जायेगा, उसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उनकी तरक्की और व्यवसायिक प्रशिक्षण की बात थी, उसके लिए भी एक्ट में व्यवस्था है।

आदरणीय शहजाद जी ने भी उसी बात को कहा है कि पुलिस अधिकारी उसी जनपद में घूम–फिर कर वापस आ जाता है और स्थानीय स्तर पर उसके अपने निजी सम्बन्ध बन जाते है तो स्थानान्तरण नियमावली में इसको रखा जायेगा कि इससे कैसे बचा जाये। इसके अलावा पुलिस के कृत्यों, उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों के बारे में आपने कहा है तो जिन उत्तरदायित्वों के बारे में लापरवाही की बात है, उसके लिए जो भारत सरकार का मॉडल पुलिस एक्ट है और जो 2–3 राज्यों में एक्ट पास हुए हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिये हैं, उसके आधार पर इस एक्ट में व्यवस्था की गई है। अपने दायित्वों के प्रति वह जागरूक रहें, सजग रहें उसके लिए भी एक्ट में प्रावधान है। मान्यवर, इसके लिए शिकायत प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है ताकि आम आदमी उससे जुड़ सके। माननीय मुनसोला जी ने जिस बात को कहा है, आपने राजस्व पुलिस के लिए अलग कानून बनाने की बात कही है, इसके लिए इसमें व्यवस्था है। ग्राम रक्षक की बात आई है। यदि आप पृष्ठ 24 को देखें, क्योंकि यह नियुक्ति नहीं है, यह विशेष परिस्थितियों में किया गया है। जिस दिन वह कर्मी हो जायेगा, वह उस व्यवस्था से अलग हो जायेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कोई भी व्यक्ति बिना वेतन के क्यों काम करेगा।

श्री अध्यक्ष–

दो घंटे ही समय सीमा निर्धारित की गई थी। मैं उसे सवा दो घंटे कर देता हूँ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं 15 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूँगा। श्रीमन्, इसलिए ग्राम रक्षक के लिए मानदेय की व्यवस्था की गई है। जहाँ तक जिलाधिकारी के समन्वय एवं सामान्य निर्देशन की बात है। पहले भी यह व्यवस्था थी, आज भी है। जिलाधिकारी का सामान्य निर्देशन हो और उसका समन्वय भी हो। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जिलाधिकारी के अधिकार कम किये गये हैं, तो जिलाधिकारी के अधिकार कम करने का तो विषय ही नहीं है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, पूर्व में जो व्यवस्था थी उसमें जिलाधिकारी को एस0एस0पी0 कोआर्डिनेट करता था, लेकिन अब एस0पी0 करेगा।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, जो व्यवस्था है, वह पुलिस अधिकारी की है उसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नहीं हैं। जहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होगा, वह कोआर्डिनेट करेगा और जहाँ पुलिस अधीक्षक होगा, वहाँ पुलिस अधीक्षक कोआर्डिनेट करेगा। राज्य पुलिस बोर्ड की बात कही गई है कि नेता प्रतिपक्ष को रखा गया है तो उसमें आप पृष्ठ–30 को देखें तो उसमें न्यायविद्, शिक्षाविद् और समाज में जो गहन रूचि रखते हैं, उनको भी इसमें रखा गया है। इसमें आपकी भावनाओं को समाहित किया गया है। अभी माननीय गणेश जोशी जी ने मृतक आश्रित की बात उठाई है। तो धारा–78(ग) में मृतक आश्रित को वित्तीय सहायता तथा मृतक आश्रित को सेवा में लिए जाने का सेवा नियमावली में इसके लिए प्राविधान किया गया है। माननीय नारायण पाल जी यहाँ पर नहीं हैं। उन्होंने राजस्व पुलिस के लिए अलग से ढांचा बनाने की बात कही है। इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ। जो श्री सोली सोराबजी द्वारा मॉडल पुलिस एक्ट बनाया गया है, उसकी बाकायदा एक–एक लाईन को पढ़कर, विचार कर इसमें समाहित किया गया है। पुलिसकर्मियों की शिकायत की बात कही गई है। धारा–80 में इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। भवन इत्यादि के बारे में चर्चा हुई तो पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए, पुलिस महानिदेशक उत्तरदायी होगा, इसकी व्यवस्था एक्ट में है। माननीय ओम गोपाल जी ने होमगार्ड तथा पी0आर0डी0 के सम्बन्ध में अलग से शासित करने की बात कही है, वह स्वयंसेवी संघ हैं, इसकी भी व्यवस्था की है। माननीय यशपाल बेनाम जी ने आवास व्यवस्था की बात कही है, उसे भी समाहित किया गया है। माननीय चन्दन राम दास जी ने माननीय उच्च न्यायालय के जो दिशा–निर्देश हैं, उनकी बात कही है। इसको भी इसमें समाहित किया गया है।

मान्यवर, केदार सिंह रावत जी ने समन्वय एवं निर्देशन में काफी विचार–विमर्श किया, जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट की बात की है। हमने बहुत विचार–विमर्श के बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान के जितने भी एक्ट पारित हुए हैं, केन्द्र का मॉडल एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उस पर बिन्दुवार चर्चा करने के बाद जिस निष्कर्ष पर हम आये हैं, उसको इसमें समाहित किया गया है और अन्य अधिनियमों में भी जिलाधिकारी तो अधिवक्ता हैं। जिला अधिकारी को पूरी तरह से अधिकार भी भिन्न–भिन्न एक्ट के माध्यम से दिये गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट का एक्ट देखेंगे, मॉडल एक्ट देखेंगे तो बहुत से राज्यों ने जिला अधिकारी को समन्वयक नहीं बनाया है, हमने जिलाधिकारी को इस राज्य में समन्वयक किया है और सामान्य निर्देशन रखा है। आखिर हम पुलिस एक्ट बना रहे हैं उसको इतना तो अधिकार होना चाहिए, पुलिस को ताकतवर भी बनायें, उसके कर्तव्यों के प्रति उसे सचेत भी करें। मान्यवर, इस एक्ट के तहत पुलिस को पूरा अधिकार दिया गया है, लेकिन ऐसे विपरीत

और विषम परिस्थितियों में जिलाधिकारी सरकार के साथ सीधा–सीधा प्रतिनिधि होता है, इसलिए वह समन्वय कर सके और आवश्यकता पड़ने पर वह सामान्य निर्देशन भी दे सके, इसलिए यह व्यवस्था रखी गई है। मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय हरक सिंह जी का, आज रामायण का भी उदाहरण होता तो रामायण और महाभारत एक साथ रहते।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, जब हमारे साथ थे तो राम का नाम लेते थे।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, मैं नेता प्रतिपक्ष से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 1861 के बाद भारत सरकार ने चाहे वह पद्मनाभैया कमेटी का विषय रहा हो या मल्लीमथ कमेटी का विषय रहा हो, इस एक्ट में भी समय–समय पर परिवर्तन करने की संस्तुति आई। लेकिन किसी ने तो नहीं कहा अब यदि आपने कहा अतिश्योक्ति, तो अतिश्योक्ति कभी नहीं की, मैंने यह भी नहीं कहा कि हम पहले राज्य के हैं, हमने यह कहा कि डेढ़ सौ साल के बाद इस राज्य में पुलिस एक्ट को जनहित में, जनता के हित के लिए हम इसको ला रहे हैं। यदि देखा जाय तो उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद यदि कोई इस तरह का अधिनियम आये, जो आम जन को प्रभावित करता हो तो यह उत्तराखण्ड के इतिहास में यह पहला अधिनियम होगा। श्रीमन्, नेता प्रतिपक्ष जी ने राज्य सुरक्षा आयोग की बात कही, कहा कि उसकी मीटिंगें हुईं, मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि यह पहला राज्य है जिसने राज्य सुरक्षा आयोग के गठन की पहल की, बल्कि यह कहा कि राज्य सुरक्षा आयोग की बात हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार पाँच साल रही उसने कभी इस बात पर विचार नहीं किया। यदि इस सरकार ने इस पर पहल की है तो इसके लिए इस सरकार को निश्चित रूप से बधाई दी जानी चाहिए। मान्यवर, आपने कहा कि जिला अधिकारियों के अधिकार छीने गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिला अधिकारी के अधिकारों को हमने किसी प्रकार कम नहीं किया है, नियंत्रण जरूर हटाया गया है। यदि हम पुलिस एक्ट को ला रहे हैं, तो उसको सुदृढ़ करने के लिए ला रहे हैं।

मान्यवर, एक ओर स्वायत्तता चाहिए और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि उसमें नियंत्रण भी चाहिए। इसलिए जिलाधिकारी को उसका समन्वयक रखा गया है और सामान्य निर्देश भी रखा है। मान्यवर, आप चाहें तो भारत सरकार का जो मॉडल एक्ट है, जो गृहमंत्रालय भारत द्वारा भेजा गया है, उसको आप देखें तो श्रीमन्, उसमें जिलाधिकारी को कहीं नहीं रखा गया है। किन्तु समन्वयक के रूप में कभी–कभी उसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जायेगा। क्योंकि हमारा राज्य दो अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है तो काफी विचार–विमर्श के बाद समिति के वरिष्ठ माननीय सदस्य आदरणीय श्री दिनेश अग्रवाल जी जो मुस्करा भी रहे हैं, ने इस बात को रखा कि सामान्य निर्देश भी होने चाहिए। श्रीमन्, चल अचल सम्पत्ति का जिक्र भी सदन में आया। मान्यवर, पृष्ठ 19 के बिन्दु संख्या 46 में उल्लिखित है कि समस्त अदावित (लावारिस) चल सम्पत्ति को अपने

कब्जे में लेना और उसकी सूची उस पुलिस अधीक्षक को जो उसे विहित रीति से निस्तारित करने के लिए सक्षम होगा प्रस्तुत करना, प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा तथा वह सक्षम अधिकारिता वाले सम्बन्धित न्यायालय को उस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सूचित करेगा। राज्य पुलिस गठन बोर्ड की बात की है, वह आपदा प्रबन्धन से जुड़ा है। आपदा थानों के सशक्तिकरण की बात कही गई है। जैसाकि नये आपदा उपकरणों की बात कही गई है तो अवगत कराना चाहता हूँ कि नये उपकरणों को क्रय किया गया है। माननीय हरक सिंह रावत जी, सम्भवतः पिछली सरकार में आपदा मंत्री थे। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, नये उपकरणों को खरीदने की व्यवस्था तो हमारी सरकार द्वारा की गई थी। पहले नये उपकरणों के क्रय में रोक थी। उस समय केन्द्र में माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी मंत्री थे मैंने उनसे लड़ाई करके अर्थात राज्य की आपदा समस्याओं से उनको अवगत कराया। तब जाकर यह व्यवस्था हुई कि नये उपकरण खरीदे जा सकते हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, आपदा प्रबन्धन की बात सदन में कही गई और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये गये तो श्रीमन्, आपदा प्रबन्धन टास्क फोर्स का गठन भविष्य में किये जाने के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत भी है। मान्यवर, महिला थाना मंदिर होना चाहिए यह मैं समझ नहीं पाया। (हँसी) मान्यवर, यहाँ पर डी0ए0, टी0ए0 बिल की बात आई तो यह तो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है वह एक्ट में नहीं लिया जा सकता है। निश्चित रूप से इस एक्ट में बिना किसी दवाब के पुलिस अपना कार्य करेगी। बिना दवाब के काम करने के बाद भी, यदि पुलिस ठीक काम नहीं कर पाती है तो उसके लिए भी इस एक्ट में प्राविधान किया गया है। श्रीमन्, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा महाभारत का भी उदाहरण दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

पी0आर0डी0 और होमगार्ड जवानों की बात भी आई है।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, इस एक्ट में इसको नहीं जोड़ा जा सकता है।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, एक्ट में होमगार्ड, स्वयं सेवक वह पी0आर0डी0 की बात उल्लिखित है। इसलिए इसका उल्लेख किया गया।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, गार्ड की बात की गई है।

श्री ओम गोपाल—

मान्यवर, पी0आर0डी0 जवानों और होमगार्डस जवानों की रोस्टर प्रणाली समाप्त कर दी जाए।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

मान्यवर, यह पुलिस एक्ट है। यह विषय बिल्कुल अलग है। श्रीमन्, हमारी सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। हमारी कोशिश यह है कि राज्य में अपराधी पैदा ही न हों और कानून व्यवस्था में एकरूपता हो।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007

जैसा प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया

(विधेयक संख्या... वर्ष 2007)

पुलिस व्यवस्था की उभरती हुई चुनौतियों, कानून का शासन लागू करने, राज्य और जनता की सुरक्षा की समस्यायें, सुशासन एवं मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधिष्ठान विनियमों तथा प्रबन्धन, पुलिस की भूमिका, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पुनः परिभाषित करते हुए दक्ष व्यावसायिक, प्रभावी जवाबदेह और जनता की मित्र "पुलिस" को उत्तरदायी बनाए जाने के दृष्टिकोण से यह

—विधेयक—

भारत गणराज्य के 58वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियम हो :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और विस्तार

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 है।

(2) यह राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर, समस्त उत्तराखण्ड राज्य और राज्य के बाहर तैनात राज्य पुलिस बल पर लागू होगा।

(3) यह उस दिनांक को प्रवृत्त होगा जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर नियत किया जाय।

परिभाषाएं 2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(1) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है;

(2) "पशु" से गाय, भैंस, हाथी, ऊँट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरी और सूअर अभिप्रेत है;

(3) "मुख्य सचिव" से राज्य सरकार का मुख्य सचिव अभिप्रेत है;

(4) "जिला" से उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त और समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन जिले के रूप में अधिसूचित राजस्व क्षेत्र अभिप्रेत है;

(5) "जिला मजिस्ट्रेट" से ऐसा मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे जिले का सिविल प्रशासन सौंपा गया है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1974) की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है;

(6) "मण्डलायुक्त" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे इस रूप में पदाविहित किया गया है और "जो" उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त और समय–समय पर यथासंशोधित) भू–राजस्व अधिनियम, 1901 के अधीन अधिसूचित राजस्व मण्डल का प्रभारी है;

(7) "घरेलू सेवक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो (पारश्रमिक) "पारिश्रमिक" पर अथवा अन्यथा "," घरों में घरेलू कार्य करता है;

(8) "राज्य के विरुद्ध द्रोह" से किसी समूह या जनसंख्या के किसी भाग द्वारा [राजनैतिक उद्देश्य से] "ऐसा" [द्रोह] "राजद्रोह" अभिप्रेत है, जिससे किसी भारतीय क्षेत्र में किसी भाग के पृथक करना भी, सम्मिलित है;

(9) "आन्तरिक सुरक्षा" से राज्य के अन्दर विध्वंसकारी और राष्ट्रविरोधी ताकतों से राज्य की एकता व अखण्डता का परिरक्षण अभिप्रेत है;

(10) "युद्धमान गतिविधियाँ" से राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए [विस्फोट], "विस्फोटक", ज्वलनशील पदार्थ, आग्नेयस्त्र या अन्य घातक अस्त्रों या खतरनाक पदार्थों के उपयोग द्वारा किसी समूह की हिंसक गतिविधि अभिप्रेत है;

(11) "नैतिक अधमता" से ऐसे किसी अपराध में शामिल होना अभिप्रेत है, जो अन्य बातों के साथ–साथ छल–कपट, जालसाजी, स्वापक

(ड्रग), नशा, किसी महिला की शालीनता को ठेस पहुँचाना या भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1860) के अध्याय-6 में उल्लिखित राज्य के विरुद्ध किया गया कोई अपराध सम्मिलित है;

(12) "संगठित अपराध" में ऐसा अपराध सम्मिलित है जो हिंसा या हिंसा की धमकी द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने के सामान्य आशय के अनुसरण में किसी समूह या व्यक्तियों के गिरोह द्वारा किया गया हो;

(13) "सार्वजनिक आमोद एवं सार्वजनिक मनोरंजन स्थल" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायें;

(14) "पुलिस जिला" से ऐसा प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त "अधिसूचित" किया गया है।

(15) "पुलिस जिले की सीमा" से राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर राजस्व जिले का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(16) "पुलिस अधिकारी" से भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड पुलिस सेवा अथवा उत्तराखण्ड अधीनस्थ पुलिस सेवा के अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अन्य सेवा के पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित हैं;

(17) "पुलिस कार्मिक" से ऐसे पुलिस अधिकारी एवं समस्त अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिनके लिए पुलिस महानिदेशक अथवा उनका कोई अधीनस्थ अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है;

(18) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन विहित अभिप्रेत है;

(19) "सार्वजनिक स्थल" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहाँ जनता प्रवेश कर सकती है और इसमें निम्नलिखित स्थान सम्मिलित होंगे:-

(एक) सार्वजनिक भवन, स्मारक और उनकी परिसीमाएं; और

(दो) कोई ऐसा स्थान जो जनता को पानी प्राप्त करने, धोने स्नान करने या मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए सुलभ हो;

(20) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत है;

(21) "राजस्व पुलिस क्षेत्र" से इस रूप में विद्यमान अथवा राजस्व पुलिस क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया क्षेत्र अभिप्रेत है;

(22) "राजस्व पुलिस प्रणाली" से राजस्व पुलिस क्षेत्र में विद्यमान पुलिस की कार्य प्रणाली अभिप्रेत है;

(23) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(24) "सेवा" से इस अधिनियम के अधीन गठित पुलिस सेवा अभिप्रेत है;

(25) "अधीनस्थ पद" से सहायक अथवा उप पुलिस अधीक्षक के निम्न स्तर के पद अभिप्रेत हैं;

(26) "पुलिस अधीक्षक" से पुलिस जिला का प्रभारी पुलिस अधिकारी एवं समतुल्य पद के पुलिस अधिकारी अभिप्रेत हैं;

(27) "आतंकवादी गतिविधि" से समाज या उसके किसी भाग में आतंक फैलाने के उद्देश्य और विधि द्वारा स्थापित सरकार को अत्यधिक भयभीत करने के आशय से विस्फोटकों या ज्वलनशील पदार्थों या आग्नेयास्त्रों या अन्य घातक शस्त्रों या विषैली गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के पदार्थों के उपयोग द्वारा किसी व्यक्ति या समूह की कोई गतिविधि अभिप्रेत है;

(28) "पीड़ित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से आपराधिक अपहानि, जिसमें शारीरिक अथवा मानसिक क्षति, भावनात्मक पीड़ा, आर्थिक हानि अथवा उनके मौलिक अधिकारों को पर्याप्त रूप से हानि पहुँची हो तथा इसमें उत्तराखण्ड में लागू विधियों एवं उनका उल्लंघन भी सम्मिलित है;

(29) "साक्षी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है :—

(क) जिसने किसी अपराध के सम्बन्ध में जैसा विहित किया जाए, बयान दिया है या साक्ष्य दिया है या देने को सहमत हो गया है; या

(ख) उपरोक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति की सहयोगी अथवा सम्बन्धी द्वारा इस अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता अपेक्षित हो सकती है; या

(ग) किसी अन्य कारण से इस अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता की अपेक्षा करे।

टिप्पणी— ऐसे शब्दों और पदों का, जिनका इस अधिनियम में प्रयोग किया गया है, किन्तु जिन्हें विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दिया गया है।

अध्याय–दो

पुलिस बल का गठन एवं संगठन

3. (1) राज्य के लिए एक पुलिस बल होगा। — राज्य के लिए एक पुलिस बल का गठन

(2) पुलिस बल में ऐसे पद, सदस्य तथा ऐसा/ऐसे संगठन होंगे जो साधारण और विशेष आदेशों द्वारा राज्य सरकार विहित करे।

(3) राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण के अध्यधीन राज्य के पुलिस बल का प्रशासन पुलिस महानिदेशक में निहित रहेगा।

4. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य को एक या एक से अधिक पुलिस रेंज में विभाजित कर सकेगी। — पुलिस रेंज

(2) पुलिस रेंज में पुलिस बल का प्रशासन एक अधिकारी में निहित होगा, जिसका पद पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा।

5. जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में पुलिस जिला का प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य [नियंत्रण] "समन्वय" तथा "सामान्य" निर्देशन [के अधीन] "में" पुलिस अधीक्षक में निहित होगा। — पुलिस जिला

6. किसी विशेष श्रेणी के अपराध पर कार्यवाही करने या अपराध से पीड़ित व्यक्ति सहित समुदाय को आमतौर पर बेहतर सेवा प्रदान करने के प्रयोजन से राज्य सरकार किसी पुलिस जिले में एक या एक से अधिक विशेष प्रकोष्ठ सृजित कर सकेगी। — जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ

7. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा चौकियों सहित या उनके बिना पुलिस थाने सृजित करेगी। — पुलिस थाने

(2) [नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोगार्थ किसी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस वृत्त को एक से अधिक थाने सौंपे जा सकेंगे।]

"राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा वृत्त अधिसूचित करेगी और एक वृत्त में न्यूनतम दो थाने होंगे।

(3) थाने का प्रधान प्रभारी अधिकारी होगा जिसका पद पुलिस उपनिरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा।

8. राजस्व पुलिस प्रणाली के अधीन किसी जिले का ऐसा क्षेत्र होगा जिसे समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित किया जाए। — राजस्व पुलिस क्षेत्र

रेलवे पुलिस

9. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य में ऐसे रेल क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए जो विनिर्दिष्ट किये जाएं, पुलिस अधीक्षक के अधीन एक या एक से अधिक रेलवे पुलिस जिले सृजित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक पुलिस जिले को सहायक/उप पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी के अधीन एक या एक से अधीक वृत्तों में विभाजित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पुलिस जिले में एक अधिकारी के अधीन, जिसका पद पुलिस उप निरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा, एक या एक से अधिक थाने सृजित कर सकेगी।

राज्य [आसूचना] ''अभिसूचना'' विभाग

10. राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा [आसूचना] ''अभिसूचना'' के संग्रह, समाकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए राज्य [आसूचना] ''अभिसूचना'' विभाग सृजित कर सकती है।

राज्य अपराध अन्वेषण विभाग

11. राज्य सरकार साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अपराधों के अन्वेषण हेतु, या जैसा पुलिस महानिदेशक और/ या राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाए, अपराध, अन्वेषण विभाग सृजित कर सकती है।

विशिष्ट पुलिस इकाईयां

12. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी-

(1) राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विशिष्ट पुलिस बल का निर्माण, संख्या, कृत्य, उत्तरदायित्व भी अवधारित कर सकेगी।

(2) विशिष्ट पुलिस बल में ऐसा प्रशासनिक ढांचा और पदानुक्रम होगा जैसा विहित किया जाए।

(3) विशिष्ट पुलिस बल के कर्तव्य, उत्तरदायित्व, शक्तियाँ और विशेषाधिकार ऐसे होंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(4) राज्य सरकार साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे विशिष्ट पुलिस बल को भंग कर सकती है अथवा युक्ति संगत बना सकती है।

13. विधि के प्रवर्तन और व्यवस्था बनाये रखने या ऐसी परिस्थितियों में जब शान्ति के भंग होने की सम्भावना हो और आपदा प्रबन्धन कार्यों, बन्दियों के अनुरक्षकों या ऐसे अन्य कर्तव्यों के पालन में, जिनके लिए विशेष शस्त्र या रणनीति में कुशल या सशस्त्र पुलिस की उपस्थिति आवश्यक हों, सिविल पुलिस की सहायता के लिए राज्य सरकार समुचित मानव शक्ति सहित प्रत्येक पुलिस जिले के लिए सशस्त्र पुलिस रिजर्व के रूप में और राज्य के लिए समुचित संख्या में सशस्त्र पुलिस बटालियन के रूप में सशस्त्र पुलिस इकाईयाँ या विशेष सशस्त्र पुलिस इकाईयाँ सृजित करेंगी। ऐसे रिजर्व बटालियनों का गठन, प्रशिक्षण, तैनाती और प्रशासन इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार होगा। जिला सशस्त्र रिजर्व एवं राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन

14. [इस निमित्त विहित नियमों के अधीन रहते हुए पुलिस अधीक्षक किसी भी समय अपने हस्ताक्षर तथा मुहर से लिखित आदेश द्वारा नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।] विशेष पुलिस अधिकारी

"इस निमित्त विहित नियमों के अधीन रहते हुए विशेष परिस्थितियों में विशेष पुलिस अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।"

15. (1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण–सह–शिक्षा नीति निर्धारित कर सकती है। इस नीति का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों में, जैसे–जैसे वे अपने व्यवसाय में प्रगति करते जाएं, में उपयुक्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं प्राप्त करने के लिए सेवा संस्कृति को प्रोत्साहित करना भी होगा। पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं

(2) राज्य सरकार साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं सहित पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकेगी।

(3) पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा प्रशासन इस प्रयोजन हेतु बनाये गये विनियमों के अनुसार होगा।

16. (1) राज्य सरकार पुलिस और अपराध से सम्बन्धित विषयों पर अनुसंधान करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना कर सकेगी। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

(2) ब्यूरों का प्रशासन और कामकाज की परिस्थितयाँ ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

तकनीकी एवं सहायक बल

17. राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक के समग्र नियंत्रण में तकनीकी अभिकरणों और सेवाओं का सृजन एवं अनुरक्षण कर सकती है, जैसा समय–समय पर अधिसूचनाओं द्वारा इस निमित्त अपेक्षित हो।

विधि सलाहकार और वित्तीय नियन्त्रक

18. राज्य सरकार विधिक एवं वित्तीय मामलों में पुलिस महानिदेशक की सहायता और उसे परामर्श देने के लिए क्रमश: एक विधि सलाहकार और एक वित्तीय नियन्त्रक नियुक्त कर सकेगी।

अध्याय–तीन

पुलिस बल का प्रशासन

पुलिस बल पर अधीक्षण

19. किसी अन्य विधि में कोई बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, पुलिस बल से सम्बन्धित सभी मामलों में, अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करेगी।

पुलिस महानिदेशक

20. (1) पुलिस बल के समग्र "नियंत्रण" निदेशक और पर्यवेक्षण के लिए राज्य सरकार एक पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी।

(2) पुलिस महानिदेशक के पद पर पूर्व से कार्यरत अधिकारियों अथवा ऐसे अधिकारियों जो पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नति के योग्य पाये गए हैं, कि नामिका में से, सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा संवीक्षा के पश्चात् नियुक्त किया जायेगा;

परन्तु यह कि नामिका में अधिकारियों की संख्या राज्य में महानिदेशक के लिए स्वीकृत संवर्ग पदों की संख्या के तीन गुना से अधिक नहीं होगी।

(3) इस प्रकार नियुक्त पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल अधिवर्षता के अधीन रहते हुए न्यूनतम दो वर्ष होगा।

(4) राज्य सरकार निम्नलिखित आधार पर कारण विनिर्दिष्ट करते हुए, एक लिखित आदेश द्वारा पुलिस महानिदेशक को उसके पद से उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटा सकती है:–

(एक) किसी दाण्डिक अपराध में किसी विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर अथवा किसी न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार अथवा नैतिक अधमता में अन्तर्वलित मामले में आरोप लगाये जाने पर; या

(दो) शारीरिक और मानसिक रोग से अक्षमता के कारण पुलिस महानिदेशक के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अयोग्य होने पर; या

(तीन) केन्द्र अथवा अन्य राज्य सरकार के अधीन समान पद या उच्चतर पद पर प्रोन्नति किये जाने पर; या

(चार) उसके स्वयं के अनुरोध पर;

(5) आपवादिक मामलों में पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार द्वारा घोर अदक्षता या उपेक्षा के लिए उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकेगा, यदि प्रारम्भिक जाँच के बाद प्रथमदृष्ट्या गम्भीर प्रकृति का मामला स्थापित हो जाये।

21. सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन पुलिस महानिदेशक इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अनुरूप :— पुलिस प्रशासन

(क) अपराध निवारण;

(ख) अपराध अन्वेषण;

(ग) कानून और व्यवस्था बनाये रखने;

(घ) पुलिस संगठन और पुलिस अधिकारियों द्वारा निष्पादित कार्य का विनियमन और निरीक्षण;

(ङ) पुलिस बल को प्रदान किये जाने वाले हथियारों, सज्जा, पोषाक और अन्य साधनों का विवरण और मात्रा का निर्धारण;

(च) पुलिस बल के सदस्यों का आवास स्थल का चयन;

(छ) पुलिस बल का विनियमन, तैनाती, संचलन और अवस्थिति;

(ज) सभी पदों और श्रेणियों के अधिकारियों को ड्यूटी सौंपना और रीति और शर्तें विहित करना, जिनके अधीन वे क्रमशः अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे;

(झ) पुलिस द्वारा [आसूचना] "अभिसूचना" और सूचना को एकत्र करने तथा उसके सम्प्रेषण का विनियमन; और

(ञ) साधारणतः पुलिस को अधिक दक्ष बनाने, शक्ति का दुरूपयोग और उनके द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा को रोकने के लिए पुलिस की विभिन्न इकाईयों और अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख रजिस्टर और प्रपत्र तथा प्रस्तुत किये जाने वाली विवरणियाँ विहित करने;

के लिए, विनियम बनायेगा और आदेश जारी करेगा।

अनुशासनिक कार्यवाहियाँ

22. "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियाँ इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार संचालित की जाएंगी।

अनुशासनिक शास्तियाँ

23. (1) पुलिस अधीक्षक के स्तर या उससे उच्चतर "स्तर का" अधिकारी उस स्तर के पुलिस अधिकारी को, जिसका वह नियुक्ति प्राधिकारी है, निम्नलिखित में से कोई दण्ड दे सकेगा, अर्थात्–

(क) पदावनति;

(ख) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(ग) सेवा से हटाना;

(घ) पदच्युति;

(ङ) वेतन में कटौती;

(च) वेतनवृद्धि रोकना; और

(छ) पदोन्नति रोकना।

(2) पुलिस अधीक्षक के स्तर का या उससे उच्चतर "स्तर का" कोई पुलिस अधिकारी, अपने अधीनस्थ अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित में से कोई दण्ड दे सकेगा, अर्थात्–

(क) एक माह से अनधिक "के वेतन का" जुर्माना;

(ख) परिनिन्दा या भर्त्सना।

(3) कोई भी पुलिस उप अधीक्षक या उसके समतुल्य स्तर का कोई अधिकारी, पुलिस "निरीक्षक" उप निरीक्षक या उससे निम्न स्तर के किसी अधिकारी को परिनिन्दा या भर्त्सना का दण्ड दे सकता है।

(4) निरीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई अधिकारी कान्सटेबिल और हेड कान्सटेबिल को दण्डित कर सकेगा।

(5) किसी अधिकारी को उप धारा (1), (2), (3) या (4) में उल्लिखित दण्ड दिये जाने पर उसके द्वारा उसी संव्यवहार में किये गये दाण्डिक अपराध से, जिसमें विभागीय कार्यवाही के कारण किसी विभागीय नियम के उल्लंघन करने पर उसे दण्डित किया गया है, अभियोजन की उसकी जिम्मेदारी प्रभावित नहीं होगी।

24. पुलिस अधीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ निरीक्षक या उससे निम्न स्तर के पुलिस अधिकारी को कारण अभिलिखित करने के उपरान्त निलम्बित कर सकेगा। निलम्बन

25. कोई भी पुलिस अधिकरी किसी अन्य अवचार या व्यवहार के, जैसा कि संगत नियमों में विहित है, अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी अवचार के लिए अनुशासनिक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा:– अवचार

(क) विधि सम्मत आदेशों की अवज्ञा;

(ख) ड्यूटी की उपेक्षा;

(ग) अनधीनता या कोई कठोर आचरण;

(घ) अनधिकृत मिथ्यारोप या ड्यूटी से अनुपस्थिति;

(ङ) कायरतापूर्ण कार्य;

(च) अधिकार का दुरूपयोग; या

(छ) कोई ऐसा कार्य जो एक अधिकारी को शोभा नहीं देता।

26. वर्तमान अधिनियम के अनुसरण में या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किसी अधिकारी के विरूद्ध पारित दण्ड के किसी आदेश के विरूद्ध निम्न के समक्ष अपील हो सकेगी– दण्ड के आदेशों के विरूद्ध अपील

(क) जहाँ आदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित किया जाता है– राज्य सरकार को; और

(ख) जहाँ आदेश पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है– पुलिस पदानुक्रम में ऐसा आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी से अगले उच्चतर स्तर के अधिकारी को

27. (1) राज्य सरकार, रेलवे क्षेत्रों के प्रशासन में पुलिस महानिदेशक की सहायता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी को तैनात कर सकती है। रेलवे क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन

(2) रेलवे क्षेत्र में पुलिस जिले का प्रशासन पुलिस अधीक्षक में निहित होगा।

(3) पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसे पुलिस अधिकारी अपने–अपने प्रभारों के अन्तर्गत स्थित रेल से सम्बन्धित पुलिस कृत्य का तथा अन्य ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उन्हें सौंपे जाएं।

(4) कोई भी पुलिस अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस उपधारा के अधीन साधारण अथवा विशेष आदेश से कार्य

करने के लिए सशक्त किया जाता है, पुलिस जिले या उसके किसी भाग में उस पुलिस जिले के किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय उसे अपने थाने की सीमाओं के अन्दर ऐसे अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उस पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी समझा जायेगा।

(5) किन्हीं साधारण और विशेष [पुलिस] आदेशों के अधीन, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त पारित करे, ऐसे अधिकारी अपने कृत्यों के निर्वहन में शक्तियों और विशेषाधिकारों सहित राज्य के प्रत्येक भाग में निहित होंगे तथा इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत उनके दायित्व वही होंगे जो पुलिस अधिकारियों के हैं।

(6) पुलिस अधीक्षक राज्य सरकार की पूर्वानुमति से इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों और कृत्यों को किसी सहायक या उप अधीक्षक को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

मुख्य पुलिस अधिकारियों की पदावधि

28. (1) [किसी थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किसी पुलिस अधिकारी या] किसी पुलिस वृत्त के प्रभारी अधिकारी के रूप में या पुलिस अधीक्षक के रूप में या किसी रेन्ज के उप महानिरीक्षक/महानिरीक्षक की पदावधि अधिवर्षिता के अधीन रहते हुए न्यूनतम दो वर्ष होगी।

"<u>परन्तु</u>" इस प्राविधान के अन्तर्गत आच्छादित किसी पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित के परिणामस्वरूप उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व स्थानान्तरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा सकारण लिखित आदेश द्वारा उसके पद से स्थानान्तरित किया जा सकेगा :–

(क) उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर, या प्रतिनियुक्ति पर जाने पर, या

(ख) दोष सिद्ध होने पर; या

(ग) किसी विधि न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपराध का आरोप लगाये जाने पर; या

(घ) शारीरिक और मानसिक रोग या अन्यथा अक्षमता से अपने कृत्यों और कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ होने पर; या?

(ङ) किसी रिक्ति के भरने के लिए; या

(च) उसके स्वयं के अनुरोध पर [[ ] <u>", या"</u>

(छ) <u>"जनहित में।"</u>

(2) आपवादिक मामलों में घोर अकुशलता या उपेक्षा के लिए, जहाँ प्रारम्भिक जाँच के पश्चात् प्रथम दृष्टया गम्भीर प्रकृति का मामला संस्थित किया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अधिकारी को उसके पद से हटाया जा सकेगा।

अध्याय–चार

राज्य पुलिस बोर्ड तथा पुलिस अधिष्ठान समिति

29. राज्य सरकार यथाशीघ्र इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन सौंपे गये कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक राज्य पुलिस बोर्ड स्थापित करेगी। राज्य पुलिस बोर्ड

30. राज्य पुलिस बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :– बोर्ड की संरचना

(क) [प्रभारी मंत्री, गृह विभाग] "गृह मंत्री" – अध्यक्ष [के रूप में]

(ख) प्रतिपक्ष के नेता अथवा, यथास्थिति, यदि विरोधीदल का नेता न हो तो राज्य की विधान सभा में अकेला सबसे बड़े विरोधीदल का नेता "सदस्य;"

(ग) मुख्य सचिव – "सदस्य;"

(घ) गृह विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव– "सदस्य;"

(ङ) पुलिस महानिदेशक – "सदस्य;"

(च) शिक्षा, विधि, लोक प्रशासन, संचार माध्यम अथवा किसी अन्य क्षेत्र से सत्यनिष्ठा और सक्षमता के लिए प्रख्यात दो गैर राजनैतिक व्यक्ति (जिन्हें एतद्पश्चात् "स्वतंत्र सदस्य" कहा गया है), जिन्हें इस अधिनियम के अधीन गठित चयन नामिका की संस्तुति पर नियुक्त किया जाना है – "सदस्य;" और

(छ) भारतीय पुलिस सेवा के राज्य संवर्ग के एक पुलिस अधिकारी को, जिसका पद अपर पुलिस महानिदेशक से निम्न स्तर का नहीं होगा, राज्य सरकार द्वारा उसके सचिव के रूप में नामित किया जायेगा।

31. राज्य पुलिस बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य/सदस्यों को चयन नामिका की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– स्वतंत्र सदस्यों के चयन के लिए नामिका की संरचना

(क) राज्य का मुख्यमंत्री,

(ख) राज्य विधान सभा का अध्यक्ष,

(ग) राज्य का गृह मंत्री,

(घ) राज्य विधान सभा के विरोधीदल का नेता अथवा, यथास्थिति, यदि विरोधी दल का कोई नेता न हो तो राज्य के विधान सभा में अकेले सबसे बड़े विरोधी दल का नेता।

स्वतंत्र सदस्यों की अपात्रता के आधार

32. कोई भी व्यक्ति राज्य पुलिस बोर्ड का स्वतंत्र सदस्य नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि वह–

(क) भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है या जिसके विरुद्ध किसी विधि न्यायालय में आरोप लगाये गये हैं; या

(ग) जिसकी भ्रष्टाचार या अवचार के आधार पर सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं अथवा जिसे सेवा से हटा दिया गया है अथवा सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुआ है; अथवा

(घ) निर्वाचित राजनैतिक पद धारण करता है, जिसमें संसद अथवा विधान सभा अथवा स्थानीय निकाय का सदस्य सम्मिलित है अथवा किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित किसी संगठन या किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी है; या

(ङ) विकृत चित्त है।

स्वतंत्र सदस्यों का कार्यकाल और विशेषाधिकार

33. किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसके एक कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा। स्वतंत्र सदस्य बैठक फीस और बैठक के स्थान से आने–जाने के लिए परिवहन तथा बोर्ड द्वारा सौंपे गये किसी कार्य के सम्बन्ध में, जैसा कि समय–समय पर विहित किया जाए, यात्रा भत्ता का हकदार होगा।

स्वतंत्र सदस्य का हटाया जाना

34. (1) राज्य पुलिस बोर्ड के किसी स्वतंत्र सदस्य को निम्नलिखित में से किसी कारण से राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकेगा :–

(क) प्रमाणित अक्षमता; या

(ख) प्रमाणित दुर्व्यवहार; या

(ग) पर्याप्त कारण के बिना राज्य पुलिस बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहने पर; या

(घ) शारीरिक और मानसिक अशक्तता के कारण अक्षमता; या

(ङ) सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अन्यथा अयोग्य हो जाने पर; या

(च) चयन नामिका की सिफारिश पर।

(2) इसके अतिरिक्त किसी स्वतंत्र सदस्य को राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस बोर्ड से हटाया जा सकता है, यदि वह इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी कारण अपात्रता प्राप्त कर लेता है।

(3) इस प्रकार हटाये जाने के लिए राज्य सरकार लिखित रूप से कारण बतायेगी।

35. राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन किया जायेगा, अर्थात् :- राज्य पुलिस बोर्ड के कृत्य

(1) दक्ष, प्रभावी, उत्तरदायी तथा जवाबदेह पुलिस व्यवस्था के संवर्धन हेतु नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देशों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव तथा परामर्श देना;

(2) निष्पादन संकेतकों को चिन्हित करने में, जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त प्रचालन दक्षता, जनता के समाधान, पीड़ित व्यक्ति के समाधान की तुलना में पुलिस अन्वेषण तथा प्रतिक्रिया, जवाबदेही, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और मानव अधिकार मानकों का पालन शामिल है, राज्य सरकार को सुझाव देना, और

(3) उपरोक्त उप धारा (2) में चिन्हित निष्पादन संकेतकों के अनुसार समय-समय पर पुलिस बल के कार्य निष्पादन के अभिवर्धन के उपाय सुझाना।

(4) निम्नलिखित के सापेक्ष पुलिस के संगठनात्मक कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए सुझाव देना :-

(एक) निष्पादन संकेतक जो स्वयं राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा चिन्हित और निर्धारित किये गये हैं।

(दो) पुलिस के पास उपलब्ध संसाधन तथा प्रतिबन्ध।

(5) पुलिस के कार्य से सम्बन्धित सूचना और आंकड़े संग्रह करने के लिए नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देश सुझाना, तथा

(6) पुलिस की दक्षता, प्रभाविता, जवाबदेही तथा अनुक्रियाशीलता के सुधार के लिए अर्थोपाय सुझाना।

36. पारिश्रमिक, भत्तों और राज्य पुलिस बोर्ड के सरकारी कार्य के सम्बन्ध में यात्रा और बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों से सम्बन्धित व्यय राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विहित नियमों के अनुसार वहन किया जायेगा। राज्य पुलिस बोर्ड का व्यय

राज्य पुलिस बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट

37\. राज्य पुलिस बोर्ड प्रत्येक वर्ष के अन्त में गत वर्ष के दौरान अपने कार्य और पुलिस बल के कार्य के निष्पादन के मूल्यांकन से सम्बन्धित एक रिपोर्ट और सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य की विधान सभा के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी।

पुलिस अधिष्ठान समिति

38\. (1) राज्य सरकार यथाशीघ्र एक पुलिस अधिष्ठान समिति का गठन करेगी (जिसे एतद्‌पश्चात् समिति कहा गया है), जिसका पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष होगा और दो अन्य वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य होंगे, जिनका पद पुलिस महानिदेशक के स्तर से निम्न नहीं होगा।

(2) अधिष्ठान समिति द्वारा निम्नलिखित कृत्यों और कर्तव्यों का पालन किया जायेगा, अर्थात्–

(क) अधीनस्थ पदों पर चयन तथा पदोन्नति के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करना;

(ख) अधीनस्थ अधिकारियों का एक रेंज से दूसरे में स्थानान्तरण;

(ग) पुलिस उप अधीक्षक/पुलिस सहायक अधीक्षक के पदों के अधिकारियों का स्थानान्तरण;

(घ) क्षेत्र में कार्यरत पुलिस अपर अधीक्षक और उससे उच्चतर पदों के पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण और तैनाती के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(ड) अधीनस्थ अधिकारियों का एक पुलिस जिले से दूसरे में स्थानान्तरण के लिए मार्गनिर्देश/अनुदेश विहित करना; तथा

(च) पुलिस कार्मिकों की शिकायतों का विश्लेषण तथा निराकरण, जहाँ आवश्यक हो, राज्य सरकार को सुधार के उपाय सुझाना।

(3) राज्य सरकार, जिन मामलों में उचित समझे, ऐसे कारणों से जो लिखित हों, का उल्लेख करते हुए समिति के निर्णय में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है।

अध्याय–पाँच

पुलिस की भूमिका, कृत्य का कर्तव्य

39. (1) सामान्यतः पुलिस की निम्नलिखित सांकेतिक भूमिका और कृत्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार होंगे :– पुलिस की भूमिका, कृत्य तथा कर्तव्य

(क) निष्पक्षतापूर्वक विधि को लागू करना और उसकी मर्यादा बनाए रखना, जनता के जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति, मानव अधिकार और गरिमा का संरक्षण;

(ख) कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में सहायता करना;

(ग) आन्तरिक सुरक्षा का संरक्षण, आतंकवादी गतिविधियों, सामुदायिक समन्वय के भंग होने, युद्धमान गतिविधियों तथा अन्य आन्तरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियों का निवारण और नियंत्रण;

(घ) सड़कों, रेलों, पुलों की संरचनाओं तथा अधिष्ठान इत्यादि सार्वजनिक सम्पत्तियों की विध्वंसक कार्यों या किसी प्रकार के आक्रमण से संरक्षण;

(ङ) अपराध निवारण तथा उनके निवारण कार्यों और उपायों तथा अपराध निवारण हेतु सम्यक् उपायों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिकरणों के साथ सहयोग तथा सहायता द्वारा अपराध की घटनायें घटित होने के अवसरों को कम करना;

(च) किसी शिकायतकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा, ई–मेल अथवा अन्य साधनों से प्राप्त समस्त शिकायतों का सम्यक् रूप से पंजीकरण करना और शिकायत की प्राप्ति की सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति के पश्चात् उस पर तुरन्त अनुवर्ती कार्रवाई करना;

(छ) ऐसी शिकायतों अथवा अन्यथा द्वारा उसके संज्ञान में आने वाले संज्ञेय अपराधों का पंजीकरण और अन्वेषण, शिकायतकर्ता को प्राथमिकी की प्रति सम्यक् रूप से प्रदान कर और जहाँ उचित हो, अपराधियों को हिरासत में लेना और विधि अनुसार अन्वेषण संचालित करना;

(ज) [समुदाय] <u>"जनसमुदाय"</u> में सुरक्षा की भावना पैदा करना और उसे बनाये रखना तथा यथासम्भव संघर्ष/आन्दोलन को रोकना और सौहार्द को बढ़ावा देना;

(झ) प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में लोगों को यथासम्भव सहायता प्रदान करना और राहत तथा पुनर्वास उपायों में अन्य अभिकरणों को त्वरित सहायता प्रदान करना;

(ञ) ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना, जिनके शरीर या सम्पत्ति को अपहानि का खतरा हो और कष्टप्रद स्थितियों में पड़े व्यक्तियों को आवश्यक राहत और सहायता प्रदान करना;

(ट) जनता और वाहनों की व्यवस्थित रूप से आने–जाने को सुविधाजनक बनाना तथा सड़कों और महामार्गों पर यातायात का नियंत्रण और विनियमन;

(ठ) सार्वजनिक शान्ति और सभी प्रकार के अपराधों के सम्बन्ध में जिससे सामाजिक अपराध भी शामिल हैं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों के सम्बन्ध में [आसूचना] "अभिसूचना" एकत्र करना, स्वयं उन पर कार्यवाही करने के अतिरिक्त समस्त सम्बन्धित अभिकरणों, जो विहित किये जायें, में उसे प्रचारित करना;

(ड) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन, जो उन्हें राज्य सरकार अथवा किसी प्राधिकारी द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे निदेश जारी करने के लिए सशक्त किया गया है, सौंपे गए हैं;

(ढ) पुलिस थाने में आभ्यासिक अपराधियों और संगठित अपराध में अन्तर्वलित व्यक्तियों का अभिलेख रखना और उसको प्रदर्शित करना;

(ण) जिला और राज्य स्तर पर आभ्यासित अपराधियों और संगठित अपराध में अन्तर्वलित व्यक्तियों का अद्यावधिक अभिलेख रखना।

(2) पुलिस अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी की हैसियत से, समस्त अदावित (लावारिस) सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेगा और धारा 46 के उपबन्धों के अनुसार उनकी सुरक्षित अभिरक्षा और उसके निस्तारण के लिए कार्यवाही करेगा।

40\. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, अपराधों के वैज्ञानिक अन्वेषण, भीड़ का विनियमन और राहत, राहत कार्य और ऐसे अन्य प्रबन्ध, जैसा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपवादिक परिस्थितियों में जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से निदेश दिया जाये, पुलिस बल और सशस्त्र पुलिस इकाईयों द्वारा ऐसी सहायता देना एवं अन्वेषण करना, जो राजस्व पुलिस क्षेत्र में अपेक्षित हो, विधि सम्मत होगा। — राजस्व पुलिस क्षेत्र में कृत्य

41\. कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसके अधीनस्थ अधिकारी को विधि अथवा विधि सम्मत आदेश द्वारा सौंपे गये किसी कर्तव्य का निर्वाह कर सकेगा। जहाँ कानून को व्यापक रूप से लागू करने या उसके किसी उल्लंघन से बचने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो, तो वह स्वयं अपने अथवा विधि सम्मत रूप से उसकी कमान और प्राधिकार के अधीन विधि सम्मत कार्यवाही करने वाले अधीनस्थ व्यक्ति के कार्य से उसकी कार्यवाही में सहायता कर सकता है, उसे अनुपूरित, अधिक्रान्त अथवा उसको रोक सकता है। — वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी के कर्तव्यों का पालन

42\. इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रत्येक पुलिस अधिकारी निरन्तर ड्यूटी पर समझा जायेगा और किसी भी समय राज्य के किसी भाग में या राज्य के बाहर पुलिस अधिकारी के रूप में उसे तैनात किया जा सकता है। — पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी और उनकी तैनाती

43\. कोई भी पुलिस अधिकारी जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित रूप मे विशिष्ट रूप से अनुमति न दे दी जाये, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी अन्य नियोजन या कार्यालय में, चाहे जो भी हो, कार्य नहीं करेगा। — पुलिस अधिकारी "का" किसी अन्य नियोजन में प्रवृत्त न होना

44\. [(1) कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से विमुख नहीं होगा जब तक की उसे इसकी उस अधिकारी द्वारा, विशिष्ट रूप से अनुमति न दी जाये ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है; — पुलिस अधिकारी "का" ड्यूटी आदि से विमुख न होना

(2) किसी भी पुलिस अधिकारी को, अपने निकटतम उच्चतर अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना, अपने पद से त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(3) त्यागपत्र प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नोटिस की न्यूनतम अवधि दो माह होगी;]

"कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से विमुख नहीं होगा।"

पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का प्रस्तुतीकरण

45. किसी क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी सूचना को प्रस्तुत करने और सम्मन, वारण्ट, तलाशी का वारण्ट या ऐसी अन्य आदेशिका के लिए, जो किसी अपराध करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध विधि द्वारा जारी की जा सकती है, आवेदन करना किसी भी पुलिस अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

पुलिस अधिकारियों द्वारा ऐसे अदावित (लावारिस) सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेना जो किसी वाद से सम्बन्धित सम्पत्ति नहीं है

46. समस्त अदावित (लावारिस) [सम्पत्ति] "चल सम्पत्ति" को अपने कब्जे में लेना और उसकी सूची उस पुलिस अधीक्षक, को जो उसे विहित रीति से निस्तारित करने के लिए सक्षम होगा, प्रस्तुत करना, प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा तथा वह सक्षम आधिकारिता वाले सम्बन्धित न्यायालय को उस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सूचित करेगा।

पुलिस अधिकारियों द्वारा दैनिकी (डायरी) रखा जाना

47. पुलिस थाने के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह एक साधारण डायरी ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से रखे, जो समय–समय पर विहित की जाये।

राज्य सरकार विवरणियों का प्ररूप विहित कर सकेगी

48. राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक तथा अन्य अधिकारियों द्वारा, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, विवरिणियां प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है तथा ऐसी विवरिणी के प्ररूप, जिनमें विवरिणी तैयारी की जानी है, विहित कर सकेगी।

वर्दियां, पद चिन्ह सज्जा आदि

49. (1) राज्य सरकार पुलिस अधिकारियों अथवा यथास्थिति, किसी वर्ग के पुलिस अधिकारियों के लिए वर्दी, पदचिन्ह और सज्जा विहित कर सकेगी।

(2) पुलिस महानिदेशक समय–समय पर वर्दियां पहनने और पदचिन्ह तथा सज्जा धारण करने के लिए निदेश जारी कर सकेगा।

अध्याय–छ:

पुलिस व्यवस्था के लिए विशेष प्राविधान

विशेष अपराध अन्वेषण इकाईयां

50. (1) राज्य सरकार, एक अधिकारी के अधीन, जिसका पद पुलिस उप निरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा, पुलिस जिले, अथवा पुलिस थाने हेतु विशेष अपराध अन्वेषण ईकाई सृजित कर सकती है और ऐसे अपराध भी विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिनके विषय में ऐसी इकाईयों को अन्वेषण कार्य करना होगा।

(2) ऐसी इकाईयों में तैनात पुलिस अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक की लिखित अनुमति से, अत्यन्त विशेष परिस्थितियों के सिवाय, किसी अन्य ड्यूटी पर नहीं लगाया जायेगा।

(3) विशेष अपराध अन्वेषण इकाईयों द्वारा अन्य ऐसे अपराधों के विषय में भी अन्वेषण किया जा सकेगा, जो पुलिस महानिदेशक के साधारण और विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

सार्वजनिक स्थलों के आरक्षण और अवरोध (बैरियर) निर्माण करने की शक्ति तथा सार्वजनिक स्थलों पर संगीत तथा ध्वनि संयन्त्रों के प्रयोग को नियन्त्रित करना:

51. (1) ऐसी जाँच और प्रतिबन्धों के अधीन, जो राज्य सरकार अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, पुलिस अधीक्षक सार्वजनिक सूचना द्वारा किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किसी गली या अन्य सार्वजनिक स्थल को अस्थायी रूप से आरक्षित कर सकता है और ऐसी परिस्थितियों के सिवाय जो विनिर्दिष्ट की जायें, जनता को इस प्रकार आरक्षित स्थलों में प्रवेश करने से रोक सकता है।

(2) पुलिस अधीक्षक किसी पुलिस अधिकारी को :–

(क) विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु सार्वजनिक मार्गों और गलियों में अवरोध और आवश्यक संरचनाओं के निर्माण के लिए,

(ख) किसी विधि के उल्लंघन के लिए वाहनों और उनमें बैठे व्यक्तियों की जाँच करने के लिए;

प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) जिले के पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य किसी अधिकारी, जो सहायक/उप अधीक्षक पुलिस से न्यून स्तर का न हो, द्वारा किसी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थल पर अथवा उसके निकट हो रहे किसी प्रस्तुतीकरण या अन्य गतिविधि, जिससे कि स्थानीय निवासियों को क्षुब्धता हो, के सम्बन्ध में प्रयुक्त हो रहे संगीत एवं अन्य ध्वनि उपकरणों के प्रयोग का समय अथवा उनकी ध्वनि तीव्रता का निर्धारण किया जा सकता है।

विधि और व्यवस्था बनाये रखना:

52. (1) पुलिस जिले के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट की सहमति से, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, निम्नलिखित के सम्बन्ध में साधारण और विशेष आदेश जारी कर सकेगा :–

(क) [कारण अभिलिखित करते हुए] लोक आमोद–प्रमोद और लोक–मनोरंजन स्थलों का विनियमन और यदि लोक हित में आवश्यक हो तो किसी स्थान को लोक आमोद–प्रमोद और लोक–मनोरंजन तथा अन्य प्रकार के लोक–मनोरंजन के लिए किसी स्थान का उन व्यक्तियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, जिनके प्रभावित होने की सम्भावना हो, प्रतिषेध, जिसके कारण लेखबद्ध किये जायेंगे;

(ख) लोक आमोद–प्रमोद, लोक–मनोरंजन या किसी सार्वजनिक सभा के स्थान अथवा जन समूह में प्रवेश और निकास विनियमित करने और सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने की व्यवस्था करना तथा ऐसे स्थलों पर उपद्रव की रोकथाम;

(ग) किसी सार्वजनिक मार्ग, गली या आम रास्ते पर जन समूह और जुलूसों को विनियमित करने तथा ऐसे मार्ग, जिनसे ऐसे जुलूस गुजर सकेंगे तथा उनका समय निर्धारित करने के लिए;

(घ) ऐसे व्यक्ति का, जो किसी मार्ग, गली या आम रास्ते पर कोई जुलूस या किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा आयोजित करना चाहता है, यह कर्तव्य होगा कि वह जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक और सम्बन्धित थाने के प्रभारी को सूचित करे;

(ड) यदि उप धारा (1) के खण्ड (घ) में उल्लिखित किसी अधिकारी के पास या विश्वास करने का कारण है या सूचना प्राप्त होने और समाधान होने पर, कि यदि ऐसे जुलूस या जनसमूह को नियंत्रित या विनियमित किए बिना अनुमति दी जाती है, उससे शान्ति भंग होने की सम्भावना होती है, तो वह आवश्यक शर्तें, जिनमें संतोषजनक विनियमन, प्रबन्ध भी शामिल है, विहित कर सकता है। केवल उन्हीं शर्तों पर ऐसा जनसमूह या जुलूस निकाला जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में और ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाये, जनहित में ऐसे जनसमूह या जुलूस को प्रतिषेध किया जा सकेगा;

(च) यदि किसी जनसमूह या जुलूस द्वारा उपरोक्त उप [धारा] "खण्ड" (ड) के अधीन किसी आदेश की उपेक्षा या अवज्ञा की जाती है, तो उसे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय–आठ के अधीन "अविधिमान्य" जनसमूह समझा जायेगा।

(2) तथापि आपवादिक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में, थाने का भार साधक अधिकारी, सम्बन्धित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की सहमति से, उपधारा (1) से सम्बन्धित मामलों में कार्यवाही करेगा।

(3) पुलिस अधीक्षक, प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित आदेश द्वारा प्रत्येक मकान, दुकान, सार्वजनिक परिसर से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किरायेदार अथवा घरेलू नौकर का विवरण प्रस्तुत करे।

"(4) जिला पुलिस अधीक्षक किसी व्यक्ति से, जो किसी धनीय लाभ के लिए ऐसा कोई भी व्यवसाय, जलसा, प्रदर्शनी, विक्रय, मनोरंजन इत्यादि आयोजित करता है जिसमें लोक सुरक्षा के प्रयोजन के लिए या लोक शांति या व्यवस्था बनाये रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की आवश्यकता हो, तो ऐसा उपयोक्ता प्रभार उद्गृहीत कर सकेगा जो विहित किया जाए।"

53. पुलिस अधीक्षक, मोटर चालकों, साइकिल चलाने वालों, पैदल चलने वाले और जानवरों के साथ चलने वाले व्यक्तियों तथा बाइसिकिल सहित वाहनों की पार्किंग के लिए यातायात की सुव्यवस्थित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक मार्गों और गलियों के उपयोग को विनियमित करने के लिए समय-समय पर निदेश जारी कर सकेगा। यातायात का विनियमन

54. (1) राज्य सरकार, यथाशीघ्र मानव अधिकार संरक्षण के उपाय के रूप में साक्षी के संरक्षण के लिए नियम बनायेगी। साक्षी का संरक्षण

(2) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के साक्षी को ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन, जो विहित किये जायें, संरक्षित साक्षी घोषित करने के लिए आवेदन दे सकता है।

(3) साक्षी के संरक्षण के लिए अन्य बातों के अतिरिक्त–

(क) आवश्यक प्रबन्ध करना;

(एक)साक्षी को नई पहचान स्थापित करने के लिए अनुमति देने; अथवा

(दो) साक्षी एवं उसके परिवार को अन्यथा संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।

(ख) साक्षी की पुनर्स्थापना;

(ग) साक्षी के लिए आवास प्रदान करना;

(घ) साक्षी की सम्पत्ति के लिए परिवहन व्यवस्था करना;

(ङ) साक्षी को युक्तियुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(च) साक्षी संरक्षण कार्यक्रम के प्रशासन से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के पालन के कल्पित नाम का उपयोग करने और इन कल्पित नामों के समर्थन में [के] प्रलेखरीकरण की अनुमति प्रदान करना;

(छ) [कोई अन्य कार्य करना जिसे राज्य सरकार साक्षी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझती है] "साक्षी संरक्षण से सम्बन्धित भारत और विदेशी राज्य के बीच हुए करार अथवा व्यवस्था के अनुसरण में उत्तराखण्ड में उपस्थित विदेशी साक्षी के सम्बन्ध में खण्ड (क) से (छ) तक में उल्लिखित कोई उपाय करना;"

(ज) [साक्षी संरक्षण से सम्बन्धित भारत और विदेशी राज्य के बीच हुए करार अथवा व्यवस्था के अनुसरण में उत्तराखण्ड में उपस्थित विदेशी साक्षी के सम्बन्ध में खण्ड (क) से (छ) तक में उल्लिखित कोई उपाय करना;]

"कोई अन्य कार्य करना, जिसे राज्य सरकार साक्षी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझती है।"

(4) इस धारा के प्रवर्तन में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे।

पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास

55. (1) राज्य सरकार अपराधी पक्ष से पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सहायता के रूप में समुचित उपाय विहित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगी, जैसा वह इस धारा के प्रवर्तन में कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समझे।

ग्रामीण क्षेत्रों में [गार्डों] "रक्षकों" की भर्ती

56. (1) एक पुलिस जिले के प्रत्येक गाँव अथवा गाँवों के समूह में इस निमित्त विहित नियमों के अनुसार विहित कार्यकाल के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा भर्ती किया गया एक [गार्ड] "रक्षक" होगा।

(2) गाँव अथवा सम्बन्धित गाँवों के समूह में रहने वाला 30 से 60 वर्ष की आयु के वर्ग का स्वस्थ व्यक्ति निम्नानुसार निर्धारित वरीयता के क्रम में [गार्ड] "रक्षक" के रूप में भर्ती किये जाने के लिए पात्र होगा :-

(क) [सरकारी सेवक] ''भूतपूर्व सैनिक / भूतपूर्व अर्द्धसैनिक'';

(ख) [सम्बन्धित पंचायत, सहकारी समिति, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति] ''होमगार्ड स्वयं सेवक / प्रान्तीय रक्षक दल (पी०आर०डी०)'';

(ग) ऐसा खिलाड़ी, जिसने राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व किया है; तथा

(घ) अन्य कोई व्यक्ति।

(3) किसी भी ऐसे व्यक्ति को भर्ती नहीं किया जायेगा, जो निम्नलिखित निर्धारित निरर्हताएं रखता हो:—

(क) वह नैतिक अधमता से सम्बन्धित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;

(ख) उसके विरूद्ध आपराधिक आरोप से सम्बन्धित मामले पर या तो विचार किया जा रहा है या मामला अन्वेषणाधीन है।

(4) ''ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्ध किसी व्यक्ति की पदावधि 3 वर्ष की होगी। जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा यह पदावधि बढ़ायी या नवीकृत की जा सकती है: परन्तु किसी भी ग्राम रक्षक को उसकी सूचीबद्धता के चालू रहने के दौरान उसके समनुदेशन से हटाया जा सकेगा यदि वह उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अपात्रताओं में से कोई भी उपगत करता है या ग्राम रक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में उपेक्षा करता पाया जाता है।''

गाँव का [गार्ड] ''रक्षक'' अवैतनिक कार्यकर्ता होगा

57. (1) गाँव का [गार्ड] ''रक्षक'' एक अवैतनिक कार्यकर्ता होगा और उसे लोक सेवक समझा जायेगा जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45, वर्ष 1860) में परिभाषित है।

(2) उसे ऐसा मानदेय और जेबखर्च का भुगतान किया जा सकता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाये।

गाँव के [गार्ड] ''रक्षक'' की पहचान

58. [(क)] ''(1)'' पुलिस जिले में प्रत्येक [गार्ड] ''रक्षक'' को पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पहचान के लिए एक बैज ''वर्दी'' और एक फोटो पहचान पत्र प्रदान किया जायेगा।

[(ख)] "(2)" ऐसा व्यक्ति गाँव का [गार्ड] "रक्षक" न रहने पर पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को पहचान का बैज "वर्दी" फोटो पहचान पत्र और गाँव के [गार्ड] "रक्षक" के रूप में उसके द्वारा रखे गये समस्त अभिलेख और दस्तावेज तत्काल सुपुर्द करेगा।

[गार्ड] "रक्षक" के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

59. [गार्ड] "रक्षक" के निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात् :–

(1) गाँव में किसी अपराध के घटने पर या विधि और व्यवस्था की परिस्थिति के सम्बन्ध में पुलिस थाने में यथाशीघ्र रिपोर्ट करना और अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करना;

(2) अपराध निवारण अथवा विधि और व्यवस्था की समस्या के निवारण की दृष्टि से गाँव में सामान्य निगरानी रखना तथा उसके सम्बन्ध में पुलिस थाने को तत्परता से सूचित करना;

(3) किसी संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्तियों के आने–जाने अथवा गाँव में किसी षडयंत्र के सम्बन्ध में, जिससे अपराध अथवा विधि और व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो, किसी सूचना के प्रति सतर्क और संवेदनशील रहना और ऐसी सूचना को पुलिस थाने में तत्परता से पहुँचाना;

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 43 के अधीन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शस्त्रों, गोला बारूद, सम्पत्ति या किसी आपत्ति जनक अथवा संदिग्ध वस्तु यदि कोई "हो," जो उससे अधिगृहीत की गयी हो, गिरफ्तार करने या पुलिस थाने को सौंपने में किसी नागरिक की अविलम्ब सहायता करना। यदि गिरफ्तार व्यक्ति कोई महिला हो तो पुरूष [गार्ड] "रक्षक" के साथ एक महिला जायेगी;

(5) पुलिस के आने तक अपराध के स्थल की सुरक्षा और परिक्षण सम्यक् रूप से यह सुनिश्चित [करते हुए] "करना" कि उसके साथ उत्सुक दर्शकों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छेड़खानी नहीं की जाती है;

(6) पुलिस अधीक्षक द्वारा साधारण और विशेष आदेश के माध्यम से विहित गाँवों में ऐसी गतिविधियों और घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए, जिनका अपराध, विधि और व्यवस्था तथा अन्य पुलिस व्यवस्था से सम्बन्ध होगा, न्यूनतम अवधियों के अन्तराल पर पुलिस थाने के प्रभारी से भेंट करना;

(7) विहित अभिलेख और रजिस्टरों को रखना;

(8) पुलिस व्यवस्था से सम्बन्धित जनता की शिकायतों और प्रतिवादों को रिकार्ड करना और गाँव के अपराध तथा विधि और व्यवस्था से सम्बन्धित मामलों पर ग्राम पंचायत से सम्पर्क बनाना; तथा

(9) ऐसे अन्य साधारण कर्तव्यों का पालन करना, जैसा जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक निदेश दे।

60. पुलिस अधीक्षक, जब कभी अपेक्षित हो, निवारक गश्त लगाने, अपराध कम करने के उपायों को बढ़ावा देने और विहित रीति से पुलिस को उसके कार्य में साधारणतः सहायता करने के लिए किसी भी गाँव के लिए ग्राम सुरक्षा दल के निर्माण हेतु स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों के एक समूह को संगठित कर सकता है। ग्राम रक्षा दल

61. (1) [प्रत्येक पुलिस थाने के लिए एक या एक से अधिक सामुदायिक सम्पर्क समूह होंगे जिनमें उस क्षेत्र के स्थानीय सम्मानित निवासी, जिसमें सेवा निवृत्त लोक सेवक और शिक्षण संस्थाओं के प्रधान, यदि कोई हो, के समुदाय के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, पुलिस को उसके कार्य में साधारणतः परामर्श देने का होगा। किसी भी सामुदायिक सम्पर्क समूह में महिलाओं और पुरूषों और थाना क्षेत्र के गाँवों में समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले समस्त अन्य खण्डों और व्यवसायों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा। सम्पर्क समूह में सम्बन्धित पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत द्वारा उसके नामित सदस्यों में से नामित दो प्रतिनिधि होंगे।] सामुदायिक सम्पर्क समूह

"जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस बल की उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों से गठित एक या अधिक समुदाय सम्पर्क समूह विहित रीति से गठित करेगा।"

(2) [सामुदायिक सम्पर्क समूह का गठन विहित रीति से किया जाएगा और वह ऐसे कृत्यों का निर्वाह करेगा और उसके ऐसे उत्तरदायित्व होंगे जो विहित किए गये हैं।]

"समुदाय सम्पर्क समूह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा और उसके ऐसे उत्तरदायित्व होंगे जो विहित किये जायें।"

अध्याय–सात

सार्वजनिक व्यवस्था एवं आंतरिक [सुरक्षा की/चुनौतियों के] ''सुरक्षा के'' संदर्भ में पुलिस व्यवस्था

[सुरक्षा चुनौतियां]

आंतरिक सुरक्षा योजनाएं

62. ''(1)'' पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के अनुमोदन से सार्वजनिक व्यवस्था और सम्पूर्ण राज्य की सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं, के समाधान हेतु आंतरिक सुरक्षा योजना बनाएगा। जिले की आन्तरिक सुरक्षा योजनाएं जिले के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जायेगी।

[आंतरिक सुरक्षा योजनाओं का पुनरीक्षण]

[63] ''(2)'' आंतरिक सुरक्षा योजनाओं का आवश्यकतानुसार कम से कम [दो] ''तीन'' वर्ष में एक बार पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन किया जाएगा,

परन्तु यह कि पुनर्विलोकन का कार्य पूर्ववर्ती पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन की तारीख से [दो] ''तीन'' वर्ष की समाप्ति से पहले पूरा किया जा सकता है।

[सुरक्षा का योजना के अन्तर्गत लाया जाना]

[64] ''(3)'' आंतरिक सुरक्षा योजनाओं में अन्य बातों के साथ–साथ किसी महत्वपूर्ण अवस्थापना यदि उस क्षेत्र में स्थित हो तो उसके अधिष्ठान या स्थापना की सुरक्षा के सम्बन्ध में सिविल प्रशासन तथा पुलिस की भूमिका को भी शामिल किया जायेगा।

[योजना में विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जायेगा]

[65] ''(4)'' आंतरिक सुरक्षा योजना तैयार करते समय पुलिस महानिदेशक, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, यथास्थिति, विशिष्ट विधि और व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं की आकस्मिकताओं और सुरक्षा की आवश्यकताओं को भी, जो ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती हैं, ध्यान में रखेंगे।

[इस योजना में अध्यावधिक मानक परिचालन प्रक्रिया को शामिल किया जायेगा]

[66] ''(5)'' आंतरिक सुरक्षा योजनाओं में नागरिक प्रशासन, पुलिस और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए नियमित रूप से अध्यावधिक तथा व्यापक मानक परिचालन प्रक्रियाओं को शामिल किया जाएगा।

अध्याय–आठ

पुलिस की जवाबदेही

पुलिस की जवाबदेही के लिए अतिरिक्त तंत्र

[67] ''(63)'' वर्तमान तंत्रों और विभागीय प्राधिकारियों के कृत्यों, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त पुलिस की जवाबदेही, इस अध्याय में वर्णित अतिरिक्त तंत्र के माध्यम से और अधिक सुनिश्चित की जायेगी।

आचरण के लिए जवाबदेही

[68] "64" राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के छः महीने के अन्दर गम्भीर अवचार के लिए पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध जनता की शिकायतों की जाँच करने के लिए तथा ऐसे अन्य कृत्यों के निष्पादन के लिए, जो इस अध्याय में निर्धारित किये गये हैं, एक राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (जिसे एतद्पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष तथा अधिकतम चार अन्य सदस्य होंगे। — राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण

[69] "65" (1) प्राधिकरण में सत्यनिष्ठा और मानव अधिकारों के प्रति वचनबद्धता के विश्वसनीय रिकार्ड वाले अधिकतम 5 सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। इसमें निम्नलिखित होंगे :– — प्राधिकरण की संरचना

(क) लोक व्यवहार में अनुभवी, प्रख्यात तथा सत्यनिष्ठा और मानव अधिकारों के प्रति वचनबद्धता के विश्वसनीय रिकार्ड वाले 4 व्यक्ति, स्वतन्त्र सदस्यों के रूप में;

(ख) अधिवार्षिकी के कारण सेवानिवृत्त एक पुलिस अधिकारी, जिसका पद पुलिस महानिरीक्षक से निम्न स्तर का नहीं होगा;

(ग) प्राधिकरण का कम से कम एक सदस्य महिला होगी और एक से अधिक सदस्य पुलिस अधिकारी नहीं होगा;

(घ) चार स्वतंत्र सदस्यों में से एक सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें विधि क्षेत्र का समुचित ज्ञान हो।

(2) राज्य सरकार, स्वतन्त्र सदस्यों में से किसी एक सदस्य को प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

[70] "66" कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह– — सदस्यता के लिए अपात्रता

(क) भारत का नागरिक नहीं है;

(ख) उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक है;

(ग) किसी पुलिस, सैन्य अथवा सम्बद्ध संगठन में कार्यरत है;

(घ) लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहा है;

(ङ) किसी निर्वाचित पद पर कार्य कर रहा है, जिसमें सांसद अथवा विधायक या स्थानीय निकाय का सदस्य भी शामिल है;

(च) किसी ऐसे संगठन का सदस्य है या किसी प्रकार से उससे सम्बद्ध है, जिसे विद्यमान विधि के अधीन विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया है;

(छ) किसी राजनैतिक दल का सदस्य अथवा पदाधिकारी है;

(ज) किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और जिसके विरुद्ध किसी विधि न्यायालय द्वारा आरोप लगाये गये हैं, अथवा

(झ) विकृत चित्त का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

[71] "67" (1) किसी सदस्य और अध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष होगी, जब तक कि वह :-

(क) अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले किसी समय त्याग-पत्र नहीं देता, अथवा

(ख) उसे खण्ड 68 में उल्लिखित किसी कारण से उसके पद से न हटा दिया जाए।

(2) अध्यक्ष तथा सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(3) सदस्यों का पारिश्रमिक, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें तथा निबन्धन ऐसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

अध्यक्ष और सदस्यों का पद से हटाया जाना

[72] "68" प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को राज्यपाल के आदेश द्वारा, निम्नलिखित कारण से, उसके पद से हटाया जा सकेगा :-

(क) प्रमाणित अवचार अथवा दुर्व्यवहार;

(ख) प्राधिकरण के कर्तव्यों के पालन में निरन्तर उपेक्षा;

(ग) किसी ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न होना, जिसके कारण कोई सदस्य धारा 66 के अधीन प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए अपात्र हो जायेगा, या

(घ) किसी सदस्य द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने पद पर कार्य करते हुए कोई अन्य वैतनिक नियुक्ति प्राप्त करना।

[73] "69" (1) राज्य सरकार प्राधिकरण के सदस्यों के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी। — प्राधिकरण के कर्मचारी

(2) कर्मचारियों की संख्या राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।

(3) प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों का चयन ऐसे प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा जो सरकार द्वारा विहित की गयी है।

(4) कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा शर्तें और निबन्धन समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे।

[74] "70" प्राधिकरण अपने कार्य संचालन के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन से स्वयं नियम बनायेगा। — कार्य संचालन

[75] "71" (1) प्राधिकरण, उसके द्वारा सीधे प्राप्त अवचार की शिकायतें आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस महानिदेशक को अग्रसारित करेगा, परन्तु गुमनाम शिकायतों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा। — प्राधिकरण के कृत्य

(2) प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध "गम्भीर अवचार" की शिकायतें प्राप्त होने पर आरोपों की जाँच कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :

इस अध्याय हेतु, 'गम्भीर अवचार' से प्राधिकरण के किसी पुलिस अधिकारी का कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसके कारण :-

(क) पुलिस हिरासत में मृत्यु;

(ख) गम्भीर चोट, जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 320 में परिभाषित है;

(ग) बलात्कार अथवा बलात्कार का प्रयास;

(घ) विधि की सम्यक् प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या निरोध;

(ङ) मानव अधिकारों का उल्लंघन; या

(च) भ्रष्टाचार के आरोप;

लगाये जा सकते हों।

(3) प्राधिकरण, राज्य सरकार या पुलिस महानिदेशक द्वारा उसको निर्दिष्ट किसी अन्य मामले की भी जाँच कर सकता है, यदि प्राधिकरण की राय में मामला स्वतंत्र जाँच के योग्य है।

(4) प्राधिकरण पुलिस महानिदेशक से समय–समय पर प्राप्त तिमाही रिपोर्ट के माध्यम से राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध अवचार की शिकायतों पर विभागीय कार्यवाही अथवा विभागीय जाँचों की प्रास्थिति का अनुश्रवण कर सकेगा तथा ऐसे मामलों में कार्यवाही पूरी करने के लिए राज्य सरकार को समुचित परामर्श दे सकता है।

(5) प्राधिकरण, किसी शिकायतकर्ता के द्वारा की गयी 'अवचार' की शिकायत, जिसे पूर्व में परिभाषित किया गया है, की किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही विभागीय जाँच की प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब होने या उसके परिणाम से असंतुष्ट होने के किसी मामले के संज्ञान में आने पर, पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट माँग सकता है, आगे की कार्यवाही के लिए समुचित परामर्श जारी कर सकता है अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा नये सिरे से पुनः जाँच कराने के लिए निदेश जारी कर सकता है।

(6) प्राधिकरण पुलिस कर्मिकों के अवचार के कृत को रोकने के लिए राज्य पुलिस के लिए सामान्य मार्ग निर्देश सुझा सकता है।

प्राधिकरण की शक्तियाँ

[76] ''72'' (1) प्राधिकरण, विधिक विशेषाधिकार के अधीन, ऐसे बिन्दुओं या मामलों पर किसी व्यक्ति से सूचना प्रदान करने की अपेक्षा करने के लिए अधिकृत होगा, जो प्राधिकरण की राय में जाँच के विषय में उपयोगी अथवा संगत हो सकती है और ऐसे व्यक्ति, जिससे ऐसी अपेक्षा की गयी है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 176 और 177 के अर्थान्तर्गत ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए बाध्यकारी होगा।

(2) प्राधिकरण को ''इस अध्याय के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए'' सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी।

(3) ऐसे मामलों में, जिनमें प्राधिकरण द्वारा सीधे जाँच की जा रही हो, प्राधिकरण जाँच पूर्ण होने पर अपने निष्कर्ष से राज्य सरकार को सूचित कर सकेगी और समुचित कार्यवाही की सिफारिश कर सकेगी।

[77] "73" (1) प्राधिकरण, प्रत्येक कलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित का समावेश होगा:– प्राधिकरण की रिपोर्ट

(क) "गम्भीर अवचार" के मामलों की संख्या और प्रकार, जिनकी उसके द्वारा जाँच की गयी;

(ख) "गम्भीर अवचार" के मामलों की संख्या और प्रकार, जो उसे शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की विभागीय जाँच से असंतुष्ट होने पर संदर्भित किए गए;

(ग) उपरोक्त (ख) में निर्दिष्ट मामलों सहित ऐसे मामलों की संख्या और प्रकार, जिनमें उसके द्वारा पुलिस को आगे की कार्यवाही के लिए परामर्श और निदेश दिया गया;

(घ) राज्य में पुलिस कार्मिकों के द्वारा किये गये अवचार का स्वरूप, जिन्हें चिन्हित किया गया है; तथा

(ङ) पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के उपायों से सम्बन्धित सिफारिशें।

(2) प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी। रिपोर्ट एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा, जो जनता को उपलब्ध होगा।

(3) प्राधिकरण, उन विशेष मामलों के सम्बन्ध में, जिनकी उसके द्वारा सीधे जाँच की गयी, विशेष रिपोर्ट भी तैयार कर सकता है। वे रिपोर्ट भी जनता को उपलब्ध करायी जायेंगी।

[78] "74" (1) कोई भी व्यक्ति पुलिस कार्मिकों के किसी 'अवचार' अथवा 'गम्भीर अवचार' से सम्बन्धित शिकायत प्राधिकरण में दर्ज करा सकेगा; शिकायतकर्ता के अधिकार

परन्तु यह कि प्राधिकरण द्वारा कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जायेगी, यदि विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी न्यायायल द्वारा उस शिकायत की विषयवस्तु की जाँच की जा रही है।

(2) उन मामलों में, जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस प्राधिकारियों से शिकायत की गयी है, वह विभागीय जाँच की किसी अवस्था में, जाँच प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब के विषय में प्राधिकरण को सूचित कर सकता है।

(3) शिकायतकर्ता को, जाँच प्राधिकारी (सम्बन्धित पुलिस प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण) द्वारा जाँच की प्रगति के सम्बन्ध में समय–समय पर सूचित किये जाने का अधिकार होगा। जाँच अथवा विभागीय कार्यवाही के पूर्ण होने पर शिकायतकर्ता को उसके निष्कर्षों के सम्बन्ध में यथाशीघ्र सूचित किया जायेगा।

सद्भावपूर्वक किये गये कार्य के प्रति संरक्षण

[79] <u>"75"</u> [इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या इस आशय से की जाने वाली किसी बात के सम्बन्ध में, राज्य सरकार, राज्य पुलिस बोर्ड, उसके सदस्य और कर्मचारी, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उसके सदस्य और कर्मचारी या बोर्ड अथवा प्राधिकरण के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।]

<u>"राज्य सरकार, राज्य पुलिस बोर्ड, उसके सदस्य और कर्मचारी पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उसके सदस्य और कर्मचारी या बोर्ड अथवा प्राधिकरण के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या इस आशय से की जाने वाली किसी बात के सम्बन्ध में, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।"</u>

वित्त पोषण

[80] <u>"76"</u> कृत्यों के दक्षतापूर्वक निष्पादन के लिए राज्य के बजट के समुचित मुख्य शीर्ष में पृथक संघटक, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, प्रदान किया जायेगा।

अध्याय–नौ

कल्याण और शिकायतों का निवारण

पुलिस अधिकारियों का कल्याण

[81] <u>"77"</u> (1) पुलिस महानिदेशक, अपने पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन पुलिस अधिकारियों एवं अन्य कार्मिकों के लिए कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) राज्य सरकार, इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक को परामर्श देने और उसकी सहायता के लिए एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

पुलिस कल्याण ब्यूरो

[82] <u>"78"</u> (1) एक पुलिस कल्याण ब्यूरो होगा (जिसे एतद्पश्चात् "ब्यूरो" कहा गया है), जिसका प्रधान एक ऐसा अधिकारी होगा, जिसका पद पुलिस उप महानिरीक्षक से निम्न स्तर का नहीं होगा।

(2) अन्य बातों के अतिरिक्त, ब्यूरो के कृत्य और कर्तव्यों में पुलिस कार्मिकों के लिए कल्याणकारी उपायों का प्रशासन और अनुश्रवण शामिल है, यथा–

(क) चिकित्सा, विशेषकर पुरानी और गम्भीर बीमारियों की चिकित्सा, जिसमें सेवा निवृत्ति के पश्चात् पुलिस अधिकारियों और अन्य कार्मिकों तथा उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा योजनायें, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है, शामिल हैं;

(ख) ड्यूटी के दौरान चोट लगने पर पुलिस अधिकारियों और अन्य कार्मिकों को चिकित्सा सहायता, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय;

(ग) सेवा करते समय मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को वित्तीय सहायता, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय;

(घ) पुलिस अधिकारियों और अन्य कार्मिकों के आश्रितों के लिए उपयुक्त शिल्प में शिक्षा, व्यावसायिक परामर्श तथा प्रशिक्षण, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, और

(ङ) सद्‌भावपूर्वक कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में समुचित विधिक सुविधायें, जैसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

(3) ब्यूरो की संरचना, उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

[83] "79" (1) राज्य सरकार, सभी पुलिस अधिकारियों के लिए चोट लगने, अक्षमता, या ड्यूटी के समय मृत्यु के विरुद्ध एक बीमा योजना विहित करेगी। बीमा और जोखिम भत्ता

(2) राज्य सरकार, गम्भीर जोखिम वाले विशेष खण्डों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए सरकार के नियमों के अनुसार जोखिम भत्ता भी विहित कर सकती है।

[84] "80" (1) पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के अनुमोदन से, पुलिस कार्मिकों की व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायतों पर विचार करने के लिए विनियमों के माध्यम से एक संतोषजनक, पारदर्शी और सहभागिता वाला शिकायत निवारण तंत्र बनायेगी। शिकायतें उदारतापूर्वक प्राप्त की जाएंगी। शिकायत निवारण

(2) यह तंत्र व्यथित पक्ष को, यदि उसका प्रथम स्तर पर उसकी शिकायत के निस्तारण से समाधान नहीं होता है, अपील का अधिकार सुनिश्चित करेगा।

अध्याय–दस

साधारण अपराध, शास्तियाँ और उत्तरदायित्व

अनियंत्रित आचरण के अपराध

[85] "81" (1) यदि कोई व्यक्ति, किसी मार्ग, गली, आम रास्ते या खुले स्थान, जो सार्वजनिक हो, में निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है, जिससे वहाँ के निवासियों या राह चलते व्यक्तियों को असुविधा, परेशानी या खतरा हो, न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये जाने पर न्यूनतम रुपये पाँच सौ और अधिकतम रुपये एक हजार के जुर्माने के दण्डित किया जायेगा, यथा;

(क) नशे में धुत तथा दंगा या जनता में उपद्रव करते हुए पाया जाने पर;

(ख) पुलिस, अग्निशमन दल या किसी अन्य आवश्यक सेवा को झूठा अलार्म लगाकर गुमराह करने या जानबूझ कर अफवाह फैलाने पर।

(2) किसी व्यक्ति को, जो उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अपराध करता है और घटना स्थल पर ही अपराध का शमन करने में असफल रहता है, उसे बिना वारण्ट के हिरासत में लेना किसी पुलिस अधिकारी के लिए विधि सम्मत होगा।

(3) इस धारा में उल्लिखित अपराधों का, इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा, विहित न्यूनतम राशि की आधी राशि जमा करने पर घटनास्थल पर ही शमन किया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन हिरासत में निरूद्ध व्यक्ति को अपराध के शमन होने के तुरन्त पश्चात् मुक्त कर दिया जायेगा, अन्यथा ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिये जाने के 24 घण्टे के अन्दर क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

समन्वय

[86] "82" (1) किसी मण्डल में विधि और व्यवस्था के प्रबन्धन को प्रभावी बनाने के लिए, जहाँ अपेक्षित हो, मण्डलायुक्त द्वारा विभिन्न राज्य सरकार तथा अन्य एजेन्सियों में समन्वय स्थापित किया जायेगा।

(2) किसी जिले में विधि और व्यवस्था के प्रभावी प्रबन्धन के लिए, जहाँ भी अपेक्षित हो, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार एवं विभिन्न एजेन्सियों में समन्वय स्थापित किया जायेगा।

(3) समन्वय के प्रयोजन हेतु, जिला मजिस्ट्रेट जिले के पुलिस अधीक्षक और जिले के विभागाध्यक्षों से, जब कभी अपेक्षित हो, साधारण और विशेष प्रकार की सूचना मँगा सकता है। जहाँ परिस्थिति की माँग हो, जिला मजिस्ट्रेट समन्वय के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समुचित लिखित आदेश पारित करेगा और निदेश जारी करेगा।

(4) समन्वय हेतु जिला मजिस्ट्रेट से निदेश प्राप्त होने पर सभी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जिले के पुलिस अधीक्षक को पूर्ण सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

[87] ''83'' (1) [धारा] ''खण्ड'' 51, 52, [धारा] 53 और [धारा] ''खण्ड'' 81 की उप [धारा] ''खण्ड'' (3) एवं (4) के अधीन जारी किये विधि सम्मत आदेशों का पालन न करने वाले व्यक्ति पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले विधि न्यायालय में अभियोजन चलाया जायेगा एवं दोषी ठहराये जाने पर अधिकतम रु0 10000/– के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

आदेशों और निदेशों का पालन न करने के लिए शास्ति

(2) तथापि, [धारा] ''खण्ड'' ''51'' 52 एवं 53 के अपराध का घटनास्थल पर शमन किया जा सकता है, यदि सम्बन्धित थाने के प्रभारी के पास विहित अधिकतम राशि की आधी राशि जमा कर दी जाये।

[88] ''84'' यदि कोई व्यक्ति, जो पुलिस अधिकारी नहीं है, राज्य सरकार या यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये बिना, पुलिस की वर्दी या उसके समान दिखने वाली पोशाक या उक्त वर्दी का कोई विशिष्ट चिन्ह धारण करता है, तो उसका दोष सिद्ध हो जाने पर उसे छः माह के अधिकतम कारावास या रु0 5,000/– के अधिकतम जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

पुलिस वर्दी का अनाधिकृत उपयोग

[89] ''85'' प्रत्येक पुलिस अधिकारी :–

पुलिस अधिकारी इत्यादि द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा के लिए शास्तियाँ

(क) जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विधि सम्मत नियम या विनियम की उपेक्षा, या जानबूझकर उल्लंघन या कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी है, या

(ख) जो बिना अनुमति के या पूर्व सूचना दिये बगैर अपने पद के कर्तव्यों से विमुख हो गया है, या

(ग) छुट्टी के कारण अनुपस्थित रहते हुए, ऐसी छुट्टी की समाप्ति, पर बिना युक्तियुक्त कारण के अपने काम पर उपस्थित होने में असफल होता है, या

(घ) जिसने अपनी पुलिस ड्यूटी से भिन्न किसी अन्य नियोजन में बिना किसी प्राधिकार के नियुक्ति प्राप्त कर ली है, या

(ङ) जो कायरता का दोषी पाया गया है, या

(च) अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के शरीर पर अनावश्यक हिंसा करते हुए पाया गया है, या

(छ) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 द्वारा अपेक्षित, बिना किसी विधि सम्मत कारण के, प्राथमिकी का पंजीकरण करने में असफल होता है, या

(ज) ड्यूटी के समय नशे की हालत में पाया गया है, या

(झ) ऐसे कार्य करता है, जो किसी पुलिस अधिकारी के लिए किसी प्रकार से शोभनीय नहीं है,

उसे तीन महीने के वेतन के बराबर की अधिकतम धनराशि के जुर्माने से, या अधिकतम तीन माह के किसी प्रकार के कारावास से या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

"(ञ) (एक) इस खण्ड के अधीन कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी अथवा जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्थित की जायेगी।

(दो) इस खण्ड के अधीन संस्थित की गयी विधिक कार्यवाही या परिणाम सम्बन्धित पुलिस कार्मिक की व्यक्तिगत सेवा अभिलेखों में अभिलिखित किया जायेगा।"

अध्याय–ग्यारह

निरसन और व्यावृत्ति

[90] "86" (1) उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में, पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5, वर्ष 1861) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उप धारा (1) के अधीन निरसन, इस प्रकार निरसित अधिनियमितों के पहले किसी कृत कार्य या तात्पर्यित की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा

(इसमें की गयी कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन या जारी की गई अधिसूचना, आदेश, निदेश अथवा नोटिस शामिल है।) उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाये गये नियम और विनियम, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं हैं, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किये गये समझे जायेंगे और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही या किसी बात द्वारा अधिक्रान्त नहीं होते, प्रवृत्त रहेंगे।

[91] "87" (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु नियम बना सकेगी। — नियम व विनियम बनाने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम यथाशीघ्र राज्य की विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे।

(3) पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के अनुमोदन से, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में विनियम बना सकेगा।

(4) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक को उसके द्वारा ऐसी रीति से, जैसा वह निदेश दे, बनाये गये विनियमों में संशोधन करने के लिए निदेश दे सकेगा और तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक विनियमों में उस रीति से संशोधन करेगा, जैसा निर्देशित किया जाये।

(5) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

[92] "88" (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाईयाँ आती हैं, तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के असंगत न हों, जैसा वह कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन समझे। — कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष समाप्त होने के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना यथाशीघ्र राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–22 तक, इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती आशा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 के खण्ड 23 के उप खण्ड (4) में निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जाय :–

"(4) निरीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई अधिकारी कान्सटेबिल और हेड कान्सटेबिल को लघु दण्ड दे सकेगा।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 23 के उप खण्ड (4) में निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाय :–

"(4) निरीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई अधिकारी कान्सटेबिल और हेड कान्सटेबिल को लघु दण्ड दे सकेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 के खण्ड 24 से खण्ड 27 इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ)

श्रीमती आशा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 के खण्ड 28 के उप खण्ड (1) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया जाय :–

"किसी थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किसी पुलिस अधिकारी की पदावधि न्यूनतम एक वर्ष एवं किसी पुलिस वृत्त के प्रभारी अधिकारी के रूप में या पुलिस अधीक्षक के रूप में या किसी रेंज के उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक की पदावधि अधिवर्षिता के अधीन रहते हुए न्यूनतम दो वर्ष होगी।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 28 के उप खण्ड (1) में निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाय :–

"किसी थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किसी पुलिस अधिकारी की पदावधि न्यूनतम एक वर्ष एवं किसी पुलिस वृत्त के प्रभारी अधिकारी के रूप में या पुलिस अधीक्षक के रूप में या किसी रेंज के उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक की पदावधि अधिवर्षिता के अधीन रहते हुए न्यूनतम दो वर्ष होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–29 से खण्ड–70 तक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती आशा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 के खण्ड–71 के उपखण्ड (2) तथा इसी खण्ड के प्रस्तर (च) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जाय–

"इस अध्याय हेतु 'गम्भीर अपचार' से किसी पुलिस अधिकारी का कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके कारण तथा "(च) भ्रष्टाचार; के आरोप लगाए जा सकते हों।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 के खण्ड–71 के उपखण्ड (2) तथा इसी खण्ड के प्रस्तर (च) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाय–

"इस अध्याय हेतु 'गम्भीर अपचार' से किसी पुलिस अधिकारी का कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके कारण तथा "(च) भ्रष्टाचार; के आरोप लगाए जा सकते हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 72 से खण्ड 87 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि पुलिस विधेयक, 2007 के खण्ड–88 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय–

"88 (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष तक राज्य सरकार राजपत्र में आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के असंगत न हो, जैसा वह कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन समझे। (2) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 के वर्तमान खण्ड 88 के प्राविधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया जाय।

"88 (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष तक राज्य सरकार राजपत्र में आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के असंगत न हो, जैसा वह कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन समझे। (2) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 जैसा सदन द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 जैसा सदन द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, नगर निगमों के निर्वाचन के प्राविधान से सम्बन्धित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के माध्यम से नगर निगमों में कक्षों की संख्या न्यूनतम 20 तथा अधिकतम 45 निर्धारित की गयी थी, यह वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर थी। वर्तमान में वर्ष 2001 की जनगणना के सुसंगत आंकडे आ गये हैं और जो उपलब्ध आंकडे हैं उनके अनुसार नगर निगम देहरादून की जनसंख्या 4 लाख 47 हजार 808 हो चुकी है और 4 लाख 47 हजार 808 जनसंख्या होने के पश्चात् नगर निगम के सभी वार्डों की संख्या अधिकतम 60 किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए धारा जो उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 6 (1) (क) में एक छोटा सा संशोधन करना आवश्यक था और यह अध्यादेश के माध्यम से महामहिम श्री राज्यपाल ने इसकी अनुमति प्रदान की थी और यह संवैधानिक बाध्यता के तहत विधेयक रखा गया और जिसकी धारा 2 के धारा 6–1 में संशोधन किया गया, जिसके आधार पर उत्तरांचल उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 "क" में शब्द "पैंतालिस" के स्थान पर "साठ" रख दिया जाए, केवल इसमें इतना है और इस संशोधन के लिए माननीय सदन से अनुमति चाहता हूँ कि इसको सर्वसम्मति से पारित करें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे उत्तराखण्ड में देहरादून ही एक ऐसी जगह है जहाँ एकमात्र नगर निगम है। पिछले नगर निगम में 45 वार्डों की संरचना की गई थी और अब वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के उपरान्त 60 वार्ड किये जाने का प्राविधान सरकार ने किया है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि यह जो 60 वार्ड बनाये गये यह जो वर्ष 2001 के जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं उसके आधार पर सरकार कर रही है, लेकिन इसके बीच सरकार का छिपा हुआ एजेण्डा है, सरकार अपना राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध कर रही है। तो यह जो राजनीतिक एजेण्डा है उसको पूरा करने के लिए यह 60 वार्ड करने का निश्चय किया। मान्यवर, आप देखेंगे कि पिछले दिनों पूरे प्रदेश में लोक सभा और विधान सभा का परिसीमन हुआ जब 45 वार्ड थे और नगर निगम संचालित हो रहा था तो कहा गया कि 60 वार्डों की जनसंख्या के आधार पर लोक सभा और विधान सभा का परिसीमन होगा। मान्यवर, आपको पता होगा कि 60 वार्डों के आधार पर परिसीमन लोक सभा और विधान सभा का किया गया और अब 60 वार्ड नगर निगम में कर दिया गया तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि 60 वार्ड विधान सभा लोक सभा के परिसीमन में किया गया उसकी सीमा जो निर्धारित की गई तो क्या वह 60 वार्ड इसमें रखा गया और कहा जा रहा है कि नगर निगम के हिसाब से 60 वार्ड बनाये और इसमें लोक सभा विधान सभा का कोई लेना देना नहीं है, उनके नामों का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक्ट में यह भी प्राविधान है मान्यवर, जो मूल वार्ड थे, उनके नामों में बदलाव किया गया है। मान्यवर, देहरादून नगर निगर पहले 45 वार्डों में सम्मिलित था अब इसमें 60 वार्ड हो गये हैं। यह किस आधार पर परिसीमन किया ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 2001 की जनसंख्या के आंकड़े क्या हैं ? मैं इस सम्बन्ध में सरकार से जानना चाहता हूँ कि पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 2001 में क्या थी, इसका कोई सर्वे नहीं हुआ। इसके आंकड़े आपके पास नहीं है। आपने 08 सीटें देहरादून नगर निगम में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दी। यह किस आधार पर की गयी ? मान्यवर, इसके क्या मापदण्ड है ? आपने एक रेण्डम सर्वे जारी करवाया, वह भी एक अधिसूचना जारी करने के बाद और कहा गया कि रेण्डम सर्वे करा रहे है। आखिर यह किसने किया ? किसके द्वारा किया गया ? किसने जाकार इसकी जनसंख्या देखी ? वह भी सब फर्जी है। मान्यवर, यह सब राजनीति है, इसके बाद समय–समय पर इसको बदला गया। इसका भी जिक्र होना चाहिए। मान्यवर, 31 सितम्बर को वार्डों के आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें 07 दिन का समय आपत्ति के लिए दिया गया। इसके बाद परिसीमन का गजट 12–10–2000 को सुझाव पर विचार करने के पश्चात् परिसीमन और गजट नोटिफिकेशन की अंतिम सूचना जारी कर दी गयी, लेकिन 18–10–2007 में वार्ड संख्या 7, 25, 26 एवं 27 के लिए परिसीमन और आरक्षण का शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया। मान्यवर, नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–32 के प्राविधानों का पालन नहीं किया गया। मान्यवर, नगर निगम के सभी वार्डों का कोई ब्योरा प्रकाशित नहीं किया गया। एक्ट में यह प्राविधान भी है। 8 सीटें आरक्षित की गयी। मान्यवर, सभी वार्डों की जनसंख्या भी लगभग समान होनी चाहिए।

मान्यवर, इसमें किसी वार्ड की जनसंख्या 6 हजार 7 हजार और 9 हजार, पर प्रतिनिधित्व दिया गया। मान्यवर, जो सबसे खराब बात है कि यदि लोक सभा और विधान सभा के परिसीमन की बात को मानते और यह कहते कि नयी विधान सभाओं के अनुसार इसका परिसीमन कर दिया। मान्यवर, पहले जो आपकी विधान सभा देहरादून है, इस क्षेत्र के कई वार्ड नयी व्यवस्था के अनुसार विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मण चौक में आ गये हैं। आज स्थिति यह है कि लक्ष्मण चौक विधान सभा के आधे वार्ड एक जगह और आधे वार्ड दूसरी जगह, जो आपकी विधान सभा क्षेत्र है, में आते है तो इस तरह एक–एक वार्ड जम्प करके दोनों विधान सभा क्षेत्रों में डाल दिया गया है, जिसके विकास मे कठिनाई उत्पन्न होगी। जब विधायक निधि एक वार्ड के अन्दर जायेगी तो इस क्षेत्र के लिए कार्य करने में समस्या आयेगी। मान्यवर, नियम 18 के बाद इसमें चक्रानुसार आरक्षण की व्यवस्था भी थी, वह नहीं दी गयी है। मान्यवर, कुछ वार्डों को मूल रूप से समाप्त कर दिया गया है, जबकि ऐसा प्रायः नहीं होता है। मान्यवर, 23–10–2007 को पुनः इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी हुई और जो दिनांक 18–10–2007 की अधिसूचना जारी की गई थी उसे निरस्त कर दिया गया। मान्यवर, 31–10–2007 को एक और अधिसूचना जारी कर दी है। मान्यवर, इस तरह से रोज अपने राजनीतिक हित के लिए आपने देखा कि इसको महिला सीट करनी है, तो इसकी जनसंख्या घटा दी और इसको समाप्त कर दिया और नगर निगम की सीमाओं में परिवर्तन कर दिया। आपने देखा इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए तो फिर इसमें परिवर्तन कर दिया गया। मान्यवर, 45 वार्डों की संख्या को बढ़ाकर आपने 60 कर दी है। इसके पीछे भी आपका राजनीतिक स्वार्थ हैं आप इसकी सीमाओं का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। मान्यवर,45 से 60 वार्ड बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मान्यवर, 2001 की जनसंख्या के आधार पर पिछड़ी जातियों का समुचित सर्वे कराकर वार्डों का गठन करते, लेकिन आपने अपने हिसाब से सरकार, राजनीतिक दल विशेष को लाभ देने के लिए रोज वार्डों की सीमाओं में परिवर्तन किया है। एक वार्ड में 20–20 लाईनें खींची है, इसमें अत्याचार हुआ है।

मान्यवर, सरकार ने एक राजनीतिक दल को लाभ देने के लिए सीमाओं में रोज परिवर्तन कराया, जो इसमें हुआ है मैं नहीं समझता हूँ कि राजनीतिक लाभ के लिए नगर निगम का आरक्षण जिस तरह से किया गया उचित है। मान्यवर, यह सरकार के लिए एक ऐतिहासिक वस्तु जरूर हो सकती है। मैं समझता हूँ सरकार इस पर बहुत खुश हो सकती है कि हमने अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर दिया, लेकिन यह मैं समझता हूँ कि जनतंत्र के लिए बिल्कुल उचित बात नहीं है। मान्यवर, लोग इसमें न्यायालय में जाकर इस बात का संज्ञान लेंगे। मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे संरक्षक है। इस तरह यदि परिवर्तन कर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए चेष्टा की जायेगी तो यह जनतंत्र के लिए उचित नहीं है। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक है। इस तरह यदि प्राविधान करके राजनीतिक लाभ की चेष्टा के आधार पर यह किया जाएगा तो यह जनतंत्र के लिए उचित नहीं है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, नगर निगम संशोधन विधेयक में 45 कक्षों की जगह पर 60 कक्षों का निर्धारण कर दिया गया है। यह संशोधन यहाँ पर आया है। माननीय दिनेश अग्रवाल जी ने यहाँ पर जो बातें रखी हैं, मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, नगर निगम और स्थानीय निकाय संविधान की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। संविधान के 74वें एमण्डमेंट के तहत इसे अपार शक्तियों से संजोने की व्यवस्था की गयी थी। यह कहा गया कि संविधान का यह संशोधन सशक्त होना चाहिए। सशक्त होने का आधार तो नहीं हो सकता कि वार्डों की संख्या 45 की जगह 60 कर दी जाय, तो सशक्त हो जाएगा। इस एमण्डमेंट के साथ–साथ यह भी आना चाहिए था कि स्थानीय निकायों की भावनाओं का आदर करते हुए 74वें एमण्डमेंट की भावना का प्रतिपालन करने के लिए एमण्डमेंट किया गया है और कहा जाता कि विकास प्राधिकरणों क आवश्यकता नहीं है। स्टेट में प्राधिकरण का मॉडल एक्ट बना सकते हैं। इमप्लिमेंटेशन में नगर निगम और नगर निकायों को यह अधिकार देते तो यह और तर्कसंगत होता। इसमें 74वें एमण्डमेंट भी सार्थक होता। लेकिन आज यह दुःखदायी है। आज सड़कों की जो दुर्दशा है, उसको सुधारने का काम नगर निगम का है, पानी व्यवस्था सही नहीं है। क्या 45 वार्ड के स्थान पर 60 वार्ड कर देने से यह सब विकास के कार्य हो जायेंगे ? 74वें संशोधन की मंशा पूरी हो जाएगी ? (व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष जी, हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि 2001 की जनगणना के आधार पर जैसा दिख रहा है, एक कॉलम भी पिछड़ी जाति का नहीं है। प्रीज्यूम किया गया कि जहाँ–जहाँ पिछड़ी जातियाँ हैं। जो रेण्डम सर्वे किया गया, वह संवैधानिक नहीं है। उसे कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। मान्यवर, 2001 में जो अधिसूचना जारी हुई थी, यदि इसमें अधिसूचित कर दिया जाता तो मान लिया जाता कि यहाँ पर पिछड़े वर्ग में इतने लोग हैं। लेकिन वार्डों की संख्या 45 से बढ़ाकर 60 करने की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। सरकार संख्या बल के आधार पर सब कुछ पास करा सकती है। हमारे लिए भी यह एक सदन है, जहाँ पर हम अपनी बात रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि 74वें एमण्डमेंट की मंशा के अनुरूप आने वाले समय में आवश्यक संशोधनों को पास करते हुए नगर निगमों को सशक्त बना दिया जाय, स्थानीय निकायों को मजबूत कर दिया जाय, तो हो सकता है कि 45 से 60 करने में बेहतरी हो। मैं माननीय अग्रवाल जी द्वारा उठाये गये सब मुद्दों से अपने आप को फिर सम्बद्ध करता हूँ और आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, माननीय दिनेश अग्रवाल जी द्वारा कुछ विषयों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें उन्होंने नगर निगम और विधान सभा के परिसीमन के विषय में जिक्र किया। श्रीमन्, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–त, थ, द एवं ध, यह सभी अनुच्छेद नगर पालिकाओं और नगर निगमों से सम्बन्धित है और इनसे ही नगर निगमों की व्यवस्था संचालित होती है। संविधान के इन अनुच्छेदों के दिशा–निर्देशों के अनुरूप

ही सभी व्यवस्थायें संचालित की जाती हैं। वर्ष 2002 में तत्कालीन सरकार ने इन वार्डों की संख्या 34 से बढ़ाकर 45 कर दी थी और उस समय 1991 की ही जनगणना के आंकड़े हमारे पास थे। जनसंख्या का दबाव था और परिसीमन होना था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वार्डों की संख्या पहले 34 से 60 की थी फिर एक आदेश के बाद इसे 45 कर दिया गया था।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चार लाख, पैंतालीस हजार, आठ सौ आठ, यह जनसंख्या के सुसंगत आंकड़े आने के बाद यह हमारे सामने आया और संविधान के अनुच्छेद 243–य, जो वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना के सम्बन्ध में है, यह किस प्रकार से तय होगा, इसके दिशा–निर्देश इसमें मिलते हैं और इसकी धारा वार्डों का परिसीमन तथा उसकी भौगोलिक स्थिति को देखकर किया जाता है। इस परिसीमन के पश्चात् नगर निगम के कार्मिकों द्वारा प्रत्येक वार्ड की जनता का सर्वेक्षण होता है और उसमें यह सर्वे होता है कि किस वार्ड में कितनी महिलायें हैं, कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इस प्रकार से सर्वेक्षण नगर निगम के कार्मिकों द्वारा किया जाता है।

श्रीमन्, जब अध्यादेश से यह विधि बनी और साठ वार्ड गठित किया जाना आवश्यक और अपरिहार्य हो गया और नगर निगम के कार्मिकों द्वारा सर्वेक्षण किया गया और आपने भी उल्लेख किया कि 10 अक्टूबर, 2007 को यह सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो गया और रिपोर्ट आयी और उसके आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई। यह कार्य अधिसूचना जारी करने के लिए दिये गये एक निर्धारित कलेंडर वर्ष में होता है, उसका एक फोरम होता है। यदि किसी को कोई आपत्ति थी तो उसके लिए जो निर्धारित प्रक्रिया थी, यदि उसमें दिया जाता तो उचित होता। सरकार का इसमें कोई हिडन एजेण्डा है कहने की बजाय यदि आपत्ति को फोरम में उठाया जाता तो उचित होता। यह वही अध्यादेश है और इसमें कहीं से कहीं तक कोई हिडन एजेण्डा नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार किसी गुप्त एजेण्डे के तहत कार्य नहीं कर रही है, यह जनहित का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्रीमन्, सरकार जनता के लिए पूरी जवाबदेह है और पूरी जवाबदेही से ही काम कर रही है। इसलिए माननीय दिनेश अग्रवाल जी और माननीय जोत सिंह गुनसोला जी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं हैं, सरकार का कहीं कोई हिडन एजेण्डा नहीं है। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोग कभी डरे नहीं हैं और हम डरने वाले लोग नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यदि आप मेरी बात से सहमत हो गये हों और संविधान के अनुच्छेद 243 को मानते हों तो यह एक लाईन का संशोधन है। (व्यवधान) तो इसे सर्वसम्मति से सदन अंगीकृत करे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या.........वर्ष 2007)

नगर निगमों के निर्वाचन के प्राविधान से सम्बन्धित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 का उत्तराखण्ड के लिए अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठानवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 6 का संशोधन

2\. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 6(1) (क) में शब्द "पैंतालिस" के स्थान पर "साठ" रख दिया जायेगा।

निरसन और अपवाद

3\. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, यह समझा जायेगा कि उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन जो कार्य किया गया है या कार्यवाही की गयी है, वह इस अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया है या की गयी है, मानो यह अधिनियम 12 सितम्बर, 2007 को प्रवृत्त हो गया था।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री विजय सिंह, श्री केदार सिंह रावत, डा0 हरक सिंह रावत तथा श्री प्रेमानन्द महाजन की कुल 07 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत स्वीकृत भैरवगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ तथा शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

[जनपद उत्तरकाशी के हर्षिल–मुखबा–जांगला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कुल 14.40 किमी0 लम्बाई की आवश्यकता होगी। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अब तक प्रदत्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:–

1–उक्त मोटर मार्ग के 3.00 किलोमीटर लम्बाई एवं 1 सेतु निर्माण हेतु दिनांक 26–10–1983 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी 3.00 कि0मी0 की वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार से दिनांक 05–08–1994 को तथा विधिवत स्वीकृति दिनांक 16–11–1994 को प्राप्त हुई। वन विभाग द्वारा 3.00 किमी0 वन भूमि हस्तान्तरण के विरुद्ध प्रथम 1.325 किमी0 में ही पेड़ों का पातन न किये जाने एवं शेष लम्बाई वन

] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भाग की जाँच के अन्तर्गत आ जाने के कारण पेड़ों का पातन न किये जाने से प्राप्त ीकृति के सापेक्ष 1.325 किमी0 में ही मार्ग निर्माण एवं सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण किया या। वर्तमान में 1.325 किमी0 का भाग यातायात हेतु उपलब्ध है।

2–इस मोटर मार्ग के प्रथम 3.00 किमी0 के अवशेष मार्ग निर्माण कार्य हेतु दिनांक 16–02–2004 को स्वीकृति प्रदान की गई है। मार्ग के 1.325 किमी0 से 3.00 किमी0 भाग में वन विभाग द्वारा पेड़ों का पातन किया जा रहा है। इस भाग के निर्माण तु कई बार निविदायें आमन्त्रित किये जाने पर भी निविदायें 600 प्रतिशत से अधिक ी दरों में प्राप्त होने के कारण अभी तक इन निविदाओं पर निर्माण कार्य की स्वीकृति हीं दी जा सकी है।

3–इस मार्ग के आगे के 3.00 किमी0 लम्बाई (किमी0 3.00 से किमी0 6.00 तक) तु दिनांक 11–07–2005 को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके सापेक्ष वन भूमि स्ताक्षरण के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

4–मार्ग के 1.40 किमी0 लम्बाई (किमी0 6.00 से किमी 7.40 तक) हेतु दिनांक –09–2006 को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके सापेक्ष वन भूमि हस्तान्तरण के स्ताव नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किये जा चुके हैं। वन विभग द्वारा इस भाग मलवा निस्तारण प्रस्ताव माँगा गया है, जो तैयार किये जा रहे हैं। वन भूमि हस्तान्तरण पश्चात् कुल 4.40 किमी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो जायेगी।

5–मुखवा से जांगला के मध्य 7.00 किमी0 मार्ग निर्माण की स्वीकृति पर लगभग 45.00 लाख का व्यय अनुमानित है, जो अभी स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर ग्राम मुखवा तक किमी0 7.40 म्बाई में मोटर मार्ग की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।]

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव,

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल लिए स्थगित कर दिया जाय।

ी अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह दन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

ट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।

भारत–भाग्य विधाता।।

पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा,

द्राविड़–उत्कल–बंग।

विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,

उच्छल–जलधि–तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन–गण–मंगलदायक जय हे,

भारत–भाग्य–विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे।

श्री अध्यक्ष–

अब उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(इसके बाद सदन 07 बजकर, 04 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थ हुआ।)

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तराख

देहरादून।
दिनांक 27 नवम्बर, 2007

पी०एस०यू० (आर०ई०) 13 विधान सभा/387–02–9–2008–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो